खण्ड-410, अंक-7
मंगलवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1916
(22 मार्च, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–79
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	80
हरिद्वार जनपद में 40 मिनी बसों के एक ही रूट पर अवैध रूप से चलने व राजस्व की हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80–81
जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरा बेलाव बकुला में भीषण अग्नि काण्ड से प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद उन्नाव में भू-गर्भ जलस्तर नीचे गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81–82
जनपद बांदा के औंगासी घाट पर यमुना नदी पर प्रस्तावित पीपे के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद आगरा में गन्दगी होने से बीमारियां फैलने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82–83
वाराणसी में पार्कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	83
पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83–84
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	84
जिला अधिकारियों द्वारा मा0 विधायकों के विरुद्ध मुकदमा दायर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न (जारी)	84
प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–7 का सुस्पष्ट उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	85–86
सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	86–88
जिला अधिकारियों द्वारा मा0 विधायकों के विरुद्ध मुकदमा दायर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	88–95
जिला अधिकारियों द्वारा मा0 विधायकों के विरुद्ध मुकदमा दायर किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न को सुने जाने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	95–111
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरः स्थापित किया गया)	111
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	112
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्यय में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान सं0 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान सं0 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान सं0 83–सहायताएवं पुनर्वासन विभाग (स्व कृत) ..	112–114
नियम 51 के अन्तगत सूचनाएं	114
उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं तिब्बि अकादमी में बहुमूल्य पाण्डु लिपियों का समुचित रख-रखाव न किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	114–116
नस्थियां	117–157

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश बिधान सभा

मंगलवार दिनांक 22 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मसूद अहमद, डा0	फैजाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	मारकण्डेय, श्री	बलिया
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
उदय भान सिंह, श्री	आगरा	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
ओकार सिंह, श्री	एटा	रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम किशोर चिन्द, श्री	वाराणसी
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	रामकृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	राम धनी, श्री	गाजीपुर
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
चन्द्र शेखर, श्री	गाजीपुर	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा	शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार	शिव दानी, श्री	इलाहाबाद
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ	शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
दौलत राम, श्री	सीतापुर	श्री राम पाल, श्री	जालौन
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	श्री राम यादव, श्री	जौनपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद	सतीश महाना, श्री	कानपुर (नगर)
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर (नगर)	सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच	समई, श्री	आजमगढ़
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर	सुखदेव, श्री	आजमगढ़
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी	सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा	सुरेश मंगल, श्री	मुजफ्फरनगर
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर	सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
मयंकार सिंह, श्री	बहराइच	सुशीला सरोज, श्रीमती	हरदोई
		स्वयंम्बर चौधरी, श्री	सिद्धार्थ नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 22 मार्च, 1994

(विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11.00 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पुलिस थानों में तैनात सफाई कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाये जाने की मांग

**1–श्रीमती शशि बाला पुन्डीर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस थानों में सफाई कर्मचारियों को मात्र 60.00 रुपया से 120.00 रुपया तक वेतन मिलता है ? क्या पुलिस थानों के सफाई कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने के लिये सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

पुलिस थानों में सफाई कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र में रु0 100/- प्रतिमाह एवं शहरी क्षेत्र में रुपये 120.00 प्रतिमाह नियत वेतन प्रदान किया जाता है ।

जी नहीं ।

श्रीमती शशिबाला पुंडीर–

मान्यवर, इन पुलिस थानों में सफाई कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, वह बहुत कम दिया जाता है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, उससे भी कम है, तो क्या माननीय मंत्री जी इनका वेतन कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बराबर करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह अंशकालिक कर्मचारी हैं और इनकी नियुक्ति सितम्बर, 1993 से पूर्व हुई थी । इनको शहरी क्षेत्रों में 60 रुपया और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये मिलता था, लेकिन जुलाई, 1993 में इनका वेतन 60 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए और 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये कर दिया गया है । ये अंशकालिक कर्मचारी हैं और पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह देखते हुये कि शासन की नीति यह है कि दैनिक वेतन की रकम निर्धारित कर दी गयी है और सफाई कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर वेतन नहीं मिल रहा है, तो क्या महंगाई से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुये और शासन की नीति को देखते हुये, जो दबे गिरे और कमजोर लोगों को संरक्षण देना चाहती है, माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उनके वेतन में वृद्धि की जाये और उनको वेतन दैनिक वेतन के आधार पर मिलना चाहिए, उनकी रकम को निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह अंश कालिक कर्मचारी हैं । इनके वेतन वृद्धि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती शशिबाला पुंडीर–

श्रीमन्, हम लोग दलितों के उत्थान के लिए वचनबद्ध हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि सफाई कर्मचारी जो एक कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, क्या उनके उत्थान के लिये सरकार के पास कोई कार्य योजना है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दलितों के लिये क्या कार्य योजना है, यह बहुत बड़ा विषय है । इनका वेतन राज्यपाल शासन काल में बढ़ाया गया था । आपने नहीं बढ़ाया था । इनका वेतन पहले से दुगुना कर दिया गया है और यह अंशकालिक कर्मचारी हैं पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं, यह घन्टे-दो घन्टे काम करते हैं, इतना वेतन इतने कार्य के लिये पर्याप्त है ।

प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित नियुक्तियां जारी

**2–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी विभागों में नौकरियों पर लगे प्रतिबन्ध को सरकार समाप्त कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार होम गार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

वर्तमान में नियमित नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी होगी कि नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा है और वह चाहते हैं कि बेरोजगारों को काम मिले । सारे विभागों के अधिकारी कहते हैं कि नयी नियुक्तियों पर रोक लगी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो यह कहती है कि प्रतिबन्ध हटा दिया गया है, तो वह कब से हटाया गया है और उसका शासनादेश क्या है और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं और जब से यह सरकार बनी है, तब से इन तीन महीनों में कितनी नियुक्तियां की गयी हैं और नयी भर्ती कब से शुरू की जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये हैं, एक तो यह प्रश्न किया है कि नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध कब से हटाया गया है, तो यह 26 सितम्बर, 1991 से प्रतिबन्ध हटाया गया है । दूसरा प्रश्न यह किया है कि पिछले तीन महीनों में कितनी नियुक्तियां हुई हैं, तो माननीय, इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियुक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है और विभागों में नियुक्तियां हो रही हैं ।

श्री रमेश कान्त लवानिया–

क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विभागों को शासन से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है और यदि आवश्यक है तो क्या शासन पूर्व अनुमति देने में हिचकिचायेगा, यदि नहीं तो उसमें देरी नहीं की जाती है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, शासन से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन फिर भी इधर चूंकि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी है तो इस दिशा में शासन की तरफ से निर्देश सभी विभागों को दिये जा रहे हैं और बहुत शीघ्र इन आरक्षण के कोटे को ध्यान में रखते हुए जहां-जहां रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को पूरा किया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नौकरियों में लगा हुआ प्रतिबन्ध 1991 में हटा दिया गया है तो 1991 से लेकर 1993 के बीच हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कई बार यह घोषणाएं की हैं कि नौकरियों पर लगा हुआ प्रतिबन्ध हटाया जायेगा तो उनकी इन घोषणाओं के बाद कौन सा शासनादेश नौकरियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने में जारी किया गया है और दूसरा जब नौकरियों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कोटे को भरने के लिए पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को पूरा करने के लिए शासन की ओर से कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय वर्मा जी ने मुख्य मंत्री जी की घोषणा के सम्बन्ध में आदरणीय सदन में बात कही है । श्रीमन्, नियुक्तियां दो प्रकार की होती हैं । एक नियुक्ति नियमित नियुक्ति है और दूसरी होती है तदर्थ नियुक्ति, दैनिक वेतन की, कार्यप्रभारित और संविदा स्थानान्तरण की, और इस तरह से श्रीमन्, जैसा कि निवेदन किया कि नियमित नियुक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । शायद माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकेत हो सकता है वह तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में, बर्कचार्ज के सम्बन्ध में, तो यह जो नियुक्तियां होती थी यह एक तरह से बैकडोर की इन्ट्री होती थी और बैकडोर की इन्ट्री के आधार पर आरक्षण का कोटा नहीं पूरा होता था न पिछड़ी जाति का, न अनुसूचित जाति का, न जनजाति का, तो बैकडोर की इन्ट्री को हतोत्साहित करने के लिए उस पर अंकुश लगाने के लिए नियमित नियुक्तियां खोल दी गयी हैं और नियमित नियुक्तियां हो रही हैं ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, शासन के द्वारा एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अधिकारी लोग अपने हिसाब से नियुक्ति करके सूचना भेज सकते हैं लेकिन गोण्डा जिले में आज से तीन माह पहले ट्यूबवेल आपरेटर के लिए जगह निकली थी उसमें लोगों ने इम्तहान दिये लेकिन आज तक अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी और अधिशासी अभियन्ता, गोण्डा यह दोनों लोग मिलकर पैसा उगाही में लगे हुए हैं और आज तक उसका रिजल्ट आउट नहीं किया गया है, क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता गोण्डा जनपद के बारे में है तो वह इस आदरणीय सदन में नोटिस दिए हैं आज ही लिखकर दे दें, हम 15 दिन के अन्दर जांच भी करा लेंगे, कहीं पर अनियमितता हुई होगी, शासन के नियमों का उल्लंघन किया गया होगा तो जिस अधिकारी ने किया होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में लिखकर दे चुका हूं ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि नियुक्तियां खोल दी गयी हैं और विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वान्चल विकास निगम तोड़ दिया गया और कहा गया कि उन सारे कर्मचारियों को खपाया जायेगा, क्या माननीय मंत्री उन कर्मचारियों को खपाने का आदेश निर्गत करेंगे जहां-जहां रिक्तियां हों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, छटनीशुदा कर्मचारियों को एडजस्ट करने के लिये, प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को इस तरह के निर्देश दिये गये हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, चाहे नयी नियुक्तियों का मामला हो, चाहे छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्तियों का मामला हो, जो भी आश्वासन दिये गये हैं, उनकी पूर्ति नहीं की गयी है । अभी यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद से जब से यह गठबन्धन की सरकार आयी है पिछले साढ़े तीन महीने में एक भी नियुक्ति यह नहीं कर पाए हैं, न कोई इनकी योजना है जिसके अन्तर्गत यह लोगों को रोजगार देने जा रहे हो.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

बहुत बड़ी संख्या में नवयुवक बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने के लिये न तो इनकी नीति ठीक है और न नीयत ही ठीक है, अब तक इन्होंने किसी को अवसर नहीं दिया है, लाखों बेरोजगारों की विरोधी यह सरकार है । इस सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों का समुचित उत्तर न मिलने के नाते मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल सदन त्याग कर चले गये)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम के घाटे तथा उसको दूर करने एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य विकल्प

*1–इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सीमेंट निगम के घाटे के क्या कारण हैं ? उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सीमेन्ट निगम के कारखानों को पूंजीपतियों के हाथ बेचने के बजाय सुचारु रूप से चलाने के लिए किसी अन्य विकल्प पर भी विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

निगम में घाटा होने के प्रमुख कारण हैं, स्थापित उत्पादन क्षमता का कम उपयोग उत्पादन लागत का अधिक होना, कार्यशील पूंजी की कमी, कोयले की क्वालिटी खराब होना, तथा लाइम स्टोन का मार्जिनल किस्म का होना । निगम के पुनरुद्धार का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद् (बी0आई0एफ0आर0) को संदर्भित किया गया है जिनके निर्देशानुसार परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है । पुर्नवास योजना प्राप्त होने पर उसके समस्त पहलुओं पर गहन परीक्षण एवं विचार विमर्श के उपरान्त ही प्रस्तुत प्रकरण पर कोई निर्णय सम्भव है ।

इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, उत्पादन क्षमता से कम उपयोग पर यह फैक्टरियां चल रही हैं, इसके क्या कारण हैं, जबकि वहीं पास में जो फैक्टरियां लगी हुई हैं, बिड़ला की कनोडिया की और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की अन्डरटेकिंग एन0टी0सी0पी0 है, यह अपनी क्षमता से कहीं अधिक पर चल रही है । जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़कर टेक्नोक्रेट्स इन निगमों में आये हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़े लोग बिड़ला, कनोडिया और एन0टी0 सी0पी0 में गये हैं, जिस समाज से चलकर श्रमिक इन निगमों में गये हैं वहीं समाज के लोग बिड़ला, कनोडिया और एन0 टी0 सी0 पी0 में गए हैं । हमारी फैक्टरियां 40 प्रतिशत से नीचे चल रही है उनकी फैक्टरियां 140 प्रतिशत से ऊपर चल रही हैं इसके क्या कारण हैं ?

श्री मो0 आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य की शिकायत सही है । इस पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है । जो निर्णय लिये गये, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया और जो निर्णय लिया वह उससे भी भयानक निकला । ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्टरियां चल रही हैं उनमें फायदा है । सीमेंट इण्डस्ट्री में अब इतना फायदा नहीं है, जितना पूर्व में था, अब वह इण्डस्ट्री घाटे में चल रही

है । हमारे निगम में जो घाटे की बात है, उन घाटे को कम करने के लिये, हम उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं । यहां हमने माना है कि घाटे में हैं । यह कमियां हैं, दूर होनी चाहिये । उनको दूर करने का प्रयास किया जायेगा ।

इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, यह बात सही है कि यह घाटे में हैं । जो प्रबन्धतंत्र में ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी प्रतिभाओं का सही उपभोग नहीं किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में जितने निगम हैं वह किसके हाथ में हैं, प्रबंध तंत्र किसके हाथ में है ?

श्री अध्यक्ष–

वैसे तो उत्तर आ गया है लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप तो खुद चेयरमैन रह चुके हैं । आप शिकायत करेंगे, जिसकी तरफ से गलती हो रही है तो कार्यवाही की जायेगी । आप तो जानते हैं कि सरकारी निगम हैं, वही इसकी मुखिया है, वही इसकी जवाबदेह है । और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह निगमों के निकम्मेपन का सबूत है ।

कानपुर, वाराणसी आदि स्थानों तथा प्रदेश के पूरे हिस्से में कथित साम्प्रदायिक विद्वेष फैलने की आशंका

*2–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि कानपुर, वाराणसी आदि स्थानों पर अचानक अशान्ति फैल जाने, दंगा हो जाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसी परिस्थितियों के संबंध में क्या राज्य पुलिस प्रशासन को किसी सामाजिक/राजनीतिक/गैर राजनीतिक/प्रतिबंधित संगठन के लिप्त होने के प्रमाण/संकेत मिले हैं ? क्या सरकार बताएगी कि अचानक पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक विद्वेष फैल जाने के कारक तत्वों के संबंध में राज्य सरकार के अभिसूचना विभाग ने क्या कारण बताए हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

पूरे प्रदेश में अचानक साम्प्रदायिक विद्वेष फैल जाने की बात सत्य नहीं है । अतः अभिसूचना विभाग द्वारा कारण बताये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैं उन्नाव जनपद से चुनकर आता हूं । पड़ोस में कानपुर में एक बहुत बड़े अपराधी की हत्या हो गयी थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुलूस निकाला गया था, प्रदर्शन किया गया था, यहां तक कि जो संवैधानिक संस्था के हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनकी कार को भी तोड़ा । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जांच के समय भाजपा को दोषी पाया है, क्या ऐसे कोई संकेत मिले हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, एक अपराधी की हत्या वहां हुई थी जिसके कारण कुछ आक्रोश भी वहां पर हुआ था लेकिन हमने साम्प्रदायिक विद्वेश जैसी कोई बात वहां पर फैलने नहीं दी और यह सब प्रशासन की सक्रियता के कारण हुआ ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि कानपुर शहर में एक अपराधी की हत्या होने के बाद कुछ साम्प्रदायिक ताकतों ने अशान्ति फैलाने का काम किया । मेरी स्पष्ट जानकारी है कि उस अपराधी की हत्या के बाद आर0 एस0 एस0 विश्व हिन्दू परिषद् एवं भाजपा ने पूरे शहर में दंगे फैलाने का काम किया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अशान्ति फैलाने का काम किया, प्रदेश को दंगे में झोंकने का काम किया इसकी जानकारी मिलने के बाद सरकार ने कोई गम्भीर कदम उठाया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जिस घटना का संदर्भ ले रहे हैं माननीय सदस्य उसकी काफी चर्चा सदन में हो चुकी है और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के सामने साम्प्रदायिक शक्तियों की हिम्मत नहीं है कि वातावरण को विषाक्त करने की कोशिश करें । वहां पर थोड़ा आक्रोश व्याप्त हुआ और अशान्ति फैलाने का प्रयास किया गया लेकिन साम्प्रदायिकता नहीं फैलने पायी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं जैसा कि उत्तर दिया गया कि कोई तथ्य नहीं आये लेकिन क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि इस प्रदेश में पाकिस्तानी खुफिया तंत्र और उग्रवादी तंत्र सक्रिय है । जो पाकिस्तानी हमारे प्रदेश में आये इसकी स्वीकारोक्ति शासन की ओर से एवं केन्द्रीय सरकार की ओर से की गयी । केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रभावी कार्यवाही करने को भी कहा । क्या इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सरकार कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए हर तरह से सतर्क होकर रखे हुए है । जो माननीय गुप्त जी ने प्रश्न किया है, ऐसे संवेदनशील मसले पर इस प्रश्न के माध्यम से कुछ कहना ठीक नहीं है ।

प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ निगमों अथवा उपक्रमों के निजीकरण का विचाराधीन मामला

*3–श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ निगमों अथवा उपक्रमों को निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से निगम अथवा उपक्रम हैं तथा उनको निजी क्षेत्र में बेचने के बजाय क्या सरकार घाटे को पूरा करने हेतु कुछ उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कुछ निगमों की कतिपय इकाइयां, जिनकी सूची संलग्न है, के निजीकरण के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । जिन इकाइयों का पुनर्वासन कदापि संभव नहीं है, उनके घाटे को पूरा करना प्रदेश की कठिन वित्तीय की स्थिति में सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 117-119 पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 9 निगमों की 76 इकाइयों को बेचने की योजना सरकार ने बनाई है। यह कह रहे हैं कि निजीकरण में बदल रहे हैं । मेरा स्पष्ट आरोप है कि निजीकरण में बदलना नहीं है, बल्कि उनको बेचने की प्रक्रिया है और बेचने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गयी, इस पर पड़ा हुआ परदा उठाना नहीं चाहते, लेकिन प्रदेश का जनमानस इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इस बेचने की प्रक्रिया के पीछे एक भ्रष्टाचार की बू आ रही है । मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो 9 निगमों की 76 इकाइयों को बेचने का इरादा उन्होंने बनाया है, उन इकाइयों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये कोई कदम या प्रयास सरकार द्वारा किये गये हैं या नहीं । यदि किये गये हैं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह पहले से ही मान लिया गया है कि यह निगम घाटे में हैं, इसका कोई हल निकलना चाहिये । इस तरह के प्रश्न बराबर लगते रहे हैं, इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते रहे हैं कि निजीकरण क्यों नहीं किया गया ? मान्यवर, 2-3 रास्ते हो सकते हैं, या तो यह निगम चलते रहें, या इन निगमों को बंद कर दिया जाय या इनकी चलने वाली इकाइयों में सुधार किया जाय । अब मान्यवर, सुधार की तरफ अग्रसर हैं, उसमें भी मशविरा है । अब जैसा माननीय सदस्य मशविरा देंगे, उस पर भी देखा जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वैसे तो मैं सरकार के इस कदम से सहमत हूं कि जो इकाइयां लाइलाज हो गयी हैं, जिनमें सुधार की संभावना नहीं है तो उनके निजीकरण के बारे में सरकार को विचार करना चाहिये लेकिन सवाल यह है कि हमारे निजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी ? जो कामिर्क मजदूर हैं, उनकी सेवा शर्तों की गारण्टी, किसी को भी वैकल्पिक रोजगार दिये बिना हटाया न जाय, उसी के साथ-साथ वैल्यूएशन करके सरकार को सही मूल्य मिले तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निजीकरण करने के बारे में क्या सरकार ने कोई कमेटी या तंत्र बनाया है जो इस तरह की जानकारी प्राप्त कर रही है कि कौन-कौन इकाइयां हैं, जिनका निजीकरण आवश्यक हो गया है और किन शर्तों पर निजीकरण के रास्ते पर ले जायेंगे ? मजदूरों की सुरक्षा, पूरा पैसा मिल जाय, वैल्यूएशन लगाने का क्या तरीका सोचा गया है, इन सब बातों की जानकारी देने की कृपा करें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ निगम ऐसे हैं, जिनको बन्द किया गया है जैसे चलचित्र निगम । ऐसे कुल 13 हैं । उसमें शासन की नीति यही रही थी कि जो नौकरी में हैं, उनको समायोजित किया जाय । चलचित्र निगम तथा हार्टिकॉ के अधिकांश कर्मचारी समायोजित हो चुके हैं, जो बचे हैं, उनकी प्रक्रिया जारी है, यही उसूल फिर लागू किया जायेगा । जो भी निगम ऐसे होंगे, जिनका निजीकरण होगा, उनमें काम करने वाले लोगों को समायोजित करना सरकार की पहले भी नीति थी, अब भी है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, पहले भी आरोप लगता रहा है कि 5 अरब रुपये की सीमेंट फैक्टरी 27 करोड़ में चली गयी थी, पता नहीं किस वजह से, ऐसे लोग आपकी पार्टी में मेम्बर भी बने हैं । मेरा सवाल गुप्ता जी के सवाल से थोड़ा सा भिन्न है । आपने तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में देने के लिये मूल्यांकन या कीमत निकालने का तरीका आपने क्या बनाया है और ज्यादा कीमत की चीज कम दामों पर प्राइवेट सेक्टर में न चली जाय, इसके लिये क्या तरीका निकाला है कोई कमेटी बनायी है जो इसकी कीमत निकालेगी यह बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, पहले यह तय होना चाहिए कि किन-किन निगमों के साथ ऐसा किया जा रहा है । फिर टेक्नोक्रेट्स की कमेटी होती है जो तय करेगी और जो सरकारी मानक हैं, उन्हीं मानकों पर तय हो जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ घुमा-फिराकर उत्तर दिया, स्पष्ट उत्तर नहीं आया । दो बातें जानना चाहता हूं कि जो कारपोरेशन बन्द किये गये हैं, क्या उनके कर्मचारियों को समायोजित कर दिया गया है ? मान्यवर, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार एक चल-चित्र निगम एवं हार्टिकॉ दो निगमों के कर्मचारियों को समायोजित कर दिया गया है जबकि सात मण्डलीय विकास निगम के कर्मचारियों को समायोजित नहीं किया गया है । इन कर्मचारियों के पे-बिल पर दस्खत हो रहे हैं, उनकी तनख्वाह बन रही है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है । दूसरी बात वैल्यूवेशन के बारे में । अब तक जो कारपोरेशन बेचे गये उनका वैल्यूवेशन सही प्रकार से नहीं किया गया । सीमेंट कारपोरेशन मिट्टी के भाव बेच दिया गया, कर्मचारियों को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन 1991 में जब नई सरकार आयी थी तो उसने फिर सरकारी तंत्र में ले लिया । मैं जानना चाहता हूं कि वैल्यूवेशन करने के लिये आपने कोई तंत्र विकसित किया है । मशीनें, जगीन और रायल्टी आदि देकर वैल्यूवेशन का तरीका क्या है ? वैल्यूवेशन सही करने के रास्ते पर सरकार बढ़ रही है या सीमेंट कारपोरेशन और ए0टी0एल0 की भांति वैल्यूवेशन करेगी । जब ए0टी0एल0 प्रतापगढ़ को बेचा गया तो उसके मालिक को बम्बई से आने भी नहीं दिया, फाईल पर लिख दिया गया कि शांति-व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिये आप मत आइये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, फल का मजा कैसा होगा यह तो पौधा लगने के बाद ही मालूम होगा । इन कारपोरेशन के रेट क्या होंगे यह तो बाद में ही पता चलेगा । .....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इनके लगाये हुए पौधे का फल पहले प्रदेश चख चुका है, इसलिए ज्यादा चिन्ता है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय गुप्ता जी ने कर्मचारियों के समायोजन के बारे में पूछा है तो उसमें अधिकतर लोगों को काम पर लिया जा चुका है और जो रह गये हैं, इन्हें काम दिलाने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जो मेरी चिन्ता है, वही माननीय किरनपाल सिंह जी की चिन्ता है । जो मण्डलीय विकास निगम है उनके बारे में जानना चाहता हूं । उत्तर नहीं दिया न दें लेकिन असली मुद्दा है जो राष्ट्र की सम्पत्ति है उसके वैल्यूवेशन के बारे में सरकार की क्या नीति है ? मैंने आरोप भी लगाया सीमेंट कारपोरेशन और ए0टी0एल0 प्रतापगढ़ के बारे में और माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उत्तर दीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब निगमों का निजीकरण होना तय हो जायेगा उसके बाद दूसरी बात तय होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के साथ शासन किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है । यह बहुत गम्भीर प्रकरण है । क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि जिन कारणों से इनका निजीकरण किया जा रहा है, उसके आड़ में भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, भ्रष्टाचार की उस बू से मुक्ति पाने के लिए इन 76 इकाइयों की वैल्यूवेशन के लिए कोई ठोस प्रक्रिया निर्धारित करके सदन के समक्ष घोषित करेंगे और मान्यवर, अगर इसको निर्धारित करके घोषित नहीं करते हैं तो इसके पीछे इनकी मंशा साफ नहीं है । ये उसी प्रकार से पुराने इतिहास को दोहरायेंगे । जैसे–डाला, चुर्क, चुनार, ए0 टी0 एल0 और सीमेंट कारपोरेशन के घोटाले सामने आए हैं । जनता की गाढ़ी कमाई से ये इकाइयां खड़ी की गयी हैं और जनता की गाढ़ी कमाई की सही कीमत मिले । इस तरह अगर कोई ठोस नीति है या कोई ठोस प्रक्रिया है इस संबंध में अगर माननीय मंत्री जी घोषित नहीं करते हैं तो मान लिया जायगा कि यह पुराने इतिहास को दोहराना चाहते हैं । क्या माननीय मंत्री जी कोई ठोस प्रक्रिया वैल्यूवेशन के सिलसिले में घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय गुप्त जी ने चुनाव के पहले जिस तरह के भाषण पब्लिक मीटिंग में दिए हैं और देते हैं उसी तरह के भाषण यहां भी दे रहे हैं । डाला फैक्ट्री ज्वाइन्ट सेक्टर में दी गयी थी, 51 परसेन्ट जिसमें हमारा था और 49 परसेन्ट उनका था उसमें जो तीन करोड़ रुपए का घाटा हुआ था उसको पूरा करते हुए हमें उत्पादन भी करना था और उसे चलाना भी था । ज्वाइन्ट सेक्टर को लाभ भी अर्जित करना था, जिस तरह की भाषा की नीति है उसी तरह संसाधन के संबंध में है कि घाटे की नीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की नीति लागू करना आपकी भी नीति है । राज्य सरकार की हमेशा परोपकारी नीति रही है और सरकार की नीति भी यही है । श्रीमन् इस संबंध में एक कमेटी बनाकर अधिकारियों की, अगर मंत्रिमण्डल के लोगों का आवश्यक होगा, विचार करेगी, इसमें निर्णय होगा । ऐसे निर्णय नहीं होगा । हमारी सरकार का नारा है और वायदा है एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए । हम बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं और न ही भ्रष्टाचारी के सामने सिर झुकाकर चलते हैं, हम सर उठाकर चलते हैं । माननीय श्री गुप्ता जी का यह आरोप निरर्थक है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है ।

(शोर/व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं इसके विरोध में जनता दल के सदस्यों के साथ इस सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा जनता दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा आरोप निरर्थक नहीं है । वैल्यूवेशन किस तरीके से सरकार ने किया है, इसका कोई जवाब नहीं दिया । इस संबंध में सभी समाचार-पत्रों में आरोप लगाए गए हैं । ए0 टी0 एल0 और सीमेन्ट फैक्ट्री के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

भाजपा के सभी सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

औद्योगिक आस्थान उरई जालौन में स्थापित निजी क्षेत्र के कारखानों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता पर रोजगार देने के कथित निर्देश

*1–श्री चैनसुख भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के उरई स्थित औद्योगिक आस्थान में निजी कारखानों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार में लिए जाने के निर्देश के बावजूद भी इन फैक्ट्रियों में इसका पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है ? क्या शासन द्वारा जिलाधिकारी, जालौन को निर्देशित किया जायेगा कि इन फैक्ट्रियों में केवल स्थानीय बेरोजगार युवकों को ही रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

औद्योगिक आस्थान में स्थापित निजी क्षेत्र के कारखानों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता पर रोजगार देने के निर्देश नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद जालौन के उरई स्थित औद्योगिक आस्थानों में जिले की भूमि खरीदी हुई है और इसी उद्देश्य से फैक्ट्रियां लगाई गई हैं । क्षेत्रीय जनता को, जिले के बेरोजगारों को वहां पर कम की मजदूरी दिलवायेंगी, उन्हें नौकरी दिलवायेंगी ? तो मान्यवर, प्रश्न यह है कि उद्योगों में 80 प्रतिशत पूंजी सरकार की लगी है । क्या सरकार जिले के ही बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए निर्देशित करेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार की जो पूंजी 80 प्रतिशत लगी है, उन फैक्ट्रियों गैल्सको और हिन्दुस्तान लीवर आदि में आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को क्या नौकरियां दिलाई जायेंगी ? तीसरा प्रश्न वहां पर जो है वह ठेकेदारी प्रथा का है । सरकार की नीति के अनुसार रु0 35 उनको रोजगार के मिलना चाहिए जबकि उन्हें 20 या 25 के हिसाब से ही दी जाती है । इस सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहता हूं?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, प्रश्न निजी कारखानों के संबंध में है । निजी कारखानों में यह बाध्यता नहीं की जा सकती है कि लोकल्स को रखा जायेगा या नहीं रखा जायेगा । जो सार्वजनिक इकाइयां हैं उनमें तो ऐसा प्राविधान है और उनमें मजबूर भी किया जायेगा कि लोकल्स को कितना रखा जाय । परन्तु मान्यवर, यह अहम प्रश्न है । यह सच है कि जिस जनपद के बारे में यह प्रश्न किया गया है वहां पर गरीबी अच्छी खासी है । यह जनपद इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड तो नहीं है परन्तु ऐसे गरीब जिलों में बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी इण्डस्ट्री लगाने के लिए उनकी जमीन भी ले लेते हैं । वैसे मान्यवर, न ही यह प्रश्न है और न ही इसका जवाब है । जिस तरह से वहां पर इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और गरीबों की जमीन ली जा रही है परन्तु गरीबी का ग्राफ बढ़ा है । आज दुहरा नुकसान उनको हो रहा है । गरीबी बनी हुई है और पूंजीपति उनकी जमीन

भी ले लिए हैं । देखना यह है कि जिस जिले में उद्योग लग रहा है, उस उद्योगपति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस तरह से वहां पर गरीबी घटे । अब जैसा प्रश्न था, उस हिसाब से हमने उत्तर भी दिया है । माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह अपनी जगह पर सही है ।

श्री चैनसुख भारती–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण कोटे को पूरा कर इस वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो प्राइवेट उद्योग हैं, उनमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री उदल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने पिछड़े हुए जिलों में जो उद्योग शून्य थे, एक योजना बनाई और उस योजना के अन्तर्गत 4 फीसदी ब्याज पर ऋण देने और उसके अनुसार 5 वर्ष तक सेल्स टैक्स न लेने और सस्ते दर पर बिजली व जमीन उपलब्ध करने की एक योजना बनाई । इसके तहत बहुत से पिछड़े हुए जिलों में, हमारे फतेहपुर व जौनपुर का जिक्र यहां पर मंत्री जी ने किया, यहां पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने सरकार से ऋण लिया 4 फीसदी ब्याज पर, टैक्स की छूट ली, बिजली में छूट ली और सस्ते दर पर जमीन ली तथा कुछ उद्योग-धन्धे खोले परन्तु आज वे सारे उद्योग शून्य हो रहे हैं । बेकारी बढ़ रही है । क्या इस संबंध में सरकार फतेहपुर व जौनपुर जिले की जांच करा कर एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वैसे मान्यवर, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है । यह सही है कि पूंजीपतियों ने अपनी पुरानी इण्डस्ट्रीज को बन्द कर दिया । जिन-जिन जिलों में उन्हें मुफ्त जमीन मिली और सरकार से उन्हें छूट मिली उस छूट को उन्होंने ले लिया । मान्यवर, एक क्लाज है, जिसके तहत डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट समझौता करता है कि जिसकी जमीन ली जाती है उस घर के एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा जायेगा । उद्योगपति भी गरीब गांव वालों को बताता है कि आपके गांव को हम जन्नत बनाने जा रहे हैं, यहां पर सारी सड़कें बनायेंगे, अस्पताल बनायेंगे, स्कूल बनायेंगे और हर बच्चे को नौकरी देंगे । जब वह नौकरी मांगने आता है तो उससे कहते हैं आप क्या बी0 टेक0 हैं या आपने इन्जीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक से की है । स्थिति यहां तक होती है कि वह वहां के आदमी को चपरासी व चौकीदारी में भी नहीं रखना चाहते हैं । परन्तु मान्यवर, यह एक अलग समस्या है । इस संबंध में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछ लें, उसका उत्तर मैं दे दूंगा ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है । मुझे अंतिम प्रश्न पूछने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

इसका स्पष्ट उत्तर आ गया है ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां जो फैक्ट्री लगी है क्या उनमें लेबर ला, कम्पनी ला लागू होता है, यदि लागू होता है तो उनके कर्मचारियों को जो उसमें काम करते हैं उनका जीवन बीमा, फण्ड, ग्रेच्युटी आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं ?

दूसरा जो कर्मचारी फैक्ट्रियों में काम करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, फैक्ट्री की ओर से उनको कोई सुविधा देने का प्राविधान है या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रीमन्, सामान्यतः कानून सभी जगह लागू हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है जो ठेकेदारी प्रथा है, जब हमारी सरकार पहले थी, उस समय भी ठेकेदारी को खत्म करने का हमने प्रयास किया, वाकई में अगर कोई शिकायत वह देंगे तो हम श्रम विभाग से जो डी0 एल0 सी0 वगैरह होते हैं, उनसे बात करके दिखवा लेंगे । बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यहां बहस में नहीं आ पाती हैं, माननीय सदस्य को भी जानकारी हो सकता है न हो, लेकिन अगर आप शिकायत इस तरह की करेंगे तो हम इसको दिखवा लेंगे । असलियत में पूंजीपतियों के फिनिशमेन्ट का कोई प्राविजन नहीं है, हां फाइन की बात है जिसे वह दे देते हैं ।

[मंगलवार दि0 22-3-94 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री उदल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं तथा दहेज में मृत्यु के दर्ज मामलों का विवरण

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 90-91, 91-92 तथा 92-93 में सड़क दुर्घटनाएं तथा दहेज मृत्यु के कितने मामले दर्ज हुए ? क्या यह सही है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में उक्त मृत्यु दर अधिक है ? यदि हां, तो इसमें कमी लाने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रदेश में सड़क दुर्घटना तथा दहेज मृत्यु के वर्षवार दर्ज मामलों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	सड़क दुर्घटना	दहेज मृत्यु
1990	16318	1019
1991	16864	1287
1992	16480	1432
1993	12455	1608

(माह सितम्बर तक)

अन्य प्रदेशों की वर्ष 1992 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रदेश में सड़क दुर्घटना के मामले अधिक हुए हैं जिसमें कमी लाने के लिए राष्ट्रीय राज मार्ग एक्सीडेन्ट रिलीफ सर्विस स्कीम का गठन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । दहेज मृत्यु से सम्बन्धित अन्य प्रदेशों की सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि इस प्रकार के मामलों में कमी लाने के शासन द्वारा सक्रिय उपाय किए गए ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, प्रश्न का सीधा-सीधा संबंध लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जहां तक सड़क दुर्घटनाओं का मामला है, सरकार ने स्वीकार किया है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहां सड़क दुर्घटनायें ज्यादा हुई हैं, आंकड़े तो दूसरे प्रदेशों के उपलब्ध नहीं कराये गये लेकिन यह बात स्वीकार की गयी है । अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहां दुर्घटनायें ज्यादा होती हैं तो क्या इस विषय में सरकार ने कोई जांच करवाई है, कोई सर्वे करवाया है, अधिक क्यों दुर्घटनाएं यहां होती हैं ? इसमें कमी लाने के लिए एक्सीडेन्टल रिलीफ सर्विस स्कीम का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह सर्विस स्कीम क्या है ?

दूसरा, दहेज मृत्यु का मामला है । दूसरे प्रदेशों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं हैं, लेकिन 1990 से 1993 तक अपने प्रदेश में जो दहेज मृत्यु के आंकड़े हैं, वह 1019, 1287, 1432, 1608 हैं । इनमें कमी लाने के लिए क्या सक्रिय उपाय सरकार ने किये हैं, यह तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि "ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया" मैं जानना चाहता हूं कि दहेज मृत्यु में कमी लाने के लिये क्या उपाय सरकार कर रही है और उसका क्या परिणाम सामने आया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, राष्ट्रीय राज मार्ग एक्सीडेन्ट रिलीफ सर्विस का जो प्रस्ताव विचाराधीन है, वह क्या है पूरा-पूरा बताना उचित नहीं है । लेकिन उसमें मुख्य बिन्दु यह है कि एक सचल वाहन व्यवस्था होगी और जो फस्ट एड रिलीफ की व्यवस्था की जा सके वह दी जाय ।

मान्यवर, जहां तक दहेज मृत्यु के संबंध में महिला उत्पीड़न का मामला है तो आप कदाचित अवगत होंगे कि एक-एक महिला थानों की स्थापना जितने परिक्षेत्रीय जनपदीय कार्यालय हैं उनमें कर दी गई है और कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, श्रीनगर, बरेली मुरादाबाद फैजाबाद झांसी आदि में इन महिला थानों की स्थापना करने का यही उद्देश्य है कि महिलायें वहां निःसंकोच जाकर अपनी बात कह सकें और रिपोर्ट दर्ज करा सकें । इसके अलावा अपराध अनुसंधान शाखा है वहां भी एक सेल खोली गयी है और वहां भी महिलायें अपनी बात कह सकती हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार विशेष महिला प्रकोष्ठ खोला गया है और उसका उद्देश्य है कि पीड़ित महिलायें वहां जाकर अपना दुःख व्यक्त करें और फिर उनको रिलीफ मिले । लेकिन वाराणसी के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि यहां जो

महिला प्रकोष्ठ अलग से खोला गया है वहां जो महिला अधिकारी हैं वह तो पुरुषों से भी अधिक भ्रष्ट साबित हुई हैं । जो उत्पीड़ित महिलायें वहां जा रही हैं उनकी साधारण रिपोर्ट लिखने के नाम पर उनसे सुविधा शुल्क लिया जा रहा है । तो इस प्रकार का उत्पीड़न उस पर बढ़ रहा है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के महिला उत्पीड़न के मामलों में क्या जबसे महिला थानों का निर्माण हुआ तबसे कोई कमी आयी है? यदि कमी नहीं आयी है तो उसके क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वहां की शिकायत लिखकर दे दें तो उसको हम दिखवा लेंगे । लेकिन शासन की मंशा है कि महिला उत्पीड़न में कमी आये इसलिये प्रत्येक जनपद में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है ।

राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ के क्षतिग्रस्त आवासों के अध्यासियों को आवासों की उपलब्धता के आधार पर समायोजित करने के प्रयास

*3–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बादशाहनगर राजकीय कालोनी, लखनऊ के वे आवास जिनके छत पर कोई निर्माण नहीं है या क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं तथा छत के प्लास्टर टूटने की शिकायतें मिली हैं उनकी मरम्मत का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त छतों के आवासियों को आवास परिवर्तन में प्राथमिकता दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्थिति के आवासों के आवासियों को उनके निवेदन पर आवास परिवर्तन के आदेश दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या एतद्र्थ प्रश्नकर्ता का दिनांक 15 अप्रैल, 1992 का पत्र सचिव, राज्य सम्पत्ति को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

आवासों की उपलब्धता के आधार पर ऐसे आवासों के अध्यासियों को समायोजित करने का प्रयास किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री तेजभान सिंह–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बादशाहनगर राजकीय कालोनी, लखनऊ के आवासों की छत गिरने का चांस है ? यदि हां, तो वहां के आवासियों को अन्यत्र रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ? क्षतिग्रस्त आवासों के मरम्मत की क्या व्यवस्था की गयी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन आवासों में जो निर्माण सामग्री लगी है उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह पुराने आवास हैं और कुछ की मरम्मत की जा रही है । वहां जो कर्मचारी रह रहे हैं यदि उनको अन्यत्र दूर जहां आवास उपलब्ध हैं रहने की व्यवस्था की जाती है तो वह वहां जाते नहीं है, इसलिये खाली किये बगैर आवासों की मरम्मत कैसे की जाए ।

मान्यवर, अब तक घोषित कुल 32 "एल" टाइप के व 15 "यू" टाइप के आवासों की छतें असुरक्षित घोषित की जा चुकी हैं, जिनके विरुद्ध शासन द्वारा अब तक 16 "एल" टाइप एवं "यू" टाइप के (कुल 21) आवासों की छतों के पुनः निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । जिसमें से "एल" टाइप के 12 व "यू" टाइप के 2 (कुल 14) आवासों की छतों का पुनः निर्माण किया जा चुका है । इसके अलावा जहां-जहां आवास खाली हो रहे हैं उनकी मरम्मत की जा रही है और जो आवश्यक होगा वह किया जायेगा ।

प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के समान प्रत्येक वर्ग के छात्र/अभ्यर्थियों को शुल्क मुक्ति दिये जाने की मांग

*4–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों व अभ्यर्थियों को दी जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा शुल्क मुक्ति, यात्रा व्यय आदि की सुविधा समाज के प्रत्येक वर्ग के छात्र/अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान नहीं की गई है । बल्कि सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनसे कम परीक्षा शुल्क लिया जाता है । इस वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्तमान में कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जाता । इस प्रकार शुल्क मुक्ति तथा यात्रा व्यय की सुविधा समाज के अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह तो सर्वविदित है कि रोजगार के मामले में अभी सबने चिन्ता व्यक्त की है, हमारे प्रदेश में लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनको लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ष में कई-कई बार जाना पड़ता है, जिसका उन पर और उनके अभिभावकों पर बड़ा भारी आर्थिक बोझ पड़ता है और बहुत से इस कारण जा नहीं पाते हैं, तो क्या मंत्री जी इन परीक्षाओं को शुल्क मुक्त और मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करायेंगे, ताकि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके?

श्री अवधेश प्रसाद–

जैसा पहले कहा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि परीक्षा भी उनकी निःशुल्क नहीं होती है, उन्हें मात्र उसमें कुछ छूट होती है । तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न के उत्तर में ऐसा कोई प्राविधान नहीं हो सकता है ।

श्री चेतराम–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने और आने के लिए रेल विभाग का पास दिया जाता है, उसमें ज्यादातर हमारे अनुसूचित जाति के लोग शामिल होते हैं, तो क्या उसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पास की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में जाने के लिए हम उसी तरह से करने पर विचार कर रहे हैं ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही करने के बारे में शासन विचार करेगा और साक्षात्कार में जब जाते हैं तो उन्हें मुफ्त यात्रा प्रदान करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, ऐसा कोई प्राविधान या विचार उत्तर प्रदेश में नहीं है ।

श्री बच्ची सिंह रावत–

कल हम पूरे प्रदेश में समता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर क्या आप भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना प्रस्तावित करेंगे, जिससे हमारी युवा प्रतिभा को प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका मिल सके ?

श्री अवधेश प्रसाद–

इस प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए और बेरोजगार नवयुवकों को अवसर देने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और इसका दृढ़ संकल्प रखते हुए शासन की तरफ से बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारी तमाम योजनाएं विचाराधीन हैं ।

*5–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*6–श्री हरेन्द्र सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद टिहरी गढ़वाल में पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास

7—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र हैं ? इन पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र में कितने पशु चिकित्सकों एवं कितने स्टाक मैनों के पद रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार इन पदों की भर्ती करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)—

जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल 34 पशु चिकित्सालय एवं 72 पशु सेवा केन्द्र है।

इन संस्थानों पर 24 पशु चिकित्साधिकारियों एवं 20 पशुधन प्रसार अधिकारियों (स्टाक मैन) के पद रिक्त हैं ।

राज्य सरकार विभाग में पशु चिकित्सकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयत्नशील है और इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । उत्तरांचल क्षेत्र में पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अभ्यर्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर ही उनकी तैनाती संभव है ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि वर्षों से जनपद टिहरी गढ़वाल में 34 चिकित्सा अधिकारियों के पदों में से 24 पद रिक्त पड़े हैं ? जब यह पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं तो पशु अस्पतालों में कैसे काम किया जा रहा है ? दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा है कि सरकार इसके लिये प्रयत्न कर रही है ? तो कौन से प्रयत्न कर रही है ? मैं जानना चाहता हूं ।

श्री मनोहर लाल—

यह सवाल तो अपनी सरकार से पूछना चाहिए था । जिस समय बी0जे0पी0 की सरकार थी..

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, केवल इतना बता दीजिये कि प्रयास क्या किये जा रहे हैं ?

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह सुनना ही नहीं चाहते । यह जो पद रिक्त पड़े हैं, तीन महीने से नहीं 2/3 साल से खाली पड़े हैं हमने यह भरने का प्रयास किया है । पशु लोक ऋषिकेश में 75 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण 31 मई को समाप्त हो जायेगा । उसके बाद रिक्त पदों को भर देंगे ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं । यह प्रशिक्षण आप पशुधन प्रसारण अधिकारी का दे रहे हैं । टिहरी गढ़वाल जनपद में पशु चिकित्सक के पद रिक्त पड़े हैं, उसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं ? उनकी पूर्ति कैसे करेंगे?

श्री मनोहर लाल–

बी0जे0पी0 की सरकार ने

(शोरगुल होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले उत्तर सुन लीजिये ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में 402 पशु चिकित्सक के पद हैं उनमें से कुछ पशु चिकित्सकों की जगह विगत 3 सालों से खाली है और पिछले सालों में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । इस सरकार के बनने, मुलायम सिंह जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद कार्मिक विभाग [xxx]

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न ले लिया है आप लोग प्रश्न न करें अपनी सीट पर बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

हम मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात सुन लीजिए ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर)

आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

इस प्रश्न की मूल भावना यह है कि सभी पद रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं ? क्या इन पदों को भरने के लिए कोई प्रयास किया गया है ? यदि कोई प्रयास किया जा रहा है तो वह प्रयास क्या है और किस स्तर का है ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, आपने कृपा की, लेकिन मान्यवर, जो सदस्य उत्तेजित होकर खड़े हो रहे हैं उसका कारण दूसरा है । सवाल दोहराया तो उत्तर आना चाहिए । [xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं कहना चाहिए था ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने हो सकता है न सुना हो ध्वनि व्यवस्था गड़बड़ है । आप इसको दिखवा लें यह शब्द कार्यवाही में अंकित हो चुका है । यह शब्द कार्यवाही में अंकित न हो इस बात से आप सहमत होंगे । यह उत्तर प्रश्न से संबंधित नहीं था । लांछन और आरोपित जो किया है इसको कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष–

जो लांछन लगाया जा रहा है वह शब्द कार्यवाही में आया है तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

*8–श्री अजय कुमार पोद्दार–

[7वें सोम में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों पर अवर वर्ग सहायकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*9–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों के रिक्त पदों पर अवर वर्ग सहायकों को पदोन्नति प्रदान करने की शासन की नीति क्या है ? क्या उस पदोन्नति नीति में वर्तमान समय में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि नहीं, तो विगत कई वर्षों से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों की पदोन्नति न किये जाने का क्या कारण है ? पदोन्नति पर किन नियमों के अन्तर्गत रोक लगी है ? क्या उक्त लगी हुयी रोक को सरकार कर्मचारियों के हित में तत्काल हटाने का आदेश करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों पर अवर वर्ग सहायकों की पदोन्नति उ0 प्र0 सचिवालय लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 के नियम-21 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रवर वर्ग सहायक पद पर वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 के चयन वर्ष के लिए 231 पदों के विपरीत 225 अवर वर्ग सहायकों की नियमित पदोन्नति की जा चुकी है । शेष रिक्त पदों पर चरित्र-पंजिका तथा अन्य सेवा अभिलेख शाखाओं से उपलब्ध न होने के कारण, नियमित चयन नहीं किया जा सका है ।

नियमित पदोन्नति पर कोई रोक नहीं लगी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के बुनकरों के अतिदेयों से राहत दिलाने की मांग

*10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुनकरों के ऋण मुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बुनकरों को अतिदेयों से राहत दिलाये जाने के संबंध में शासन द्वारा दिनांक 7-10-93 एवं 11-10-93 को आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान देश के प्रधानमंत्री द्वारा इन बुनकरों की ऋण मुक्ति की घोषणा की गई थी । उस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र की सरकार की ओर से जो अंशदान दिया जाना था । वह भेजा जा चुका है या नहीं । यदि भेजा जा चुका है तो राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान उसमें पूरा करके बुनकरों को ऋण से मुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने पहले ही आपसे बतला दिया कि दोनों शासनादेश मेरे पास हैं दोनों शासनादेश बहुत लम्बे-लम्बे शासनादेश हैं कहें तो मैं आपको पढ़कर सुना दूं । एक 7-10-1992 का व दूसरा 11-10-1992 का । जो मानक निर्धारित हो गए हैं उन मानकों के आधार पर जो बकाया या सूद है वह लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मेरी बात को सत्य मानते हुए कि पिछले दिनों कार्य-स्थगन जब इस पर उठाया गया था तो संसदीय कार्य-मंत्री ने घोषणा की थी कि बुनकरों के लिए जितना केन्द्र सरकार ने अपना अंशदान दिया है उस अंशदान और प्रदेश सरकार का अंशदान जोड़कर बुनकरों की ऋण वसूली की जो कार्यवाही हो रही है उसको रोकने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने कितना अंशदान दिया था और राज्य सरकार ने अब तक कितना अंशदान उसमें मिलाया । दूसरा 7-10-1992 और 11-10-1992 को आदेश भेजे गये थे उन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन बुनकरों पर रुपया बकाया है उसकी वसूली न हो, इसका पालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

21-2-1994 तक 22.2 करोड़ सहकारी बैंकों तथा 20.32 लाख व्यवसायिक बैंक के द्वारा अंशदान से प्राप्त हो गए हैं ।

बुनकरों द्वारा लिए गए ऋण 31 मार्च, 1990 से मानकर 23 लाख का भुगतान उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से किए जायेंगे । योजना के संबंध में भारत सरकार से 24 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से पैसा मिल गया और हमारी तरफ से अंशदान देना था । कोई मानक निर्धारित किए गए हैं वह मानक बताने की कृपा करेंगे ? उन मानकों के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न हुई है या नहीं इसकी जानकारी देने की कृपा करें ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1985 में सरकार ने कानून बनाया कि इनके क्षेत्र का विभाजन कर दिया जाए जिससे हैण्ड लूम और पावर लूम की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए । इस संबंध में कारखाने वाले कोर्ट में गए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया । अब जब याचिकाएं खारिज हो गयी हैं तो इनके क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जाए । इसकी वजह से पावर लूम और हैण्ड लूम की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा होने पर पावर लूम की प्रतिस्पर्धा में हैण्ड लूम नहीं ठहर पाता है । तो इस विभाजन के बारे में कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे बुनकर अपने बने हुए सामान को सही मूल्य पर बेंचे और उनको सुरक्षा मिल जाए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

सबसे ज्यादा बकाया कोआपरेटिव बैंक से है उनमें वो आदेश निर्देशित हो चुके हैं । कर्जे माफ हो चुके हैं लिहाजा अब किसी तरह की देनदारी का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो बुनकरों के ऋण माफ करने की घोषणा हुई थी उसमें मूल धन तथा ब्याज दोनों को माफ करने की बात कही गयी थी । ब्याज को माफ करने की बात मंत्री जी ने बड़े अहिस्ता कह दी कि ब्याज से मुक्त कर दिया गया है । केन्द्र सरकार ने अपना अंशदान 24 करोड़ रुपया दे दिया है । राज्य सरकार को अपना अंशदान देना चाहिये और बुनकरों पर मूलधन तथा ब्याज जो बकाया है उसको माफ किया जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि मूलधन से मुक्त करने के लिए आप कौन सा आदेश कर रहे हैं । दूसरी बात मंत्री जी कह रहे हैं कि वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हो रही है । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ऋणों की वसूली में जिलों में उत्पीड़क कार्यवाहियां की जा रही हैं और बुनकर घरों को छोड़कर भाग रहे हैं । आपके शासनादेश का कोई असर नहीं है । क्या इस बात को सच मानते हुए आप कोई अन्य आदेश भेजेंगे कि वसूली रोकी जाय और किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न की मूल भावना को मैंने समझा है । मुझे यह अंदाजा था कि माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न किया जायगा इसलिये मैंने आज सुबह सचिव सहकारिता को बुलाकर उनसे जानना चाहा कि जिलाधिकारियों को कोई आदेश पूर्व में गया है या नहीं । उनसे यह बात कन्फर्म हुई कि डी0 एम्स् को आदेश गया है । इसके अलावा मैंने आज ही पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को सख्ती से लिखा है कि जो भी कोई बुनकरों से पैसा मांगने जाय, वसूलीयाबी के लिए, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें । इसके अलावा मैंने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें कहा है कि अगर

कई बुनकरों से पैसा मांगने जाता है तो वह फर्जी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न की जो मंशा थी उस पर कार्यवाही हो चुकी है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि 7-10-93 तथा 11-10-93 को बुनकरों के प्रति उत्पीड़न की कार्यवाही न करने के आदेश जारी किये गये थे, लेकिन वसूली के लिए राजस्व परिषद् ने भी आदेश भेजे हैं, वह आदेश क्या है ? क्या यह सत्य है कि आपके आदेशों की अवहेलना करके राजस्व परिषद् के आदेशों को मानकर बुनकरों से कठोरता से वसूली हो रही है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा है कि इस संबंध में आदेश कर दिये गये हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है । आपने जो आदेश वसूली रोकने का दिया है उसका रोकने का मानक क्या है और राजस्व परिषद् ने जो वसूली करने का आदेश दिया है वह मानक क्या है, दोनों मानकों में अंतर बताने का कष्ट करें ? प्रेस नोट जारी करने से वसूली कैसे रुक जायगी ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कि मानकों के अनुसार ऋण मुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है । माननीय सदस ने अभी पूछा है कि मानक क्या है । मान्यवर, ऐसा लगता है कि कुछ बुनकरों के ऋण माफ हो रहे हैं और कुछ के नहीं हो रहे हैं और स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जो बुनकर हैं और जिन्होंने कर्जे लिये हुए हैं क्या उनका मूलधन और ब्याज आफ माफ कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं, तो किन-किन कटेगिरी के बुनकरों के कर्जे माफ कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बुनकरों को अतिदेयों से राहत दिलाये जाने के संबंध में शासनादेश जारी किये जा चुके हैं, तो जाहिर है कि बुनकरों की राहत के लिए यह हुआ था । मान्यवर, आप कहें, तो पढ़कर सुनाये देता हूं, बहुत लम्बा पेज है । मान्यवर, शासनादेश पढ़कर सुना दूं, यह चार पेज का है ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इतना बता दें कि बुनकरों के ऋण मुक्त करने जा रहे हैं या कुछ के ऋण मुक्त करने जा रहे हैं, वे किस कटेगिरी में आते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं पढ़े देता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, किन-किन कटेगिरी के बुनकरों के ऋण माफ किये गये हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, बुनकरों के कितने कर्जे माफ करने जा रहे हैं और जिनके कर्जे माफ करने जा रहे हैं, वे किस श्रेणी के हैं ?

श्री मो0 आजम खां–

मान्यवर, मान्यवर, 7-10-93 और 11-10-93 के शासनादेश के अनुसार सारे बुनकरों के कर्जे माफ हो गये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार असत्य बोल रही है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह सरकार की तरफ से सरासर झूठ है । मान्यवर, बुनकर अपने घर छोड़े हुए हैं । सरकार की इस नीति के विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार बुनकरों के कर्जे माफ नहीं कर रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । सरकार की इस नीति के विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री किरनपाल सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरे जाने की मांग

*11–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर आरक्षण कोटा पूरा करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त अवशेष पदों को भरने हेतु विशेष चयन आयोजित किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है । उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 द्वारा उपरोक्त व्यवस्था में अभिवृद्धि करते हुये यह व्यवस्था कर दी गई है कि उक्त अध्यादेश की धारा तीन (एक) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी

नोट–नत्थी 'घ' में ता0प्र0सं0 10 में उपदान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, 3 से अनधिक उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाये ।

उपरोक्तानुसार आरक्षित कोटा अपूर्ण रहने का अवसर नहीं रह जाता है ।

प्रदेश में सामान्य व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स जारी किये जाने के संबंध में जानकारी

*12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामान्य व्यक्तियों को उनकी जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने के संबंध में सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार ने शस्त्र लाइसेन्स की नीति में कोई परिवर्तन किया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली–1962 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही सामान्य व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किए जाते हैं । तद्नुसार स्वीकृत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लाइसेन्स स्वीकृति के प्रत्येक प्रकरण में निर्णय लिया जाता है । कोई अन्य योजना शासन में विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं ।

जनपद फैजाबाद के नगर कोतवाली से थाना अकबरपुर के दर्ज मुकदमों का स्थानान्तरण एवं उस पर कृत कार्यवाही

*13–श्री राम अचल राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना कैण्ट, जनपद फैजाबाद में दिनांक 17-6-933 को धारा 328 का कोई मुकदमा घटनास्थल अकबरपुर थाने का कायम हुआ है, जो अकबरपुर कोतवाली में स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुलिस के मुल्जिमानों से मिलकर गवाहों के बयानहल्फी के बाद भी अब तक न तो मुल्जिमों की गिरफ्तारी की है और न अदालत को चार्जशीट भेजी है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मुकदमें में प्रभावी कार्यवाही करने एवं कार्य में शिथिलता बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

धारा 328 भा0दं0वि0 का मुकदमा थाना कोतवाली नगर, फैजाबाद में पंजीकृत होकर दिनांक 18-6-93 को घटनास्थल अकबरपुर होने के कारण नकल चिक व नकल रपट थाना कोतवाली अकबरपुर में प्राप्त हुआ था ।

विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण अभियोग में दिनांक 8-7-93 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठा ।

*14–श्री बालेश्वर यादव तथा श्री ओम प्रकाश–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग निदेशालय के कार्यकलापों के संबंध में जानकारी

*15–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा गठित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग निदेशालय में शासन द्वारा आवंटित कार्य सुचारू रूप से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त निदेशालय द्वारा खादी बोर्ड की मानीटरिंग का कार्य भी बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त निदेशालय द्वारा कब तक उक्त कार्य कराया जाना शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा जनपद हमीरपुर को दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाना

*16–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद को दस्यु प्रभावित जिला घोषित करने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, बल्कि जनपद हमीरपुर दिनांक 5-11-81 से ही दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में कान्स्टेबिल पद पर भर्ती हेतु पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की मांग

*17–श्री भिखसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं0 3195/अ/चालीस-रा0एकी0-77-6(26)/77 दिनांक 8-11-77 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गयी थी, लेकिन शासनादेश सं0 949/आठ-10-1200/136/78 दिनांक 27 फरवरी, 1981 के द्वारा पुलिस विभाग में कान्स्टेबिल के पद पर भर्ती हेतु उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या नई आरक्षण नीति के तहत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के पुलिस विभाग में कान्स्टेबिल पद पर अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एस0आर0टी0सी0 की बसों में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम

*18–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि पश्चिमी उ0 प्र0 में बढ़ते हुये अपराधों तथा मुख्य रूप से उ0 प्र0 एस0 आर0 टी0 सी0 की बसों में यात्रियों की लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए बसों में मेटल डिटेक्टर लगाने की सूचना अति0 पुलिस महानिदेशक (श्री श्रीराम अरूण) ने 9-1-94 के आस-पास किसी दिन बुलन्दशहर प्रवास के समय जनता को दी थी ? यदि हां, तो पूरी व्यवस्था क्या है तथा यह व्यवस्था कब से लागू की जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (श्री श्रीराम अरुण) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते रोड होल्ड-अप के दौरान बस में लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु बसों में मेटल डिटेक्टर लगाये जाने के बजाय बसों में यात्रियों की चेकिंग हैण्ड होल्ड मेटल डिटेक्टर से किये जाने को कहा था । यह चेकिंग आकस्मिक होती है । चेकिंग की यह व्यवस्था दिनांक 4-1-94 से पुलिस द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है ।

*19–डा0 सरजीत सिंह डंग–

[दि0 1-3-94 को नियम 29(4) के ता0प्र0सं0-1 द्वारा उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर के परम्परागत पीतल उद्योग को पुनर्जीवित किये जाने की मांग

*20–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद उद्योग विहीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर उद्योग खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार मिर्जापुर जनपद के परम्परागत पीतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मिर्जापुर जनपद उद्योग विहीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में लघु उद्योग की 5032 तथा बृहद् व मध्यम उद्योग की 5 इकाइयां पंजीकृत हैं । वर्तमान उद्योग नीति के अंतर्गत उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं । जनपद मिर्जापुर की इकाइयों के पंजीकरण का लक्ष्य 385 रखा गया है जिसके विरुद्ध 322 लघु उद्योग इकाइयों का पंजीकरण किया गया है । जनपद के परम्परागत पीतल उद्योग को अन्य उद्योगों की भांति उद्योग विभाग की योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है । हस्तशिल्प सहायता शिविरों में शिल्पियों को बैंकों से ऋण दिलाकर लाभान्वित किया जाता है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बांदा के श्री अजीजुर्रहमान खान शालीमार टेन्ट हाउस द्वारा चुनाव में किये गये ठेका से संबंधित बिलों का भुगतान

1–श्री राम सेवक सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अजीजुर्रहमान खान शालीमार टेन्ट हाउस बांदा को वर्ष 1991 के आम चुनाव में टेन्ट फर्नीचर व भोजन व्यवस्था का ठेका जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था ? क्या ठेके के अनुसार कार्य किया गया था ? यदि हां, तो क्या करवाये गये कार्य का पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें दोषी कौन है ? अभी तक कितना भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है और कितना शेष है ? क्या शेष भुगतान शीघ्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

टेन्ट फर्नीचर व गणनाकारों को हल्के नाश्ते का ठेका अजीजुर्रहमान खान, शालीमार टेन्ट हाउस, बांदा को दिया गया था ।

जी हां ।

टेन्ट फर्नीचर का पूरा भुगतान कर दिया गया है तथा स्वीकृत संख्या से लगाये गये गणनाकारों के हल्के नाश्ते का भी भुगतान कर दिया गया है । स्वीकृत संख्या से अधिक लगाये गये गणनाकारों के नाश्ते का भुगतान अभी नहीं किया गया है ।

स्वीकृत संख्या से अधिक लगाये गये गणनाकारों का भुगतान अभी विचाराधीन है।

कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है ।

टेन्ट फर्नीचर आदि के किराए से संबंधित मे0 शालीमार टेन्ट हाउस के समस्त बिलों का भुगतान कुल रु0 3,17,01=95 का किया जा चुका है । गणना कर्मचारियों के हल्के नाश्ते के लिये रु0 30,778.00 का भुगतान किया जा चुका है और रु0 12,299.54 का भुगतान शेष है ।

शेष भुगतान का प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है और विचारोपरान्त इसके भुगतान का निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद बांदा में सामान्य निर्वाचन वर्ष 1991 में चुनाव हेतु आवंटित धनराशि एवं उसके व्यय की जानकारी

2–श्री राम सेवक सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 के सामान्य चुनाव के लिये बांदा जनपद को कितना धन आवंटित किया गया था ? आवंटित धनराशि किस-किस मद में कितनी-कितनी व्यय की गयी ? कितना-कितना भुगतान किस-किस को किया गया?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991 के सामान्य चुनाव के लिये बांदा जनपद को रु0 34,92,463.75 की धनराशि आवंटित की गई थी ।

आवंटित धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार उल्लिखित मदों पर अंकित व्यक्तियों/फर्मों आदि को भुगतान की जा चुकी है ।

(देखिए नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 120-122 पर)

श्री जे0 पी0 जैन उर्फ मित्तल थाना आलमबाग जनपद लखनऊ के घर हुयी कथित लूट सम्बन्धी पत्र एवं उस पर कार्यवाही

3–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-5-93 को थाना आलमबाग जनपद लखनऊ के अन्तर्गत श्री जे0 पी0 जैन उर्फ मित्तल से एक लाख पचास हजार रुपये की लूट की घटना की जानकारी क्या उसी दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ जिलाधिकारी, लखनऊ तथा पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को दी गयी थी ? क्या अब तक उसमें कोई कार्यवाही हुयी ? यदि हां, तो अब तक कितने अपराधी पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री जयपाल जैन उर्फ मित्तल द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिस पर दिनांक 10-5-93 अंकित था व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22-6-93 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया था । उक्त प्रार्थना-पत्र में दिनांक 5-5-93 की घटना होना व्यक्त किया गया था ।

जी हां । जांच करायी गयी ।

जांच से अपराधिक प्रकृति की किसी घटना के न पाये जाने के कारण किसी की गिरफ्तारी का विधि मान्य आधार नहीं पाया गया ।

पुलिस निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों को उनके गृह परिक्षेत्र में न तैनात किए जाने की नीति

4–श्री जगराम सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस उप निरीक्षकों, निरीक्षकों की तैनाती उनके अपने गृह परिक्षेत्र में की जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या-5001/आठ-1-86 दिनांक 11-7-86 में निहित प्राविधान के अनुसार किसी भी निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक को उसके गृह परिक्षेत्र में तैनात न किये जाने की नीति है ।

जनपद उन्नाव, ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के कटरी इलाके में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

5–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र हसनगंज ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के कटरी इलाके में कुलहागाछा बैरागार आदि जगहों

पर जहां पर पशु चिकित्सालयों का अत्यधिक अभाव है ? क्या वहां पर चिकित्सालय बनाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मनोहर लाल–

पशु चिकित्सालयों के खोले जाने की योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है । जिला योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष आवंटित परिव्यय के सापेक्ष योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से पशु चिकित्सालयों को खोला जाता है और तद्नुसार इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जानी है ।

6–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दि0 21-3-94 को अता0 प्र0 सं0 178 द्वारा उत्तरित]

जनपद हमीरपुर में वर्ष अपराधिक मामले में तीन दिन के अन्दर लगाई गई अन्तिम रिपोर्ट तथा अन्य विवरण

7–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में पिछले नवम्बर 1993 से जनवरी 1994 तक कितनी अपराधिक एफ0 आई0 आर0 में विवेचना के पश्चात् तीन दिन के अन्दर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ? क्या ये एफ0 आई0 आर0 नामजद थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रकाशगत अवधि में 7 अभियोगों में 3 दिन के अन्दर विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है ।

उपरोक्त 7 में से 5 एफ0आई0आर0 नामजद थीं तथा दो एफ0 आई0 आर0 अज्ञात पंजीकृत हुई थीं । विवेचना से जुर्म प्रमाणित न होने के कारण उनमें अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

उत्तर प्रदेश के बुनकरों की ऋण माफी की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

8–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के बुनकरों की ऋण माफी की कोई योजना प्रदेश सरकार की है ? यदि हां, तो किस स्तर के ऋण और कब से माफ किए जायेंगे ? क्या विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी की गयी आर0 सी0 (वसूली) तात्कालिक प्रभाव से स्थगित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अर्द्ध शहरी व शहरी क्षेत्र के बुनकरों को अतिदेयों से राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 7-10-93 एवं 11-10-93 को आदेश निर्गत किए जा चुके हैं । सहकारी एवं व्यवसायिक बैंकों की ऋण माफी के आदेश सहकारिता विभाग के शासनादेश संख्या 2214/12सी-1-1990 दिनांक 30-6-90 जोकि ग्रामीण

क्षेत्रों के बुनकरों, श्रमिकों, कृषकों आदि के संबंध में वर्ष ऋण राहत योजना हेतु जारी किये गये थे, के अनुरूप हैं । उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 वित्तीय निगम एवं शासकीय ऋणों के ब्याज की माफी का प्राविधान भी इन शासनादेशों में किया गया है । योजना के अन्तर्गत सहकारी एवं व्यवसायिक बैंकों से लिये गये रु0 10,000/- तक की धनराशि को माफ किए जाने का निर्णय लिया गया है । इसमें मूलधन तथा दिनांक 2-10-89 तक का देय ब्याज दोनों सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त वित्तीय निगम के अतिदेयों के सम्बन्ध में यदि ऋण की समस्त मूलधन राशि हथकरघा बुनकरों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1994 तक भुगतान कर दी जाती है तो दिनांक 31-3-90 तक देय साधारण ब्याज शासन द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान रखा गया है । शासकीय ऋणों के सम्बन्ध में भी समस्त मूलधन राशि दिनांक 31 मार्च, 1994 तक जमा करने पर उनके द्वारा लिये गये ऋण के मूल धन पर ब्याज की धनराशि माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है । वित्तीय निगम के एवं शासकीय ऋण एक मुश्त जमा न कर पाने की स्थिति में मूलधन राशि का 25 प्रतिशत दिनांक 31 मार्च, 1994 तक जमा कर देने पर शेष 75 प्रतिशत धनराशि 10 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित 12 समान किस्तों में दिनांक 31 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गयी है ।

राजस्व विभाग द्वारा टेलेक्स सं0-5024/1-7-93/राजस्व-7 दिनांक 3-8-93 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया है कि बुनकरों से ऋण वसूली हेतु कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय ।

श्री श्रवण कुमार पटवा पुत्र श्री हीरा लाल निवासी मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती; जनपद बस्ती द्वारा दर्ज मुकदमें में कृत कार्यवाही

9—श्री बाबूराम वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रवण कुमार पटवा पुत्र श्री हीरा लाल निवासी मंगल बाजार, थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-8-93 का प्राप्त हुआ है, जो कि अपराध सं0 148 सन् 1993 थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के तफ्तीश के संबंध में है ? क्या अपराध सं0 148/93, थाना पुरानी बस्ती का तफ्तीश कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त अपराध सं0 148/1993 थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के अभियुक्तों के खिलाफ अन्य मुकदमे अपराध सं0 257/93, अ0 सं0 256/93, अ0 सं0 247/93, अ0 सं0 258/93 दर्ज हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी नहीं । प्रश्नगत विवेचना परिस्थितियोंवश कई क्षेत्राधिकारियों को दिए जाने के कारण व क्षेत्राधिकारी झांसी के स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप न हो सकी ।

जी हां । सम्प्रति विवेचना प्रचलित है ।

लखनऊ के राजकीय आवासों पर पूर्व मंत्रिगणों के कब्जों की संख्या तथा बेदखली की कार्यवाही

10–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आवासों पर कितने पूर्व मंत्रिगण अवैधानिक रूप से कब्जा किये हुये हैं ? उन पर किराये का कितना-कितना धन बकाया है ? क्या सरकार उक्त विषयक सूची सदन के पटल पर रखेगी ? कब्जा हटाने के प्रयास क्या हुये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आठ ।

बकाया किराए का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

संलग्न विवरण में क्रम संख्या-1 से 7 पर उल्लिखित मामलों में बेदखली की कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी किन्तु इन मामलों में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने तथा स्थगनादेश प्रभावी होने के कारण कब्जे हटाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

क्रम संख्या-8 पर उल्लिखित मामले में आवास रिक्त कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(सूची के लिए देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 123 पर)

प्रदेश में बलात्कार एवं अपहरण की घटनाओं में आंशिक वृद्धि तथा नियंत्रण की प्रभावी कार्यवाही

11–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद हत्या, डकैती, बलात्कार एवं अपहरण की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुयी है ? यदि हां, तो इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, बल्कि बलात्कार एवं अपहरण की घटनाओं में आंशिक वृद्धि हुई है। आवश्यकतानुसार प्रभावी कदम उठाये जाते हैं ।

श्रीमती केतुकी देवी पत्नी स्व0 राम शंकर सिंह, कान्स्टेबिल ग्राम व पोस्ट रिजाबली, जिला एटा को नवीनतम दरों पर पेंशन भुगतान

12–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती केतुकी देवी पत्नी स्व0 राम शंकर सिंह, कान्स्टेबिल ग्राम व पोस्ट रिजाबली, जिला एटा को कितनी पारिवारिक पेंशन मिल रही है ? क्या उक्त पेंशन नवीनतम दरों पर आगणित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब-तक नयी दरों पर भत्तों सहित पेंशन दे दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमती केतुकी देवी पत्नी स्व0 कां0 राम शंकर सिंह निवासी ग्राम व पो0 रिजाबली जनपद एटा को कुल रु0 739 पेंशन का भुगतान कोषाधिकारी, एटा द्वारा किया जा रहा है ।

जी हां ।

लखनऊ नगर में अलीगंज मुहल्ले के पुराने हनुमान जी के मंदिर के पास नजूल की भूमि पर बसी हरिजन बस्ती में की गयी तोड़-फोड़ की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

13–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ नगर में अलीगंज मुहल्ले के पुराने हनुमान जी के मन्दिर के पास 3 एकड़ की नजूल की भूमि पर हरिजन बस्ती है तथा हाजरा नाम की महिला के नेतृत्व में सैकड़ों गुण्डों ने इस बस्ती में तोड़-फोड़ की, झोपड़ियां गिरा दीं, लोगों को मारा-पीटा ? क्या इसकी रिपोर्ट थाने पर लिखी गयी है ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही दोषी लोगों के विरुद्ध की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्रीमती हजारा खां (हजारा खातून) द्वारा हरिजन परिवारों के राशन कार्ड बनवाने के प्रयास को विफल करने हेतु दिनांक 25-1-94 को राम विलास व अन्य के विरुद्ध थाना अलीगंज लखनऊ पर मु0अ0सं0-48/94 धारा 504/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया था । इसके विपरीत दिनांक 25-1-94 को ही श्री किशोर पुत्र श्री सिरदार द्वारा श्रीमती हाजरा खातून (हाजरा खां) आदि के विरुद्ध मु0अ0सं0 48ए/94 धारा 353/427/323/392/325/504/147 भा0दं0वि0 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ पर पंजीकृत कराया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को भगा देने, तोड़-फोड़ करने, झोपड़ियां गिरा देने व मारपीट करने की शिकायत अंकित की गयी थी ।

जी हां । उपरोक्त पंजीकृत किये गये दोनों अभियोग विवेचनाधीन है ।

इसी संदर्भ में दिनांक 8-2-94 को सक्षम न्यायालय की धारा 144(3) द0प्र0सं0 के अधीन कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेजी गयी है तथा शान्ति भंग के सम्बन्ध में दिनांक 8-2-94 को ही धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चालानी रिपोर्ट न्यायालय भेजी जा चुकी है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन हड़पने की शिकायत पर सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांग

14–श्री रामकुमार शुक्ल–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्राम सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में हरिजन तथा पिछड़े लोग गत 100 वर्षों से रह रहे हैं तथा यहां की 158 बीघा भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा 4 एकड़ भूमि पर गांव बसा हुआ है ? यदि हां, तो उनकी भूमि तथा घर को क्या कुछ दबंग लोग हड़पना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें सुरक्षा देने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से उक्त गांव में सशस्त्र पुलिस पिकेट 24 घन्टे हेतु लगा दी गयी है ।

15–श्री राम कुमार शुक्ल–
[5वें मंगल के लिए स्थगित]

लखनऊ स्थित राजकीय कालोनी एशबाग के कतिपय टूटी छतों की मरम्मत कराए जाने की मांग

16–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एशबाग राजकीय कालोनी, लखनऊ में कतिपय टूटी छतों का समतलीकरण कराकर फर्श बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1994 अधिशासी अभियंता अनुरक्षण खण्ड-3 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र एवं संलग्नकों के प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? तदनुसार छतों के समतलीकरण/फर्श बनाए जाने का कार्य कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । एशबाग राजकीय कालोनी के आवास संख्या-एल-60 एवं 62 की छतों में समतलीकरण कराकर कंक्रीट का कार्य व छतों के फर्श बनाए जाने की मांग की गई है।

धनाभाव के कारण वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के गठन के बाद कथित जातीय दंगे

17–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद 31 जनवरी, 1994 तक कितने जातीय दंगे हुये ? इसमें कितनी हत्यायें तथा बलात्कार हुये तथा कितनी सम्पत्ति की क्षति हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान सरकार के गठन के बाद 31 जनवरी, 1994 तक प्रदेश में कोई जातीय दंगा नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में पशु डाक्टरों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में जानकारी तथा उनको शीघ्र भरे जाने की मांग

18–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कितने पशु डाक्टरों के पद रिक्त हैं और उनको भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जनपद प्रतापगढ़ में पशु चिकित्साधिकारियों के 14 पद रिक्त हैं । राज्य सरकार विभाग में पशु चिकित्सकों के सभी रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए प्रयत्नशील है और इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजातियों की भांति समूह 'क' 'ख' 'ग' की सेवाओं में पदोन्नतियों से भरे जाने वाले पदों में पिछड़े वर्गों के कर्मियों को आरक्षण की मांग

19–श्री राकेश रुचान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति, जन जातियों की भांति समूह "क" "ख" "ग" की सेवाओं में पदोन्नतियों से भरे जाने वाले पदों में पिछड़े वर्गों के कर्मियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या पिछड़े वर्गों के कर्मियों को भी पदोन्नतियों में आरक्षण की सुविधा दिये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पदोन्नतियों में पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण उपयुक्त नहीं पाया गया है ।

नगर महापालिका लखनऊ के अन्तर्गत बल्दी खेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

20–श्री सतीश भाटिया–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ अन्तर्गत बल्दीखेड़ा में पशुओं की काफी संख्या को देखते हुए क्या सरकार वहां एक पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

पशु चिकित्सालयों के खोले जाने की योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है । जिला योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष आवंटित परिव्यय के सापेक्ष योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से पशु चिकित्सालयों को खोला जाता है और तदनुसार इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जानी है ।

21–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[तीसरे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आग्नेयास्त्रों के मृतक अनुज्ञापियों के उत्तराधिकारियों को अस्त्र लाइसेन्स दिए जाने का प्राविधान

22–श्री दशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आग्नेयास्त्रों के मृतक अनुज्ञापियों के उत्तराधिकारियों को लाइसेंस देने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो जनपद वीरी में मृतक अनुज्ञापियों के उत्तराधिकारियों की पूर्ण पत्रावलियों का निस्तारण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आग्नेयास्त्रों के मृतक अनुज्ञापियों के उत्तराधिकारियों को शस्त्र लाइसेन्स आयुध अधिनियम एवं आयुध नियमावली के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया जाता है ।

ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है जिसमें समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हों ।

जनपद खीरी में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के सम्बंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

23–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों के कुल कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ? इन आवेदन पत्रों में से कितने ऐसे आवेदन पत्र हैं जिनमें समस्त औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं ? फिर भी लाइसेंन्स निर्गत नहीं किए गए हैं और क्यों ? क्या सरकार उक्त जनपद से प्राप्त सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले प्रार्थियों को शीघ्र लाइसेन्स प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद खीरी में आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों के 5057 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ।

कोई भी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यवस्थाधिकारी (विधायक निवास-5) लखनऊ के विरुद्ध राज्य सम्पत्ति विभाग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

24–श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यवस्थाधिकारी, विधायक निवास-5 द्वारा श्री विष्णु प्रसाद, फर्राश, विधायक निवास-2, पुराना को दुराचरण के आरोप में निलम्बित कराए जाने एवं निलम्बित होने संबंधी कागज पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने पर विधायक निवास-5 के 36 कर्मचारियों का उत्पीड़न किए जाने संबंधी राज्य सम्पत्ति विभाग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का शिकायती-पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ? क्या उक्त कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

यद्यपि कोई अधिकारी जांच में दोषी नहीं पाया गया फिर भी अधीनस्थ कर्मचारियों से मृदुभाषा का प्रयोग करने तथा उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार ड्यूटी लेने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

25–श्री रंगनाथ–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

26–श्री गजराज सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर व उसके इर्द-गिर्द हुई आपराधिक घटनाएं एवं उसे रोकने की व्यवस्था

27–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर तथा उससे बिल्कुल सटे हुए 15 मीटर तक के क्षेत्र में गत 3 माह में कितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं ? क्या सरकार यह स्थिति असामान्य मानती है ? यदि हां, तो सरकार की इसको सामान्य करने की क्या योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर व उसके चारों ओर 15 मीटर तक के क्षेत्र में गत तीन माह (1-11-93 से 31-1-94 तक की अवधि) में 18 हस्तक्षेपीय व एक अहस्तक्षेपीय अपराध थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़ में पंजीकृत हुए हैं । स्थिति असामान्य नहीं है । फिर भी अपराध को रोकने के लिए विश्वविद्यालय परिसर के चारों ओर मुख्य-मुख्य चौराहों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है तथा परिसर के चारों ओर रात्रि गश्त भी कराया जा रहा है । विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी सम्पर्क रखा जा रहा है ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा "व्यक्तिगत व्यवसायी परीक्षा" का आयोजन

28–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली व्यक्तिगत व्यवसायी परीक्षा, जो पिछले कई वर्षों से आयोजित नहीं हो रही है, क्या इस परीक्षा का आयोजन सरकार द्वारा कराया जाना सुनिश्चत होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा "व्यक्तिगत व्यवसायी परीक्षा" नाम से कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फर्रुखाबाद में राजनीतिक व्यक्तियों को प्रदत्त अंगरक्षकों का विवरण

29—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के गृह जनपद फर्रुखाबाद में जनवरी, 93 से जनवरी, 94 के मध्य अनेक महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तियों को शासन स्तर से प्रदत्त अंगरक्षक जिला प्रशासन द्वारा वापस करा लिये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति से सदन को अवगत करायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान समय में जनपद फर्रुखाबाद में कितने व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा हेतु अंगरक्षक प्रदान किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

मात्र 3 महानुभावों की सुरक्षा हटी, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था ।

जनपद से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 23-2-94 तक 37 महानुभावों को अंगरक्षक प्रदान किया गया गया है ।

लखनऊ में प्रदेश "पुलिस सप्ताह" में भाग लेने हेतु स्थानीय सांसदों एवं विधायकों को निमंत्रण पत्र भेजे जाने के बारे में जानकारी

30—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतिवर्ष लखनऊ में प्रदेश पुलिस का "पुलिस सप्ताह" मनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलिस सप्ताह में परेड में भाग लेने हेतु स्थानीय सांसदों तथा विधायकों को निमंत्रण पत्र दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष उक्त निमंत्रण पत्र दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के थाना ठाकुरगंज के अहमदगंज पजावा में "मरी माता" के मन्दिर को जलाने के बारे में मांगी गयी जानकारी तथा सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

31—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 6 दिसम्बर, 93 को लखनऊ नगर के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अहमदगंज पजावा में दलितों के मध्य "मरी माता" का मन्दिर एक सम्प्रदाय के लोगों ने जला दिया था ? यदि हां, तो उक्त काण्ड में क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस मंदिर को पुनः सरकार द्वारा बनवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । परन्तु दिनांक 20-8-93 को वादी श्री मोहन, निवासी अहमदगंज बजावा ने थाना ठाकुरगंज पर यह सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने "भरी माता" के मंदिर के दरवाजे, खिड़की तोड़कर आग लगा दी जिससे अन्दर रखी दो धन्नियां जल गयीं ।

उपरोक्तानुसार सूचना के आधार पर थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ पर अपराध संख्या 194/93 अन्तर्गत धारा 436/427भा0द0वि0 दिनांक 20-8-93 को ही पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्तों का कोई पता न लगने के कारण अंतिम रिपोर्ट दिनांक 4-9-93 को प्रेषित की गयी ।

जी नहीं । यह मंदिर नहीं अपितु एक टूटी-फूटी कोठरी है जहां कोई मूर्ति आदि नहीं थी ।

कैटिल फीड फैक्ट्री, रामनगर, वाराणसी तथा उससे सम्बद्ध श्रमिक संगठन के बीच सहायक श्रमायुक्त द्वारा कराये गये समझौते का क्रियान्वयन

32–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सामान्य प्रबन्धक उत्पादक सहकारी संघ कैटिल बोर्ड फैक्टरी, राम नगर, वाराणसी तथा उससे सम्बद्ध श्रमिक संगठन कोआपरेटिव सोसायटी इम्प्लाइज यूनियन, वाराणसी) के बीच सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी द्वारा दिनांक 1-7-93 को समझौता विषयक राय दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसे लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक उक्त राय को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ? तत्सम्बन्धी समझौते की कार्यवाही कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो इसे लागू करने में विलम्ब का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्पादक सहकारी संघ कैटिल बोर्ड फैक्ट्री, रामनगर, वाराणसी नामक कोई फैक्ट्री नहीं है बल्कि मैसर्स दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 वाराणसी के अधीन दो इकाईयां (1) फीडर बैलेंसिंग डेयरी, रामनगर (2) कैटिल फीड फैक्ट्री, रामनगर कार्यरत हैं । यूनिट कैटिल फीड फैक्ट्री, रामनगर, वाराणसी तथा उससे सम्बद्ध श्रमिक संगठन के बीच सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी द्वारा दिनांक 1-7-93 नहीं बल्कि 9-6-93 को यह राय दी गई कि संविदाकार के श्रमिकों को वही वेतन तथा अन्य सुविधाएं दिया जाना चाहिए जो उसी प्रकार के कार्य करने वाले सीधे सेवायोजित श्रमिकों को दिया जा रहा है ।

सहायक श्रमायुक्त की उक्त राय का प्रतिपालन सेवायोजकों द्वारा न किये जाने के फलस्वरूप श्रमिक पक्ष द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया । वाद की सुनवाई के दौरान सेवायोजक पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कार्यवाही स्थगित करने का आदेश प्राप्त कर लिया गया है । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश के फलस्वरूप उक्त दोनों प्रतिष्ठानों में दी गई राय का प्रतिपालन नहीं हो सका है ।

प्रदेश में 3 दिसम्बर, 1993 से 9 फरवरी, 1994 तक हुए साम्प्रदायिक तथा जातीय संघर्ष के सम्बन्ध में मांगी गयी जानकारी

33—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 3 दिसम्बर, 1993 से 9 फरवरी, 1994 तक प्रदेश में कुल कितने साम्प्रदायिक तथा जातीय संघर्ष हुए ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में साम्प्रदायिक अथवा जातीय संघर्ष की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी ।

राजकीय कालोनी एशबाग, लखनऊ में कतिपय आवश्यक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलदार हुसैन अन्सारी स0वि0प0 का शिकायती पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही

34—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एशबाग राजकीय कालोनी, लखनऊ के आवासों में कतिपय आवश्यक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में उन्हें तथा मुख्य सचिव को श्री दिलदार हुसैन अन्सारी सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1994 प्राप्त हुए हैं ? उक्त कालोनी के आवासों में जिन सुविधाओं की मांग की गयी है क्या वे सुविधायें लखनऊ नगर के अन्य दो कमरों के आवासों की कालोनियों में उपलब्ध हैं? क्या इसी आधार पर राज्य सम्पत्ति विभाग तथा अनुरक्षण खण्डों द्वारा उक्त कार्य के औचित्य को स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य कराये जाने के लिये वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गयी हैं ? क्या वित्तीय स्वीकृतियां समान सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के आधार पर स्वीकार कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है तथा अध्यासियों को समान सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय कालोनियों के श्रेणी-2 के आवासों में सामान्यतः प्रश्नगत सुविधायें उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रेणी-2 के आवास भिन्न-भिन्न श्रोतों से क्रय अथवा निर्मित कराये गये हैं । लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकती है ।

35—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

[दि 9-3-94 को अता0 प्र0 सं0-166 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 के पशुपालन विभाग में वैक्सीनेटर के पद हेतु हुए साक्षात्कार का निरस्तीकरण

36–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में वैक्सीनेटर पद हेतु वर्ष 1993 में कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने छात्र सम्मिलित हुए ? क्या उनकी कोई चयन सूची बनायी गयी ? यदि हां, तो वह चयन सूची क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

830

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि उक्त चयन निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश सचिवालय की सूचना सचिव शाखा में सूचना निदेशालय के दो लिपिकों को उनके मूल अनुभाग में वापसी

37–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की सूचना सचिव शाखा में कुछ प्रवर वर्ग सहायकों की बजाय सूचना निदेशालय के कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? क्या इन कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग को वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना निदेशालय के दो लिपिकों (एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक कनिष्ठ लिपिक) को जो सूचना सचिव शाखा से सम्बद्ध थे, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5 के आदेश दिनांक 15-2-1994 के अनुपालन में दिनांक 25-2-1994 को पूर्वाह्न में उक्त शाखा से कार्य अवमुक्त कर दिया गया है ।

सेक्टर आई स्थित राजकीय कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में लगे ट्यूबवेल को तत्काल ठीक कराकर चालू कराये जाने की मांग

38–श्री अम्बिका सिंह (गोरखपुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर आई स्थित आर0 एस0 आई0-11 राजकीय कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के परिसर में लगे ट्यूबवेल को तत्काल ठीक करकर चालू करवाने सम्बन्धी एक पत्र दिनांक 15 अगस्त, 1993 शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? क्या उसे अविलम्ब ठीक करवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सुचारू जलापूर्ति हेतु एक बोरिंग तथा एक सबमर्सिबल पम्प लगाया गया है ।

सेक्टर आई स्थित श्रेणी-2 की राजकीय कालोनी अलीगंज, लखनऊ में वाशबेसिन, सिंक और शीशा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

39–श्री अम्बिका सिंह (गोरखपुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर आई स्थित 60 फ्लैट्स वाली, आर0 एस0 आई0-II राजकीय कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के बने लगभग तीन से ऊपर हो गया है किन्तु अभी तक राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अनुमन्य वाशबेसिन, सिंक और शीशा की सुविधा को प्रश्नगत फ्लैट्स में उतलब्ध नहीं कराया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र 6 दिसम्बर, 1993 को राज्य सम्पत्ति विभाग को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार श्रेणी-2 के आवासों में वांछित सुविधायें अनुमन्य नहीं हैं ।

श्री संकठा प्रसाद यादव निवासी पुराना गोरखपुर द्वारा थाना गोरखपुर के मालखाने से बेची गयी सामग्री के विरुद्ध शिकायतीपत्र पर जांच

40–श्री अखिलेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति निवासी पुराना गोरखपुर ने दिनांक 9-2-89 को गोरखनाथ थाने के मालखाने से एक विदेशी बबलेस्काट रिवाल्वर (केस प्राप्टी) देशी विदेशी घड़ियां, पैनासोनिक टेपरिकार्डर आदि बहुमूल्य सामग्री को बेचे जाने की शिकायत की थी ? क्या प्राथमिकी जांच के दौरान श्री यादव द्वारा लगाए गये आरोप सत्य पाये गये ? क्या पूरे प्रकरण की जांच सी0बी0 सी0आई0डी0 लखनऊ को सौंपी गयी ? जांच में पाये गये दोषी कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 क्राइम जांच लखनऊ की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच वर्ष 1990 में सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 को सौंपी गई, थाना गोरखपुर के मालखाना रजिस्टर आदि को अपर पुलिस अधीक्षक सी0बी0सी0आई0 डी0 लखनऊ द्वारा दिनांक 25-8-90 को सील किया गया । सी0आई0डी0 की जांच आख्या अभी प्रतीक्षित होने के कारण किसी अन्य अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विकास खण्ड स्तरों पर हड्डी चमड़ा का कार्य करने हेतु पंजीकृत समितियों का विवरण

41–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूरे प्रदेश में विकास खण्ड स्तरों पर हड्डी चमड़ा का उद्योग करने वाली खादी ग्रामोद्योग के द्वारा ऐसी कितनी समितियां पंजीकृत

हैं, जिनके माध्यम से यह कार्य चल रहा है ? क्या सरकार ऐसे लोगों की समितियों भी पंजीकृत करेगी, जो लोग अनुसूचित जाति के हैं तथा यह कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में विकास खण्ड स्तरों पर हड्डी चमड़ा का कार्य करने हेतु अब तक पंजीकृत समितियों की कुल संख्या 430 है । अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति अपने हाथ से मरे जानवरों को उठाने और उनकी खाल निकालने का कार्य करते हैं, उनकी समितियां भी पंजीकृत की जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जनपद में डायमण्ड सीमेण्ट फैक्ट्री में बेतवा कैनाल प्रखण्ड की नहर निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में जानकारी

42–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री में बेतवा कैनाल प्रखण्ड की नहर का जो अधिग्रहण किया गया है उसका मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों क्या यह भी बतायेंगे कि उसके अधिग्रहण से किसानों को कितना नुकसान हुआ है ? उक्त नुकसान की क्षतिपूर्ति कहां से की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद झांसी में डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री में बेतवा नहर प्रखण्ड की मड़ोरा माईनर के निर्माण हेतु किसी भी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है अपितु डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री द्वारा माईनर के निर्माण में ली गई भूमि स्वत: क्रय कर ली गई थी । श्री नत्थू पुत्र फुल्ले की 0-22ए0 भूमि क्रय करने का अनुबन्ध कर लिया गया था । यह भूमि नहर विभाग को देने तथा मूल नहर मड़ोरा माइनर द्वारा छोड़ी गयी भूमि स्वत: लिए जाने सम्बन्धी विनिमय प्रस्ताव नहर विभाग, गांव सभा तथा डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री के मध्य विचाराधीन है । इस प्रकार इस कार्य हेतु किसी भी व्यक्ति की कोई जमीन अधिग्रहीत नहीं की गई । अत: किसानों को मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर में 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात पुलिस इन्सपेक्टर/सब इंसपेक्टर के जनपद से बाहर स्थानान्तरण की मांग

43–श्री शिवदानी, श्री जमुना प्रसाद मिश्र तथा श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के पुलिस विभाग में ऐसे कितने इन्सपेक्टर/सब इन्सपेक्टर हैं, जो कि विगत 5 वर्ष या अधिक समय से जनपद सुल्तानपुर में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण जनपद सुल्तानपुर के बाहर अन्य जिलों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद सुल्तानपुर में कोई भी निरीक्षक 5 वर्ष या उससे अधिक समय से नियुक्त नहीं है । कुल 5 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस 5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 6 वर्ष से कम समय से नियुक्त है ।

शासनादेश संख्या-5001/आठ-1-86 दिनांक 11-7-86 द्वारा एक जनपद में 6 वर्ष की अवधि का कार्यकाल निर्धारित है । चूंकि उक्त पांचों उपनिरीक्षक अभी 6 वर्ष की नियुक्ति अवधि पूर्ण नहीं किये है अतः स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

44–श्री हृदय नारायण–

[दि0 31-3-94 को अता0 प्र0 सं0 177 द्वारा उत्तरित]

निबंधक राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा कार्मिक अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1993 के उल्लंघन किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

45–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 17 जुलाई, 1993 कार्मिक अनुभाग-3 सचिवालय, लखनऊ द्वारा शासनादेश हुआ था, जिसमें यह उल्लिखित था कि बन्द निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का समायोजन विभिन्न विभागों में करने के बाद ही कोई नई नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य लोक सेवा अधिकरण के निबन्धक (लखनऊ) द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करके, अपने सगे संबंधियों की सीधी भर्ती जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1993 में कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निबन्धक को अन्यत्र हटाते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही कराने जा रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासनादेश संख्या 1718/का-3-93-26/28/93, दिनांक 17 जुलाई, 1993 उ0 प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण नए पदों के सृजन के संबंध में जारी किया गया था ।

सूचना प्राप्त की जा रही है । सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

बदायूं जनपद में टायर रिट्रीडिंग की इकाई स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय विकास निगम से ऋण उपलब्ध कराये जाने की मांग

46–श्री दयासिन्धु शंखधर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुना टायर रिट्रीडर्स प्रा0 लि0 ने बदायूं जनपद के इस्लामनगर उद्योग शून्य क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय विकास निगम, शाखा बरेली में 10 लाख रुपए के ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसे निगम की दिनांक 13-1-92 को स्क्रीनिंग कमेटी में स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव पूर्ण होने के बाद दिनांक 27-11-92 को बोर्ड मीटिंग में बदायूं जनपद के सभी प्रस्तावों के साथ इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि इस प्रकार के उद्योग इस क्षेत्र में काफी लगे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि प्रस्तावित

क्षेत्र के चारों ओर 100 किलोमीटर तक उक्त प्रकार का कोई उद्योग उक्त निगम या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा नहीं लगवाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बदायूं जनपद में तथा इस्लामनगर क्षेत्र में टायरों पर ठन्डी रबर चढ़ाने के वित्तीय निगम की सहायता से उद्योग लगवायेंगे ? यदि हां, तो कितने व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मै0 जमुना टायर रिट्रीडर्स प्रा0 लि0 के टायर रिट्रीडिंग की इकाई स्थापित करने हेतु रु0 10.00 लाख के ऋण हेतु प्रार्थना पत्र वित्तीय निगम के बरेली स्थित कार्यालय में दिनांक 13-1-92 को सम्पन्न पंजीकरण बैठक में पंजीकृत किया गया ।

क्षेत्रीय समिति बरेली द्वारा रु0 9.80 लाख का ऋण स्वीकृत करने की संस्तुति पर दि0 27-11-92 को विचार किया गया और उसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि इस प्रकार की इकाइयों का स्कोप नहीं है । पूरे बरेली मण्डल में वित्तीय निगम द्वारा वित्त पोषित इस प्रकार की कुल पांच इकाइयां हैं । इनमें से चार इकाईयां संतोषजनक स्थिति में नहीं चल पा रही हैं तथा निगम के देयों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं । इसलिए इस प्रकार की कोई नयी इकाई लगाना आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी में डायमंड सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा कथित रूप से अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

47–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में डायमंड सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन, जो कि अनुसूचित जाति के किसानों की है, पूर्ण मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो जिनका मुआवजा शेष है वह मुआवजा उन्हें क्यों नहीं दिया गया है ? यदि मुआवजा दिया जायेगा, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

झांसी जनपद में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है । सम्बन्धित कृषक की भूमि की कीमत दोनों पक्षों की सहमति पर फैक्ट्री द्वारा भुगतान की गयी है । इस फैक्ट्री में एक अनुसूचित जाति के पट्टेदार की 0-12ए0 भूमि ली गई है जिसके बदले में उसे 0-30ए0 उपजाऊ भूमि दी गई है तथा अन्य कृषकों की भूमि बाजारू कीमत देकर रजिस्टर्ड क्रय की गई है तथा उनमें से 6 अनुसूचित जाति के परिवार के व्यक्तियों को नौकरी पर रखा गया है । चूंकि डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री के लिये किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है अतः मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया में जंगल पार्टी व अन्य आपराधिक गिरोहों द्वारा हत्या, अपहरण, लूट व डकैती की घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

48–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में जून, 1993 से जनवरी, 1994 के मध्य जंगल पार्टी व अन्य आपराधिक गिरोहों द्वारा कितनी हत्या-

अपहरण, लूट डकैती की घटनायें हुयी हैं तथा इन अपराधों को रोकने के लिये सरकार कौन सी प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जून, 1993 से जनवरी, 1994 तक की अवधि में जंगल पार्टी द्वारा अपहरण करके हत्या की एक घटना एवं अन्य आपराधिक गिरोहों द्वारा 13 हत्या, 10 लूट एवं 9 डकैती की घटनायें प्रकाश में आयी हैं । इन घटनाओं की रोकथाम के लिए निरोधात्मक गाड़ा बन्दी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही है । संवेदनशील स्थानों पर पी0ए0सी0 एवं नागालैण्ड फोर्स को लगाया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में विकास खण्ड बर्डपुर के ग्राम गाधाट में महुअवा गांव में वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1990-91 में जलाशय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

48(अ)–श्री धनराज यादव–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में विकास खण्ड बर्डपुर के ग्राम गाधाट में महुअवा गांव के पश्चिम जहां स्वतंत्रता से पूर्व कच्चा-पक्का अवरोध बांध बनाकर सिंचाई के लिये जल सम्भरण होता रहा है, बना था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उसी जल सम्भरण क्षेत्र में सन् 1988, 1989, 1990, 1991 में सरकार से सहायता लेकर मत्स्य पालन के लिये जलाशय का निर्माण किसी व्यक्ति ने कराया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत जलाशय के निर्माण पर कितना धन व्यय किया गया ? जल भराव के क्षेत्र में जलाशय निर्माण में सरकारी धन व्यय करने का क्या कारण है ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

मत्स्य पालन हेतु नहीं वरन् पुरानी बन्धी की मरम्मत एवं सिंचाई हेतु खण्ड विकास अधिकारी, बर्डपुर द्वारा केवल 1989–90 तथा 1990–91 में मरम्मत कार्य कराया गया था । प्रश्नगत जलाशय की मरम्मत पर कुल रु0 11,118·00 की धनराशि व्यय की गयी । कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया केवल मरम्मत कराई गयी है ।

जनपद हरदोई के कस्बा संडीला में रात्रि के समय पुलिस गश्त तथा अपराध में नियंत्रण

49–श्री रमापति शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पुलिस विभाग में शहरी क्षेत्रों में रात्रि गश्त समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि जनपद हरदोई के कस्बा संडीला में गत कई वर्षों से पुलिस गश्त नहीं किया जाता है, जिससे अपराध एवं चोरियों जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जनता की सुरक्षा हेतु उक्त कस्बे में नियमित रात्रि गश्त के आदेश देगी और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में पुलिस गश्त नियमित हो रही है तथा अपराध नियंत्रण में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत जूनियर ग्रेड क्लर्क तथा टेलीप्रिंटर आपरेटरों की अवर वर्ग सहायक के पदों पर पदोन्नति

50–डॉ0 राम लोटन सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कार्यरत टंकक, जूनियर ग्रेड क्लर्क तथा टेलीप्रिंटर आपरेटरों की पदोन्नति किन नियमों के अन्तर्गत होती है ? क्या यह भी बतायेंगे कि अवर वर्ग सहायकों की वरिष्ठता सूची में केवल टेलीप्रिंटर कर्मचारियों को ही रखा गया है ? यदि हां, तो कितनी संख्या में और कब रखा गया है । किन नियमों के अन्तर्गत उन्हें रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान समय में सचिवालय में टंकक संवर्ग विद्यमान नहीं है । टेलीप्रिंटर आपरेटरों की पदोन्नति उनकी सेवा-नियमावली "उत्तर प्रदेश सचिवालय टेलीप्रिन्टर प्रकोष्ठ सेवा नियमावली, 1991" के प्राविधानों के अनुसार की जाती है । जूनियर ग्रेड क्लर्क के पद पर कार्यरत कर्मियों की अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति उ0 प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 के नियम 14(2) के अंतर्गत की जाती है ।

अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता-सूची में टेलीप्रिन्टर आपरेटर संवर्ग से प्रोन्नत कर्मियों के साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अवर वर्ग सहायक एवं टंकक (यह संवर्ग अब विद्यमान नहीं है) टेलेक्स/टेलीफोन/आपरेटर तथा जूनियर ग्रेड क्लर्क संवर्ग से प्रोन्नत कर्मी भी सम्मिलित है । अवर वर्ग सहायकों की प्रश्नगत ज्येष्ठता-सूची में सम्मिलित टेलीप्रिन्टर संवर्ग से प्रोन्नत कर्मियों की संख्या 40 है । इन्हें वर्ष 1991 में प्रख्यापित उक्त ज्येष्ठता-सूची में "उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 तथा "उ0 प्र0 सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990" के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत रखा गया है ।

"दि के0 एम0 शुगर मिल्स लि0 मसौधा" जनपद फैजाबाद में कार्यरत श्रमिकों के शोषण के संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

51–श्री परशुराम यादव–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि "दि के0 एम0 शुगर मिल्स लि0 मसौधा" जनपद फैजाबाद में कार्यरत श्रमिकों का विभिन्न तरह से शोषण किए जाने तथा श्रमिकों के मामले में नियम विरुद्ध कार्यवाहियां किए जाने के बारे में श्रम विभाग द्वारा जांच

कराकर मजदूरों के साथ न्याय कराए जाने आदि विषयों से संबंधित प्रार्थना-पत्र संलग्न करते हुए प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित कराया गया पत्र दि0 13-1-94 उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र के साथ संलग्न शिकायती-पत्र/प्रार्थना-पत्र के बारे में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही कराई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 विधायक श्री परशुराम यादव का पत्र दिनांक 13-1-94 प्राप्त हुआ है । प्रश्नकर्ता मा0 विधायक के पत्र के साथ संलग्न पत्रों में की गयी शिकायतों/मांगों के संबंध में प्रतिष्ठान का विस्तृत निरीक्षण विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कराया गया । निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के फलस्वरूप राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा (श्रम विनियम तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 एवं मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर किए गए हैं इसी प्रकार राजाज्ञा दिनांक 3-2-72 एवं चीनी मिलों में लागू स्थायी आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप सेवायोजक पक्ष के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किए गए हैं । कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गयी है । इसके अतिरिक्त सेवायोजक पक्ष द्वारा वेतन मंडल की अनुशंसा के अनुसार श्रमिकों को वेतन भुगतान न किए जाने के कारण सेवायोजक के विरुद्ध वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत निर्देशवाद भी दायर कर दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त जिन श्रमिकों को वर्ष 1992-93 की अवधि के देय बोनस का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें बोनस भुगतान कराए जाने हेतु वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत निर्देशवाद दायर कर दिए गए हैं ।

जनपद फैजाबाद स्थित दुर्गा बन्सल फर्टिलाइजर लि0 मंगारी के सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों का उत्पीड़न तथा उप श्रमायुक्त, फैजाबाद मण्डल के आदेशों को नजरन्दाज करने की शिकायत

52–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दुर्गा बन्सल फर्टिलाइजर लि0, मंगारी, जनपद फैजाबाद के सेवायोजकों द्वारा कर्मचारियों का तरह-तरह से उत्पीड़न किए जाने तथा श्रमिकों के मामले में उपश्रमायुक्त, फैजाबाद मण्डल के आदेशों को न मानने आदि का विवरण देते हुए फैक्ट्री के कर्मचारी संघ के मंत्री श्री देवेन्द्र लाल श्रीवास्तव द्वारा दिए गए शिकायती-पत्र को संलग्न करते हुए मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-1-94 मुख्य मंत्री को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न शिकायती-पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है तथा इन मामलों में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शिकायती पत्र का बिन्दुवार विवरण एवं कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

1–सेवायोजक द्वारा वर्ष 1992 में दिनांक 24-1-92 से बिना पूर्व सूचना अथवा पूर्व अनुमति में बैठकी (ले-आफ) किए जाने की शिकायत है ।

कृत कार्यवाही

उप श्रमायुक्त, फैजाबाद द्वारा उक्त बैठकी (ले-आफ) को अवैधानिक घोषित करते हुए दिनांक 5-3-92 को आदेश पारित किए गए तत्पश्चात् श्रमिक की ओर से ले-आफ की अवधि के वेतन का भुगतान कराए जाने हेतु वेतन संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत वाद संख्या 22/92 तथा वाद संख्या 14/93 दायर किए गए । वाद संख्या 22/92 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11-1-93 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए उक्त वाद में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी गयी है । वाद संख्या 14/93 में सुनवाई की कार्यवाही जारी है ।

2–वर्ष 1993 में श्रमिकों द्वारा एक माह की छुट्टी सेवायोजक पक्ष द्वारा श्रमिकों को बिना किसी कारण दिए जाने की शिकायत की गयी है ।

कृत कार्यवाही

उभय पक्षों के मध्य दिनांक 1-3-1993 को हुए समझौते के फलस्वरूप प्रत्येक श्रमिक द्वारा माह मार्च, अप्रैल व मई, 93 में 10 दिन के अवकाश का उपभोग किया गया । पक्षों के मध्य यह सहमति रही कि यदि श्रमिक चाहें तो इन अवकाशों को अपने आर्पिक अवकाश में समायोजित करा सकते हैं । समझौते में यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि उभय पक्ष इस अवकाश के संबंध में कोई विवाद नहीं उठायेंगे ।

3–सेवायोजक पक्ष द्वारा विगत वर्षों की भांति श्रमिकों को ले-आफ की धमकी दिए जाने की शिकायत की गई है ।

कृत कार्यवाही

बैठकी (ले-आफ) किए जाने के संबंध में सेवायोजकों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र अथवा लिखित सूचना नहीं दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस उप महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण, इलाहाबाद द्वारा मनमाने ढंग से किए स्थानान्तरण के संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक के शिकायती-पत्र पर जांच

53–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-93 उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण, इलाहाबाद द्वारा कतिपय अवर अभियन्ताओं को असामयिक एवं मनमाने ढंग से स्थानान्तरण किए जाने एवं उन्हें मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने के संबंध में था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री शिव प्रसाद मौर्या, अवर अभिदन्ता, कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र कानपुर का स्थानान्तरण निरस्त किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-93 को प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत पत्र पर विचारोपरान्त श्री मौर्या के संबंध में निर्गत स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने का औचित्य नहीं पाया गया । श्री मौर्या का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश की नागरिक पुलिस में सीधे भर्ती व प्रशिक्षण पाए उपनिरीक्षकों को स्थानीय अभिसूचना इकाई में भेजे जाने की नीति

55–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 से पूर्व उ0 प्र0 की नागरिक पुलिस में सीधे भर्ती व प्रशिक्षण पाए उप-निरीक्षक की स्थानीय अभिसूचना इकाई में भेजने के लिए चयन का आधार क्या था ? क्या वर्ष 1992-93 में तथा उसके बाद भी स्थानीय अभिसूचना विभाग में भेजने का आधार वही रहा है ? यदि नहीं, तो अब क्या आधार निर्धारित किया गया है ? क्या नागरिक पुलिस से स्थानीय अभिसूचना विभाग में भेजना ही प्रतिनियुक्ति है ? यदि नहीं, तो क्या नागरिक पुलिस से स्थानीय अभिसूचना इकाई में भेजने से पूर्व संबंधित उप-निरीक्षक से सहमति ली जाती है ? क्या स्थानीय अभिसूचना इकाई में कार्यरत उप निरीक्षक को नागरिक पुलिस के उप-निरीक्षक से किराया भत्ता, प्रोन्नति व विशेष वेतन पर डी0 ए0 की कोई अतिरिक्त सुविधा प्राप्त है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार अभिसूचना विभाग में उप निरीक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के संबंध में शासनादेश संख्या 3208/आठ-195-50, दिनांक 6-1-56 के प्राविधान के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् अपेक्षित संख्या में सकल प्रशिक्षार्थियों को उनकी उपयुक्तता एवं योग्यता के आधार पर चुनकर अभिसूचना विभाग में नियुक्त किया जाता है । एक प्रशिक्षण सत्र पूर्ण होने के पश्चात् आगामी सत्र के सम्पन्न होने तक अभिसूचना विभाग में रिक्त होने वाले उपनिरीक्षक पदों को आवश्यकतानुसार वनपदीय पुलिस से स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जाता है ।

वर्ष 1992-93 में तथा उसके बाद अब तक उप निरीक्षक, ना0 पु0 का कोई प्रशिक्षण सत्र नहीं चला है । इसलिए किसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी को इस अवधि में नियुक्त नहीं किया गया है ।

अभिसूचना विभाग में नियुक्त उप निरीक्षकों को जनपदीय पुलिस के समान दर से मकान किराया भत्ता मिल रहा है । जनपदीय पुलिस के उप निरीक्षकों की तुलना में अभिसूचना विभाग के उप निरीक्षक कम समय में प्रोन्नति पा जाते हैं । विशेष वेतन पर महंगाई भत्ता की सुविधा नियमानुसार उतलब्ध नहीं है ।

जनपद बाराबंकी की टाउन एरिया हैदरगढ़ में दिनांक 25 नवम्बर, 1993 को नागरिकों द्वारा जन समस्याओं को लेकर किए गए रोड जाम आन्दोलन में पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज एवं फायरिंग की शिकायत पर कार्यवाही किए जाने की मांग

56–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 नवम्बर, 1993 में टाउन एरिया कस्बा हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में जन समस्याओं को लेकर नागरिकों द्वारा रोड जाम आन्दोलन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा फायरिंग किए जाने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई जिसमें 41 लोग घायल हुए ? क्या उक्त घटना के दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जनपद में चोरी, डकैती, हत्या, अफीम स्मैक तस्करी, राहजनी, हरिजन उत्पीड़न व बलात्कार की थानावार विवरण तथा उनके रोकथाम की कार्यवाही

57–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में चोरी, डकैती, हत्या, अफीम स्मैक, तस्करी, राहजनी, हरिजन उत्पीड़न, बलात्कार की 1993 दिसम्बर से 1 जनवरी, 1994 तक कितनी घटनाएं हुई ? प्रत्येक थानावार विवरण क्या है ? अपराध स्थिति को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

1993 दिसम्बर से 1 जनवरी, 1994 तक चोरी के 19, डकैती 1, हत्या 9, अफीम स्मैक तस्करी शून्य, राहजनी 7, हरिजन उत्पीड़न 16 एवं बलात्कार के 1 अभियोग पंजीकृत हुए ।

उक्त घटनाओं की घटनावार विवरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री के कक्ष/कार्यालय से देखा जा सकता है ।

अपराध स्थिति को रोकने के लिए अभियोगों की विवेचना तत्परता से कर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करके, सक्रिय अपराधियों की विधिवत् निगरानी तथा उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करके, अनुसूचित जाति/जन जाति/महिलाओं व समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देकर तथा ग्रस्त

बाराबंकी जनपद के थाना जैतपुर के राइस मिल मालिक द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही

58–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के थाना–जैतपुर के राइस मिल मालिक द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने हेतु कोई मुकदमा 4 फरवरी, 94 को कायम किया गया है ? हत्याकाण्ड के दोषी अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

हत्याकाण्ड के दोषी अभियुक्तों के खिलाफ थाना जैतपुर में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 5-3-94 को प्रेषित किया जा चुका है ।

थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस के विरुद्ध मजिस्ट्रीयल जांच के संबंध में जानकारी की मांग

59–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जिला सिद्धार्थनगर में जिला अधिकारी महोदय के आदेश से मिश्रौलिया, थाना, जिला–सिद्धार्थनगर के पुलिस के विरुद्ध एक मजिस्ट्रीयल जांच विश्वनाथ पाण्डेय, भू0 पू0 विधायक ग्राम व पो0 नरकटहा के शिकायत पर हो रही थी जिसकी जांच जुलाई सन् 1993 में अपर परगनाधिकारी नौगढ़ श्री जे0 एल0 माझी कर रहे थे ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हुई ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी होगी ? शिकायती प्रार्थना-पत्र में वर्णित लावारिस दफनाई गयी लाश को मौके पर जाकर खोदाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना मिश्रौलिया जिला सिद्धार्थनगर के पुलिस के विरुद्ध श्री विश्वनाथ पाण्डेय भू0 पू0 विधायक के शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही के संबंध में जानकारी की मांग

60–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जि0 सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र थाना मिश्रौलिया, जिला–सिद्धार्थनगर के पुलिस के विरुद्ध मई, 1993 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में विश्वनाथ पाण्डेय, भू0 पू0 विधायक ग्राम व पो0–नरकटहा का रजिस्ट्री पत्र (डाक द्वारा) प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई ? क्या जांच के समय की सूचना शिकायतकर्ता को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच का परिणाम क्या हुआ ? शिकायतकर्ता का आरोप क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस के विरुद्ध शिकायतों पर जांच

61–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के सलाहकार श्री पी0 एन0 बहल के यहां से एक शिकायती प्रार्थना-पत्र विश्वनाथ पाण्डेय का श्री कलराज मिश्र, विधायक के पत्र के साथ प्रमुख सचिव गृह को जांच कराने के लिए जून, 1993 के 23 तारीख को भेजा हुआ, प्राप्त हुआ था, जो थाना मिश्रौलिया जिला–सिद्धार्थनगर की पुलिस के विरुद्ध था ? यदि हां, तो जांच कब तथा किस अधिकारी से करवायी गई ? जांच का परिणाम क्या हुआ ? क्या जांच के समय की सूचना शिकायतकर्ता को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थानों में एस0 आई0 से लेकर थानाध्यक्ष को देय वाहन भत्ता बढ़ाए जाने की मांग

62–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक थाने में एस0 आई0 से लेकर थानाध्यक्ष (इन्सपेक्टर) को वाहन भत्ता क्या दिया जाता है ? क्या इस भत्ते से शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये क्षेत्र में भागदौड़ की जा सकती है ? यह वाहन भत्ता कितने साल से नहीं बढ़ाया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिन पुलिस अधिकारियों के पास वाहन होता है तथा वे उसका प्रयोग कार्य सरकार में करते हैं उन्हें ही वाहन भत्ते की सुविधा अनुमन्य है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से थाने को एक-एक जीप उपलब्ध कराई गई है ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्ष 1988 के बाद वाहन भत्ते में वृद्धि नहीं की गयी है ।

इन्स्पेक्टर श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की प्रोन्नति का मामला

63–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्स्पेक्टर श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की प्रोन्नति कब से नहीं की गयी है ? प्रोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 26-11-92 के पश्चात् संदर्भित अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं की गयी है ।

शासन के विचाराधीन है ।

श्री हरि शंकर शर्मा, पत्रकार को झूठे आरोप में फंसाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

64–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का श्री हरिशंकर शर्मा, पत्रकार हिन्दी "दैनिक आज" हैदरगढ़, बाराबंकी के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रकार को झूठी साजिश में फंसाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा श्री हरि शंकर शर्मा, पत्रकार को झूठा फंसाया जाना जांच से प्रमाणित नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

65–श्री राम आसरे वर्मा–

[दि0 8-3-94 को अता0 प्र0 सं0 78 द्वारा उत्तरित]

66–श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

67–श्री राम आसरे वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय दैनिक कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

68–श्री दौलत राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1994 को विभाग में 7–8 वर्षों से कार्यरत 218 दैनिक कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इन 218 कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो इन 218 दैनिक कर्मियों का नियमितीकरण कब तक किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उपयुक्तता एवं ज्येष्ठता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में बारहवीं विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यों को आवास उपलब्ध कराने में सराहनीय कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष मानदेय स्वीकृत किये जाने की मांग

69–श्री दौलत राम–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बारहवीं विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यों को आवास उपलब्ध कराने में सराहनीय कार्य किये जाने वाले कर्मचारियों को विशेष मानदेय स्वीकृत करने हेतु विभाग के समस्त व्यवस्थाधिकारियों से वास्तविक कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा मंगाई गई थी ? क्या उन कर्मचारियों को विशेष मानदेय स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्या कार्यालय ज्ञाप संख्या–ई–492/32-1-1994 दिनांक 31 जनवरी, 1994 में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष मानदेय स्वीकृत किये जाने का कार्य औचित्यपूर्ण था ? क्या वास्तविक सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को निकट भविष्य में विशेष मानदेय दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उनमें से उपयुक्त कर्मचारियों को विशेष मानदेय स्वीकृत किया गया ।

जी हां ।

सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों को विशेष मानदेय स्वीकृत किया जा चुका है। अतः भविष्य में स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बुलन्दशहर में हत्या एवं अपहरण की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय किये जाने की मांग

70–श्री हरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बुलन्दशहर में विगत 6 माह में हत्या एवं अपहरण की घटनाओं में क्रमशः वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इन गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु शासन ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बुलन्दशहर में प्रश्नगत अवधि में हत्या की घटनाओं में कमी आयी है एवम् अपहरण के मामलों में आंशिक वृद्धि हुई है । घटनाओं की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है तथा विगत पांच वर्षों में प्रकाश में आये अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

जिलाधिकारी लखनऊ को सरकारी कर्मचारियों के शस्त्र लाइसेंस पुरे प्रदेश हेतु वैध करने के संबंध में दिए गए पत्रों का निस्तारण

71–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1993 के अन्तिम सप्ताह में कितने सरकारी कर्मचारियों के शस्त्र लाइसेंस पूरे प्रदेश हेतु वैध करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी लखनऊ को प्राप्त हुए थे ? उन पर क्रमशः अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो इसमें हो रहे विलम्ब का मूल कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । इन्हें निस्तारित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला थाना हजरतगंज, लखनऊ के बाहर वाहन लेने, ले-जाने तथा खड़ा करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

72–श्री बृहस्पति दिवेदी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पुलिस अधीक्षक, यातायात, लखनऊ द्वारा महिला थाना, हजरतगंज, कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ के बाहर आम जनता के वाहन लाने ले जाने/खड़ा करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ताकि बी0 आई0 पी0 क्षेत्र में घटित विभिन्न घटनाओं की सूचना थानों में पंजीकृत न हो सके ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो दिनांक 10-2-94 की सायं प्रश्नकर्ता की जीप संख्या-एम0 पी0 डब्ल्यू-1603/सहित थाने के आस-पास खड़ी कितनी गाड़ियों का चालान उक्त अधिकारी द्वारा किया गया ? इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । दिनांक 10-2-94 को किसी वाहन का चालान प्रश्नगत स्थल पर से नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी0 पी0 सिंह थानाध्यक्ष हलधरपुर जनपद मऊ के स्थानान्तरण की मांग

73–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जयनाथ यादव, ग्राम मरुवा मझौली, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ के खेत (साढ़े 4 बीघा) का झगड़ा चल रहा है ? क्या यह सही है कि झगड़े के खेत के अलावा और अन्य इनकी सारी जमीनें थानाध्यक्ष, हलधरपुर बी0 पी0 सिंह द्वारा बोने जोतने से रोका जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार थानाध्यक्ष हलधरपुर जनपद मऊ के द्वारा किये जा रहे इस गलत कार्य पर हस्तक्षेप करते हुए इनका स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 5-2-94 को थाना दोहरीघाट के लिए स्थानान्तरित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ राही, ग्राम अन्धावा थाना पश्चिम सरीरा, जनपद इलाहाबाद की हत्या के कारणों की जांच रिपोर्ट

74–श्री नन्दलाल सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि दिनांक 16-1-94 को रात्रि 8.00 बजे ग्राम अन्धावा थाना पश्चिम सरीरा, जनपद इलाहाबाद के श्री जगन्नाथ राही की हत्या हुई थी ? क्या इस हत्याकाण्ड की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त हत्या के पीछे किसी प्रकार के षडयंत्र होने का संज्ञान शासन को है ? यदि हां, तो वे अभियुक्त कौन लोग हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 15-1-94 को समय 23.00 बजे श्री जगन्नाथ राही निवासी ग्राम अन्धावा, थाना पश्चिम सरीरा जनपद इलाहाबाद पर जान से मार डालने की नीयत से फायर किया गया था, श्री राही को घायल अवस्था में उपचार हेतु सदर अस्पताल इलाहाबाद भेजा गया, जहां दिनांक 16-1-94 को उनकी मृत्यु हो गयी ।

उक्त हत्याकाण्ड की जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जा रही है । सी0 आई0 डी0 जांच आख्या प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी । वर्तमान में प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

मु0 जाहिदा पत्नी निजाम खां, निवासिनी ग्राम इब्राहीमपुर बेल्हौरा, मजरे गोडनिया, थाना कैसरगंज जनपद बहराइच के शिकायती पत्र पर जांच कराये जाने की मांग

75–श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिल्लू"–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 अक्टूबर, 1993 को मु0 जाहिदा पत्नी निजाम खां, निवासिनी ग्राम इब्राहीमपुर बेल्हौरा, मजरे गोडनिया, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच ने पंजीकृत डाक द्वारा एक शिकायती प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच सहित गृह सचिव, उ0प्र0 शासन तथा उप पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को प्रेषित किया था और प्रेषित प्रार्थना पत्रों में थाना कैसरगंज, बहराइच की पुलिस तथा पी0ए0सी0 द्वारा घर की लूट-पाट एवं नाजायज उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख किया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा सम्पन्न हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री लाल मोहम्मद पुत्र श्री सत्तार, निवासी जिला सुल्तानपुर द्वारा श्री प्रमोद सिंह सिपाही, जिला–रायबरेली के विरुद्ध की गयी शिकायत पर कार्यवाही

77–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को लाल मोहम्मद पुत्र सत्तार, ग्राम रामपुर नौरंगाबाद, थाना जामो, जिला सुल्तानपुर का टेलीग्राम दिनांक 2-2-94 मिला है, जिसमें थाना कोतवाली जायस जिला रायबरेली के सिपाही प्रमोद सिंह द्वारा दुकान का ताला तोड़कर रामदास भुज नामक व्यक्ति को कब्जा दिलाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? उक्त टेलीग्राम के आधार पर क्या पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मामला दीवानी न्यायालय से सम्बन्धित है । स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 की निरोधात्मक कार्यवाही दिनांक 3-3-94 को की है ।

श्री तेजभान सिंह, स0 वि0 स0 के शिकायती-पत्र की जांच

78–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को गोपन अनुभाग-7 द्वारा पत्रांक एम0 एल0 ए0 325/92 गो0-7 दिनांक 31-7-92 द्वारा भेजा गया है जिसमें सी0 आई0 डी0 जांच के निवेदन के सम्बन्ध में जांच होना सूचित किया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? इसमें अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नगत मामले की जांच कराई गई । जांच से प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप निराधार पाये गये तथा सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

79–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के निगमों/उपक्रमों में चीफ इक्जीक्यूटिव्स द्वारा शासनादेश के अनुसार स्टाफ कार का निजी प्रयोग तथा उसकी दरों में संशोधन की जानकारी

80–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री को जानकारी है कि निगमों/उपक्रमों आदि में चीफ इक्जीक्यूटिव्स द्वारा स्टाफ कार के निजी प्रयोग के संबंध में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा जारी 8 नवम्बर, 1983 के शासनादेश का पूर्णतः पालन किया जा रहा है ? क्या सरकार इस आदेश में वर्णित भुगतान की अति अल्प धनराशि को दुगुना किये जाने

की स्पष्ट घोषणा सदन में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त शासनादेशानुसार प्रदत्त इस सुविधा का लाभ निगमों/उपक्रमों के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान करने पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस शासनादेश का अनुपालन सार्वजनिक निगमों द्वारा किया जा रहा है । यह शासनादेश केवल मुख्य कार्यकारियों पर लागू होता है और इसे केवल दरों के पुनरीक्षण की सीमा तक संशोधित करना विचाराधीन है ।

81–श्री अखिलेश सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अधिकारियों को सरकारी पेट्रोल कार/जिप्सी एवं डीजल कार/जीप आवंटन के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति घोषित किये जाने की मांग

82–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में किस वेतनमान/स्तर के अधिकारी को सरकारी पेट्रोल कार/जिप्सी एवं डीजल कार/जीप आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ब्यूरो का कोई स्पष्ट शासनादेश/नीति विद्यमान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ब्यूरो के स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में विभिन्न उपक्रमों/निगमों द्वारा अत्यन्त कनिष्ठ अधिकारियों को पेट्रोल/डीजल वाहन आवंटित कर रखे गये हैं जिनके रख-रखाव एवं परिचालन पर लाखों रुपये का अनावश्यक व्यय भार प्रतिग्राह निगमों पर आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त के सन्दर्भ में कोई ठोस रणनीति बनाये जाने की घोषणा सदन में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अधिकारियों को सरकारी पेट्रोल कार/जिप्सी एवं डीजल कार/जीप आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ब्यूरो द्वारा कोई सामान्य नीति निर्धारित नही की गयी है । वाहनों के इस प्रकार आवंटन के निर्णय विभिन्न उपक्रमों द्वारा अपनी प्रशासनिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किए जाते हैं । अतः इस बारे में सरकार किसी नीति को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं समझती। लेकिन पेट्रोल/डीजल की खपत में मितव्ययता करने के मार्ग दर्शक शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाते हैं ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय में अंकित अपराध में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

83–श्री विश्वनाथ–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-6-93 को थाना बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर में अंकित मु0 अपराध संख्या 167/93 धारा 307 में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर के मु0 अ0 सं0 167/93 धारा 307 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात में अभियुक्त राम बहोर को दिनांक 2-7-93 को पुलिस द्वारा बन्दी बनाया गया एवं अभियुक्त जगजीवन के विरुद्ध दिनांक 30-9-93 को 82/83 जा0 फं0 की कार्यवाही की गयी । विवेचनोपरान्त अभियुक्त रामबहोर के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 105 दिनांक 5-9-93 एवं जगजीवन के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 105-1 दिनांक 30-9-93 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर में श्री प्रकाश चन्द्र गुप्त द्वारा दर्ज मुकदमें में कार्यवाही

84–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0 अ0 संख्या 179/93 धारा 395/397 आई0 पी0 सी0 ता0 21/22-10-93 को थाना फूलपुर जिला वाराणसी में प्रकाश चन्द्र गुप्त पुत्र स्व0 भगौती प्रसाद, स्थान पिंडरा, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने लिखाया था कि डकैतों ने एक रिवाल्वर, एक बन्दूक तथा जेवर व नकद रुपए लूट ले गए और उसको उसके भाई कैलाश नाथ तथा उसकी स्त्री को गोली बम व राड से मारकर घायल कर दिया है ? क्या इस संबंध में 1-12-93 को डी0 आई0 जी0 पुलिस वाराणसी को प्रार्थना-पत्र भी दिया कि फूलपुर की पुलिस ने अब तक इस केस के बारे में कुछ नहीं किया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने प्रकाश चन्द्र की दरख्वास्त को अपने पत्र के साथ जनवरी, 1994 को दूसरे या तीसरे सप्ताह में मुख्य मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण से संबंधित थाना फूलपुर जनपद वाराणसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/93 धारा-395/397 भा0द0वि0 की विवेचना में काफी प्रयास के बाद भी लूटे गए माल व मुल्जिमानों का अब तक पता नहीं लग सका है । माल तथा मुल्जिमानों का पता लगाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है । फिलहाल प्रकरण की सी0 आई0 डी0 से जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

85–श्री चेनसुख भारती–

[निरस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में दिनांक 29-1-94 में मु0 अ0 सं0 48/94 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें की सी0आई0डी0 जाँच कराकर वापस लिए जाने की मांग

86–श्री चन्द्र किशोर–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना चौरी-चौरा में दिनांक 29-1-94 ई0 में मुकदमा अपराध संख्या 48/94 धारा 147, 323, 204, 506 भारतीय दं0 विधान में अंकित होने के बाद पुनः धारा 307 भा0 द0 वि0 और बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसे पूर्णतः निराधार बताते हुए थानाध्यक्ष व एक अन्य एस0 आई0 के द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति की महिलाओं व पुरुषों को रात में पी0 ए0 सी0 लगाकर बुरी तरह से मारने-पीटने व उत्पीड़ित करने से संबंधित कोई पत्र या तार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर एवं डी0 आई0 जी0 रेंज, गोरखपुर को घटित घटना के बाद प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस विषय में सी0 आई0 डी0 से जांच कराकर मुकदमा वापस लेने व उक्त पुलिसजनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त के संबंध में श्री भगवान धोबी जो प्रश्नगत अभियोग का मुख्य अभियुक्त है, ने दिनांक 31-1-94 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के नाम एक तार भेजा था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष चौरी-चौरा तथा पुलिस बल ने समय से गांव में पहुंच कर निरोधात्मक कार्यवाही कर उभय पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर शांति स्थापित की जिससे कोई बड़ी घटना नहीं घटित हो सकी ।

सरकारी सेवाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदोन्नति में आरक्षण न होने के संबंध में जानकारी

87–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सरकारी सेवाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को नियुक्ति और पदोन्नति दोनों में आरक्षण का लाभ दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार द्वारा रेडियो अधिकारी, पुलिस रेडियो मुख्यालय को सेवा में आने के बाद पदोन्नति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पदोन्नति को निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है । पदोन्नति में इस वर्ग को आरक्षण सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्द किशोर पाण्डेय तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना फूलपुर, वाराणसी का निलम्बन न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बहाल तथा विवेचना जारी

88–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/13(2) के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर पाण्डे, थानाध्यक्ष, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी को सर्तकता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी ने दिनांक 5-8-93 को थानाध्यक्ष निवास फूलपुर में दो हजार रुपये रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथ गिरफ्तार करके मुकदमा उसी थाने में उपरोक्त दफा में दर्ज कराकर चालान कर दिया था और पुलिस विभाग ने उन्हें निलम्बित कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री नन्द किशोर पाण्डे को बहाल कर के ज्ञानवापी, वाराणसी में ड्यूटी दे दी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार मुकदमें की विवेचना सर्तकता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा की जा रही हैं ।

जी हां । मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में सब इन्सपेक्टर को बहाल किया गया हैं । प्रश्नगत प्रकरण में पंजीकृत अभियोग की विवेचना सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा प्रचलित हैं ।

जनपद गोण्डा में उप खनिज (बालू) खनन हेतु मासिक रायल्टी पर अनुमति प्रदान किये जाने के बारे में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

89–श्री रिज्वान जहीर खां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में नदियों-नालों से उप खनिज (बालू) खनन हेतु मासिक रायल्टी पर अनुमति पत्र प्रदान किए जाने हेतु 1 जनवरी, 1991 से 15 दिसम्बर, 1994 की अवधि में कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं एवं उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत करके मासिक रायल्टी पर उप खनिज (बालू) खनन की अनुमति प्रदान की गई हैं ? समस्त स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रार्थनापत्रों का सम्पूर्ण विवरण अर्थात् आवेदक, क्षेत्र, अवधि (माह-वर्ष) एवं प्रस्तावित धनराशि क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कुल 74 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । 40 आवेदकों को बालू खनन की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं । स्वीकृति प्रार्थना पत्रों तथा प्रस्तावित धनराशि का विवरण संलग्न हैं।

(दर्शिका नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 124-127 पर)

राज्य लोक सेवा अधिकरण में शासनादेश सं0 1718/का-396-26/28/93 दिनांक 17 जुलाई, 1993 की अवहेलना करके की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांच कराये जाने की मांग

90–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या 1718/का-396-26/28/93, दिनांक 17 जुलाई, 93 द्वारा जारी करके राज्य लोक सेवा अधिकरण में कुल 33 पद सृजित किये गये थे जिसमें शासन का स्पष्ट आदेश था कि नई नियुक्तियां बिल्कुल नहीं की जायें, बल्कि बन्द निगमों के कर्मचारियों/समस्त स्टाफ द्वारा ही रिक्तियां भरी जायं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ऐसा न करके उन नव सृजित पदों पर नये व्यक्तियों की, कार्यकारी अध्यक्ष एवं निबंधक, श्री एस0 जेड0 सिद्दीकी द्वारा नियुक्तियां कर ली गयी है ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में कई विधायकों ने तब से अब तक शासन को बराबर पत्र लिखा है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर उक्त नियुक्तियों को निरस्त करते हुये दोषी लोगों को दण्डित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । सूचना प्राप्त की जा रही है । जी हां । सूचना प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायगी । प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में विवरण

श्री अम्बिका सिंह (गोरखपुर)–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रान्तीय एवं केन्द्रीय पेंशन पाते हैं और कितनों के पेंशन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और कब से ?

श्री अवधेश प्रसाद–

उत्तर प्रदेश में कुल प्रान्तीय पेंशन प्राप्तकर्ता सेनानियों की संख्या-15079 एवं केन्द्रीय पेंशन प्राप्तकर्ता सेनानियों की संख्या-11077 है । कुल लम्बित राज्य पेंशन के प्रार्थना पत्रों की संख्या-539 एवं केन्द्रीय पेंशन के प्रार्थना पत्रों की संख्या-273 है और यह प्रार्थना पत्र वर्ष 1971 से 1993 तक की अवधि से लम्बित है ।

जनपद फैजाबाद में अकबरपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जय राम माली के अनुदान को हड़पने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही

92–श्री अजय कुमार पोद्दार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के पहले मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-76 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि जो जनपद फैजाबाद के

एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मरणोपरान्त रुपया 4,000 (चार हजार रुपया) आहेतुक सहायता का धन जालसाजी से निकाले जाने के सम्बन्ध में अब तक जिला प्रशासन द्वारा जालसाजी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पूर्व जिला अधिकारी, श्री विजय शंकर पाण्डेय ने भी उक्त सम्बन्ध में नियमत: फिर रजिस्टर्ड कराने का भी आदेश किया था ? यदि हां, तो कब और इस आदेश के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मामले में संबंधित लिपिक की चरित्र पंजी में भर्त्सनात्मक विशिष्ट अंकित कर दी गयी है और उसे इस कार्य से हटा दिया गया है । स्वीकृत धनराशि अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने तथा उसकी गलत पहचान करने के विषय में उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये गये थे । जिलाधिकारी को अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु पुनः निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्र सं0 96, भगवन्त नगर, जनपद उन्नाव में खुदे पड़े तालाबों में पानी पहुंचाकर मछली पालन कराये जाने की मांग

93–चौधरी देवकी नन्दन–

क्या मत्स्य उत्पादन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र 96, भगवन्त नगर, जनपद उन्नाव में शासन द्वारा कितने तालाबों में मछली पालन हो रहा है तथा कितने में नहीं ? विगत वर्षों से कितने तालाब खुदे पड़े हुए हैं जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा जिससे सरकारी पैसे के दुरुपयोग हो रहा है ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मनोहर लाल–

क्षेत्र सं0–96 भगवन्त नगर जनपद उन्नाव में कुल 58 तालाबों क्षेत्रफल 57.71 है0 में मछली पालन किया जा रहा है । 11 तालाब क्षेत्रफल 9.09 है0 में मत्स्य पालन नहीं किया जा रहा है । अभी उक्त 11 तालाबों का पट्टा नहीं दिया गया है । 11 तालाबों में जलापूर्ति की समुचित सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पानी नहीं भरा जा सका है । उक्त तालाबों में ग्राम सभा द्वारा स्वयं मछली पालन अथवा पात्र व्यक्तियों को पट्टा देने तथा पट्टेदारों को जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निःशुल्क बोरिंग एवं पम्पसेट हेतु ऋण देने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राधेश्याम निगम, चौकी इन्चार्ज, अरौल, थाना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

94–श्री नीरज चतुर्वेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राधे श्याम निगम, चौकी इन्चार्ज, अरौल, थाना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध श्री कैलाश चन्द्र कटियार, प्रवक्ता, डी0 एस0 एन0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, उन्नाव एवं श्री श्याम बिहारी मिश्र, सदस्य सदस्य का शिकायती-पत्र उन्हें दिनांक 3-2-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री कटियार के पत्र में लगाए गए आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चौकी इंचार्ज को निलम्बित करते हुए पूरे प्रकरण की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से करायेंगे ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक आदेश निर्गत कर दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 5-2-94 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

किन्तु श्री कैलाश चन्द्र कटियार, प्रवक्ता, डी0 एस0 एन0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, उन्नाव के प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-1-94 व दिनांक 17-1-94 पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात व पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर को प्राप्त हुए हैं ।

प्राप्त सूचनानुसार शिकायती-पत्रों की जांच से श्री राधेश्याम निगम चौकी प्रभारी अरौल, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात दोषी नहीं पाए गए हैं । अतः उक्त चौकी इन्चार्ज को निलम्बित करने एवं मामले की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जी हां, कार्यवाही उपरोक्तानुसार है ।

95–श्री नीरज चतुर्वेदी–

[दि0 8-3-94 को अता0 प्र0 सं0 93 द्वारा उत्तरित]

96–श्री नीरज चतुर्वेदी–

[दि0 8-3-94 को अता0 प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित]

भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 25 सितम्बर, 1992 की रैली में सीतापुर रोड पर जनपद रामपुर की बस दुर्घटना में मृतकों एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि दिलाए जाने की मांग

97–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि विगत वर्ष लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 25 सितम्बर, 1992 की रैली में सीतापुर रोड पर जनपद रामपुर की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग गम्भीर रूप से घायल हुए ? कितने व्यक्ति सामान्य रूप से घायल हुए ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मृतकों और गम्भीर/सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों के आश्रितों

कौन कुल कितनी-कितनी व किन-किन लोगों को अनुग्रह राशि वितरित की गयी ? कितनों को अनुग्रह राशि दिया जाना शेष है ? शेष लोगों को अनुग्रह राशि कब तक वितरित की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

98–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[दि0 8-3-94 को अता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

कानपुर रोड लखनऊ स्थित एल0 डी0 ए0 कालोनी में जनसुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग

99–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0 डी0 ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ में आबादी को देखते हुए जन सुविधा एवं सुरक्षा का अभाव है ? क्या वहां पर सीवर नाले में अकसर लाशें मिलने की घटना से आम जनता त्रस्त है ? क्या सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थान पर एक पुलिस चौकी स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक पुलिस चौकी खोली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ऐसी कोई स्थिति नहीं है । मात्र दिनांक 5-2-94 को एक अज्ञात लाश मिली थी ।

शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थान पर थाना कृष्णानगर के नियतन में से स्टाफ नियुक्त कर एक अस्थाई पुलिस चौकी की स्थापना की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजपाल भारद्वाज व श्री दीना नाथ भारद्वाज पुत्रगण स्व0 राम सहाय भारद्वाज निवासी ग्राम बरई शहपुर, थाना सिकन्दराराऊ, जनपद अलीगढ़ की धान की फसल को कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन काट लिए जाने के संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

100–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री राजपाल भारद्वाज व श्री दीना नाथ भारद्वाज, पुत्रगण स्व0 राम सहाय भारद्वाज निवासी ग्राम बरई शहपुर, थाना सिकन्दराराऊ, जनपद अलीगढ़ की धान की पकी फसल दिनांक 31-10-93 को जबरन उसी गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा काट ली गयी जिसकी प्राथमिकी नामजद रिपोर्ट

सिकन्दरराऊ थाने में उसी दिन दर्ज की गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? इसी के सन्दर्भ में दिनांक 5-11-93 को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), अलीगढ़ को दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जा रही है, तो क्या और कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस मामले में थाना सिकन्दरराऊ पर नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में दिनांक 5-11-93 का कोई पत्र पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), अलीगढ़ को प्राप्त नहीं हुआ । वरन् इसी संबंध में श्री राजपाल भारद्वाज का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-1-94 शासन को प्राप्त हुआ था, जिस पर मामले की जांच कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है । मामले में शासन स्तर से कोई कार्यवाही होना शेष नहीं है ।

101–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

स्व0 आर0 पी0 सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी का वर्ष 1986 से बढ़े वेतन के एरियर की धनराशि के भुगतान के संबंध में जानकारी

102–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में मृतक श्री आर0पी0 सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का वर्ष 1986 से बढ़े वेतन के एरियर धनराशि का भुगतान उनके पारिवारिक आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए दोषी कौन है तथा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मनोहर लाल–

स्व0 आर0 पी0 सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी का वर्ष 1986 से बढ़े वेतन की एरियर की धनराशि का भुगतान जनपद सीतापुर तथा खीरी में कार्यरत अवधि का किया जाना था । जनपद सीतापुर से संबंधित एरियर की धनराशि रु0 5,455·20 का भुगतान उनकी विधवा को दिनांक 13-9-90 को किया जा चुका है ।

जनपद खीरी में कार्यरत रहने की अवधि से संबंधित एरियर का भुगतान सेवा पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण तुरन्त नहीं हो सका । इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

जनपद खीरी से संबंधित एरियर रु0 9,442·50 का बिल बनाकर कोषागार खीरी को प्रस्तुत किया जा रहा है । बिल पास होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा थाना असोहा क्षेत्र जिला उन्नाव में पुलिस उत्पीड़न की शिकायतों की जांच की मांग

103—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के थाना असोहा क्षेत्र (जिला उन्नाव) के कितने लोगों ने एस0 पी0, उन्नाव को पुलिस उत्पीड़न की शिकायतें गत 6 माह में की हैं ? क्या सरकार ग्राम समाधा के निवासीगण महावीर पुत्र हजारी प्रकाश पुत्र महावीर, रामलौटार पुत्र गौंरी व ग्राम भाऊमऊ निवासी समाजवादी पार्टी के नेता जगतनरायण रावत के द्वारा पुलिस उत्पीड़न विषयक एस0 पी0 को दिए गये प्रार्थना-पत्रों की जांच के निष्कर्ष बतायेगी ? दोषी को क्या दण्ड दिए गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कुल 5 शिकायतें ।

प्रार्थना-पत्रों की जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

प्रार्थना-पत्रों की जांच से कोई दोषी न पाए जाने पर दण्ड दिए जाने का औचित्य नहीं बनता है ।

उन्नाव जिले के थाना असोहा व थाना मौरावां के कार्यरत पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही की मांग

104—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में थाना असोहा की पुलिस की हस्तलिपि के मूलपत्र की छाया प्रति के संलग्नक सहित अनियमितता विषयक रामपुर निवासी विजय कुमार पुत्र शिवदर्शन के एस0 पी0, उन्नाव को 24 जनवरी, 94 को मिलकर दिए गये पत्र की जांच किसी अधिकारी ने की ? दोषी पुलिसजनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार डी0 आई0 जी0, लखनऊ रेंज को मिलकर दिए गए मुकेश यादव निवासी चाहटुआ खेड़ा (हलौली) के पुलिस उत्पीड़न रिश्वत लेने विषयक/ थाना मौरावां की पुलिस के विरुद्ध जांच करने विषयक पत्र के भी जांच निष्कर्ष बतायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विजय कुमार के प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा द्वारा की गई । जांच से दोषी पाये गये कां0 वीरेन्द्र कुमार दुबे के विरुद्ध आरोप सही पाए जाने पर उनके विरुद्ध मु0अ0सं0—46/94 धारा 161 भा0दं0वि0 व 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना की जा रही है ।

श्री मुकेश यादव निवासी चहटुआ खेड़ा नहीं बल्कि निवासी बैजनाथ खेड़ा थाना मौरावां का प्रार्थना-पत्र डी0आई0जी0 रेंज के माध्यम से प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच प्रचलित है ।

श्री राम शरण विधायक के पत्र दिनांक 28-5-92 पर जांच और कार्यवाही की मांग

105–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के चौथे मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या–181 के उत्तर के संबंध में क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को श्री राम शरण, विधायक का पत्र दिनांक 28-5-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या लगाये गये आरोपों की जांच की गयी है ? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जांच करायी गयी । आरोप सही नहीं पाये गये ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित की गयी रद्दी को ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड को बेचे जाने की मांग

106–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1977 से लेकर आज तक सचिवालय प्रशासन द्वारा सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित की गयी रद्दी प्रतिवर्ष टेण्डर करके किसी एक ही व्यक्ति को बेची जा रही है ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है ? क्या यह सत्य है कि प्रत्येक वर्ष टेण्डर में उन्हीं का नाम निकल आता है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री को इस संबंध में उ0 प्र0 हाथ कागज उत्पादक विकास समिति, लखनऊ द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड को यह रद्दी बेचे जाने का आग्रह किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । सन् 1977 से सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों की रद्दी दो विभिन्न फर्मों (सर्वश्री साधना ट्रेडर्स एवं कंचना ट्रेडर्स) को बेची गई है ।

उक्त फर्म को बेची गई रद्दी जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा निर्धारित की गई दरों से अधिक रही है ।

जी हां । उत्तर प्रदेश हाथ कागज उत्पादक, विकास समिति, लखनऊ का एक ज्ञापन दिनांक 17-2-94 को प्राप्त हुआ है ।

ज्ञापन में उक्त इकाई ने अवगत कराया है कि उनकी इकाइयां रद्दी कागजों से फाइल कवर इत्यादि बनाकर सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में सम्पूर्ति करती है। उक्त इकाई द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सचिवालय में रद्दी कागज के बिक्री हेतु टेण्डर प्रथा समाप्त कर अनिवार्य रूप से उक्त इकाई को वर्तमान उच्चतम दर, अथवा 5 प्रतिशत की वृद्धि करके रद्दी कागज उपलब्ध कराया जाय अथवा समस्त रद्दी कागज उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को बेच दिया जाये ।

थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष अपराध तथा उसके संबंध में श्री बाबू राम वर्मा, स0वि0स0 के पत्र पर कार्यवाही

107–श्री राम प्रसाद चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री बाबू राम वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने माह जनवरी, 1994 को अपराध संख्या-360 ए/93 धारा 302, 506 भारतीय दण्ड विधान, थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ की विवेचना के संबंध में पत्र भेजा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त पत्र पर कब तक कार्यवाही पूरी हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित अभियोग की विवेचना से संबंधित प्रश्नकर्ता का माह जनवरी, 1994 का पत्र मुख्य मंत्री को नहीं मिला, किन्तु उक्त अभियोग की विवेचना विषयक उन्हीं का गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित पत्र दिनांक 22-1-94 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न में उल्लिखित अभियोग की विवेचना से अपराध धारा 304 भा0द0वि0 का होना पाया गया जिसके आधार पर अभियोग धारा 304 भा0द0वि0 में परिवर्तित करके विवेचना की गई अभियोग में नामजद चार अभियुक्तों अजय कुमार दिनांक 12-9-93 को न्यायालय में आत्म समर्पण के बाद जेल भेजा गया तथा अभियुक्तगण संजय कुमार त्रिपाठी व आदित्य नारायण त्रिपाठी दि0 8-3-94 को गिरफ्तार करके भेजे गए हैं । शेष एक अभियुक्त कमला कान्त त्रिपाठी को गिरफ्तार करके विवेचना शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास जारी है ।

तहसील महमूदाबाद जनपद–सीतापुर में हड्डी-चमड़ा के कार्य को लेकर पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

108–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में हड्डी-चमड़ा के कार्य को लेकर क्षेत्रीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि ग्राम कंजीखेरा, हरसिंहपुर, सुरखी, थाना सदरपुर, बलवन्तनगर, भगौतीपुर, थाना रामपुर मथुरा की पुलिस द्वारा अनु0 जाति की पिटाई इत्यादि की गई ? क्या सरकार ऐसे मामलों के लिए कड़े कदम उठायेगी और दोषी पुलिसजनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । तहसील महमूदाबाद व थाना रामपुर क्षेत्र में हड्डी-चमड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था । इसी विवाद की पृष्ठभूमि में स्थानीय पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 22-1-94 को निरोधात्मक कार्यवाही की थी ।

जी नहीं ।

प्रकरण के संबंध में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर में वर्ष अपराध में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

109–श्री राम आसरे धर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर में दर्ज अपराध संख्या-140/90 धारा-391 भा0 दं0 सं0 की सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही तफ्तीश की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? अब तक उक्त मुकदमें के मुल्जिमों के गिरफ्तार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विवेचना प्रचलित है । विवेचना मध्य कतिपय साक्षियों के कथन अंकित किए जाने शेष है ।

चूंकि विवेचना अभी प्रचलित है इसलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए नयी व्यवस्था की मांग

110–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में पिछले 1 वर्ष में माहवार हत्या एवं अपहरण के कितने मामले दर्ज हुए हैं ? जनपद की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शासन ने अपराधों की रोकथाम हेतु क्या नयी व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह का नाम (वर्ष 1993)	अपहरण	हत्या
जनवरी	4	13
फरवरी	5	17
मार्च	6	15
अप्रैल	5	10
मई	6	19
जून	1	13
जुलाई	1	21
अगस्त	5	20
सितम्बर	9	6
अक्टूबर	3	13
नवम्बर	3	11
दिसम्बर	5	13
योग	53	171

जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को इन अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्द लाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक का पुनः क्षेत्राधिकारी बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के पद पर नियुक्ति के संबंध में कारणों की जानकारी की मांग

111—श्री हरी किशन तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में श्री नन्द लाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक किस समय से किस समय तक क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर के पद पर कार्यरत रहे ? किन विशेष परिस्थितियों में इनका जनपद गोरखपुर का स्थानान्तरण आदेश निरस्त करके जनपद कानपुर देहात के ही एक अन्य क्षेत्र डेरापुर से हटाकर पुनः क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात के पद पर नियुक्त किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री नन्द लाल सिंह संदर्भगत पद पर दिनांक 9-8-1991 से 18-8-1993 तक कार्यरत रहे । श्री सिंह के प्रत्यावेदन में उल्लिखित पारिवारिक कठिनाइयों एवं उनके नियंत्रक अधिकारियों की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत स्थानान्तरण आदेश को दिनांक 30-4-1994 तक स्थगित कर दिया गया है । क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर के जनपद से बाहर स्थानान्तरण तथा श्री सिंह की उपयुक्तता के आधार पर पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 1-1-1994 द्वारा श्री सिंह को क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर के पद पर नियुक्त किया गया है ।

जनपद मऊ के तत्कालीन थानाध्यक्ष कोपागंज के विरुद्ध लगाए गए कथित आरोपों पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

112—श्री अफजाल अंसारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के पांचवें मंगलवार के लिये विधायक, कु0 अखिलेश सिंह के अतारांकित प्रश्न सं0—145 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संदर्भित प्रकरण की सूचना जिलाधिकारी, मऊ द्वारा शासन को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रकरण में श्री कैलाश राय, निवासी ग्राम व पो0 सहरोज, जनपद मऊ का प्रार्थना-पत्र दि0 30-6-93 व 12-7-93 तथा श्री छोटे लाल यादव, विधायक के पत्र दिनांक 8-2-94 विशेष सचिव व संयुक्त सचिव, गृह, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों का विवरण क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-10-91 को श्री मुन्ना व कैलाश राय का आपस में झगड़ा/मारपीट हुई । इस पर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी, जो कि सुलह के आधार पर समाप्त कर दी गई । श्री कैलाश राय को थानाध्यक्ष कोपागंज द्वारा मारने पीटने का आरोप जांच से सही नहीं पाया गया । इस संबंध में न्यायालय में परिवाद विचाराधीन है।

जी हां ।

पत्रों में जिला प्रशासन पर सदन एवं शासन को गुमराह करने तथा तथाकथित रूप से दोषी थानाध्यक्ष कोपागंज के विरुद्ध कार्यवाही न करने का आरोप लगाया गया है । इन पत्रों पर जांच से आरोप सही नहीं पाए गए ।

113–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दिस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

114–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[दि0 16-3-94 को अता0 प्र0 सं0–145 द्वारा उत्तरित]

थाना असोहा जनपद उन्नाव की कथित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ एस0 पी0 उन्नाव को दिए गए शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

115–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एस0 पी0 उन्नाव को असोहा पुलिस की ज्यादतियों के संबंध में गत 6 माह में कितने शिकायती पत्र मिले हैं और उनमें कितने की जांच हो चुकी है तथा कितनों पर जांच चल रही है ? क्या सरकार श्री रूपनारायण पुत्र देवी दयाल निवासी समाधा, थाना असोहा व समाजवादी युवजन सभा विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अध्यक्ष भूपेश कुमार के उत्पीड़न विषयक एस0 पी0, उन्नाव को अलग-अलग माह दिसम्बर, 93/जनवरी, 94 में दिए गए प्रार्थना-पत्रों की जांच में दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कुल 22 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 13 प्रार्थना-पत्रों की जांच पूर्ण हो चुकी है तथा 9 प्रार्थना पत्रों में जांच प्रचलित है ।

श्री रूप नारायण एवं श्री भूपेश कुमार के प्रार्थना-पत्रों की जांच से कोई भी पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । इसलिए किसी भी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं बनता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गांव दिनदासपुर, थाना फूलपुर, जनपद–वाराणसी की रिपोर्ट थानाध्यक्ष फूलपुर, वाराणसी द्वारा न लिखे जाने के संबंध में जानकारी की मांग

116–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजेन्द्र कुमार सिंह, गांव दिनदासपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी की रिपोर्ट थानाध्यक्ष, फूलपुर, वाराणसी के न लिखने के खिलाफ श्रीमान् जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहां राजेन्द्र कुमार ने प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय ने 26-8-93 को रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने का आदेश एस0 एस0 पी0, वाराणसी को दिया था ? यदि हां, तो रिपोर्ट न लिखे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को नहीं अपितु थानाध्यक्ष फूलपुर को दिया गया था । आदेश के अनुपालन के क्रम में घटना के वास्तविक तथ्यों से संबंधित आख्या माननीय न्यायालय को भेजी गई जिसके संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश न दिए जाने के कारण अभियोग पंजीकृत न हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी चोलापुर द्वारा जांच की गई । जांच आख्या में की गई संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह के प्रार्थना-पत्र पर मु0अ0सं0–37/94 धारा 395/397 भा0द0वि0 के अन्तर्गत थाना फूलपुर जनपद वाराणसी में पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है । इस संबंध में किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश के कर्मचारियों को शासनादेश के अन्तर्गत विशेष अवसरों पर विशेष कपड़े पहनने के निर्देश

117–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–जी0 197/3-93-77 (11)/93 सा0 प्र0 अनु0, दिनांक 20-1-94 के अन्तर्गत प्रदेश के कर्मचारियों को जो कपड़ों को पहनने की अनिवार्यता पर बल दिया गया है उसमें आने वाले खर्चे को सरकार स्वयं वहन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्रश्नगत शासनादेश भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में दिनांक 29-1-94 को जारी किया गया है ।

प्रश्नगत शासनादेश में उल्लिखित वेशभूषा मुख्यतय: औपचारिक एवं समारोहात्मक अवसरों के लिए है, अधिकारियों को इन्हें यथावसर धारण करने का सुझाव/निर्देश दिए गए हैं, इसकी अनिवार्यता पर बल नहीं दिया गया है ।

118–श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

[दि0 1-3-94 को अता0 प्र0 सं0–41 द्वारा उत्तरित]

बांदा जिले में बरगढ़ प्लेट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़ के शिथिल निर्माण कार्य को शीघ्र कराए जाने के संबंध में की जा रही व्यवस्था के संबंध में जानकारी

119–श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में बरगढ़ प्लेट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़ का निर्माण कार्य शिथिल है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस बाबत क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण कार्य शिथिल है । राज्य सरकार इस फैक्ट्री के शीघ्र निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है ताकि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं नए सह प्रवर्तक के चयन को अनुमोदन प्रदान करें और परियोजना लागत में अतिरिक्त राहत प्रदान करते हुए ऋण की धनराशि शीघ्र अवमुक्त करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद के थाना फरह, मगोंरा, नरहोली, गोवर्धन एवं वृन्दावन में विगत तीन वर्षों की आपराधिक मालों के विवरण तथा मुल्जिमों की गिरफ्तारी

120–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के थाना फरह, मगोंरा, नरहोली, गोवर्धन एवं थाना वृन्दावन की वर्तमान से विगत तीन वर्षों की अपराधिक स्थिति क्या है ? डकैती, अपहरण, मूर्ति चोरी के क्या सभी मुल्जिम पकड़े गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद के थाना फरह, मगोर्रा, नरहोली, गोवर्धन एवं वृन्दावन की वर्तमान से विगत तीन वर्षों की अपराधों की स्थिति

1991	1992	1993	1-1-94 से 28-2-94 तक
395	593	42	90

वर्ष 1991 में डकैती के 31 अभियुक्त थे जिनमें से 29 अभियुक्त पकड़े गए, 1 अभियुक्त की मृत्यु हो गयी, 1 अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु शेष है जिसकी कुर्की हो चुकी है एवं पकड़ने के प्रयास जारी हैं । अपहरण शीर्षक के अन्तर्गत 18 अभियुक्त थे जिनमें से 16 पकड़े गए, 2 असत्य पाए गए । मूर्ति चोरी का कोई भी अभियोग नहीं है ।

वर्ष 1992 में डकैती के 46 अभियुक्त थे जिनमें से 40 अभियुक्त पकड़ गए 3 अभियुक्त असत्य पाए गए, 3 की गिरफ्तारी शेष है, जिनकी कुर्की हो चुकी है; गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । अपहरण/मूर्ति चोरी शीर्षकों के अन्तर्गत कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ ।

वर्ष 1993 में डकैती के 70 अभियुक्त थे जिनमें से 52 गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 अभियुक्त असत्य पाया गया, 1 मारा गया एवं 16 अभियुक्त जिनके संबंध में मजिस्टीरियल जांच हो रही है और विवेचनाधीन है । अपहरण शीर्षक के अन्तर्गत 47 अभियुक्त थे जिनमें से 31 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 असत्य पाये गये, 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनकी कुर्की हो चुकी है, गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । मूर्ति चोरी शीर्षक के अन्तर्गत, 1 अभियुक्त था जो गिरफ्तार किया जा चुका है ।

वर्ष 1994 में अब तक डकैती शीर्षक के अन्तर्गत कोई अभियुक्त नहीं है । अपहरण शीर्षक के अन्तर्गत 8 अभियुक्त थे जिनमें 7 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक की गिरफ्तारी शेष है जिसकी कुर्की हो चुकी है एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । मूर्ति चोरी शून्य है ।

जनपद मथुरा में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचारों के संबंध में विस्तृत जानकारी की मांग

121—श्री अजय कुमार पांडया—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वर्तमान से विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचारों को लेकर विशेष न्यायालय ने कितनी शिकायतों को संबंधित थानों को रिपोर्ट हेतु भेजा ? उनकी स्थिति क्या है ? विवेचना किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गयी ? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कुल 17 रिपोर्ट ।

13 रिपोर्टें विचाराधीन न्यायालय हैं । एक रिपोर्ट खारिज हो चुकी है । शेष तीन में अन्तिम रिपोर्ट लगायी जा चुकी है ।

आठ मामलों में उपनिरीक्षक द्वारा, एक मामले में थानाध्यक्ष स्तर से शेष आठ मामलों में विशेष अनुसंधान शाखा स्तर से विवेचना की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद में पुलिस विभाग की गाड़ी द्वारा स्व0 कृष्ण करुणाकर पाण्डेय की मृत्यु की क्षतिपूर्ति का मामला

122—श्री चन्द्र शेखर सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद में 30-12-84 को पुलिस विभाग की गाड़ी संख्या—2585 द्वारा स्वर्गीय कृष्ण करुणाकर पाण्डेय की मृत्यु हो गयी थी ? क्या मोटर दुर्घटना बाद संख्या—12/1985 द्वारा माननीय न्यायालय ने क्षतिपूर्ति का निर्णय भी दिया है ? अभी तक उक्त के संबंध में क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज की वसूली किन कारणों से नहीं हुई ? कब तक क्षतिपूर्ति शासन द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

मोटर दुर्घटना वाद संख्या 12/1985 सूर्य नारायण बनाम राज्य सरकार व अन्य में अवर न्यायालय के निर्णय दिनांक 11-7-88 की अपील शासन की ओर से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में की गयी है जो अभी विचाराधीन है । अतः उक्त अपील के निर्णय तक भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री गुरजीत सिंह चावला (झांसी) के खिलाफ लगाये गये फर्जी मुकदमों की सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 की जांच के आधार पर कार्यवाही की मांग

123–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुरजीत सिंह चावला (झांसी) के खिलाफ झांसी पुलिस द्वारा लगाये गये फर्जी (अगस्त, 1991) मुकदमों की सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 जांच को पूर्ण हुए कितने दिन हो गये हैं ? क्या अभी तक जांच रिपोर्ट फर्जी मुकदमों की वापसी हेतु शासन द्वारा झांसी भेजी गई है ? यदि नहीं भेजी गई है, तो क्यों ? मुकदमों की वापसी हेतु आदेश कब तक भेजे जायेंगे ? उक्त प्रकरण में कितने पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 ने शासन को कार्यवाही हेतु लिखा है ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं हुई, तो क्यों व कब तक होगी ? क्या इन दोषी पुलिस अधिकारियों का झांसी से स्थानान्तरण के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि नहीं किये गये, तो क्यों ? कब तक स्थानान्तरण हेतु आदेश दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अभियोग अपराध संख्या 70/91, 89/91 एवं 362/91 की जांच पूर्ण किये हुए लगभग 2½ माह हो चुके हैं एवं अभियोग अपराध संख्या 520/91, 567/91 एवं 568/91 की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रचलित है ।

मुकदमों की वापसी के संबंध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

जांच आख्या से 35 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा संस्तुति की गयी है ।

दोषी पाये गये सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है ।

जनपद व मण्डल स्तर पर बनाये जा रहे बन्दूक व रिवाल्वर आदि के लाइसेंस को प्रदेश व दिल्ली सीमा तक बढ़ाये जाने की मांग

124–श्री गजराज सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दूक व रिवाल्वर आदि के लाइसेंस जो जनपद व मण्डल स्तर पर बनाए जा रहे हैं क्या उन्हें प्रदेश व दिल्ली सीमा तक बढ़ाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–
जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आग्नेयास्त्र लाइसेंस की स्वीकृति व उनके सीमा विस्तार के आवेदन-पत्रों पर आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार निर्णय लिया जाता है । वर्तमान में जनपद/मण्डल/प्रदेश की सीमा के लिए अनिषिद्ध वर्ग के आग्नेयास्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट सक्षम हैं । सम्पूर्ण भारतवर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए सीमा विस्तार का निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार सक्षम है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में सेवा नियमावली एवं वरिष्ठता सूची बनायें जाने की मांग

125–श्री राम आसरे वर्मा–
क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में सेवा नियमावली एवं वरिष्ठता सूची बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त दोनों कार्य कब तक पूरे कर लिए जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–
राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जा चुकी है तथा कतिपय संवर्गों की ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

ज्येष्ठता सूची यथाशीघ्र अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जायेगी ।

126–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–
[4थे गुरु में बसा0 प्र0 सं0 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, लखनऊ के अधीन अमौसी इण्डस्ट्रियल एरिया में वित्त पोषित इकाइयों तथा उनसे वसूली की कार्यवाही

127–श्री सतीश भाटिया–
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम, लखनऊ के अधीन अमौसी इण्डस्ट्रियल एरिया में कितने यूनिट वित्त पोषित हैं ? उनमें से कितनों से धन की वसूली नहीं हो पा रही है ? यदि 75 प्रतिशत से अधिक उद्यमी ऋण वापसी में असमर्थ हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, लखनऊ के अधीन अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में कुल 14 इकाइयां वित्त पोषित हैं । इनमें से 5 इकाइयों से ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है, जो कुल इकाइयों का लगभग 36 प्रतिशत ही है । इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं–

पहली सूचना आचार्य जगदीश मुनि की, हरिद्वार जनपद में 40 मिनी बसें एक ही रूट में अवैध रूप से चलने के कारण राजस्व की हो रही क्षति के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की, बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरब बेलाव बकुला में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों की सहायता देने के संबंध में है ।

तीसरी सूचना श्री हृदय नारायण की, उन्नाव जनपद में भूगर्भ जलस्तर नीचे गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री मुरलीधर की, बांदा के आंगासी घाट पर यमुना नदी में प्रस्तावित पीपे का पुल बनवाने के संबंध में है ।

पांचवीं सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां की, आगरा में फैल रही गन्दगी के कारण बीमारियां फैलने की आशंका के संबंध में है ।

छठी सूचना श्री अमर नाथ यादव की, वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत समस्त पार्कों की दुर्दशा के संबंध में है ।

सातवीं सूचना श्री राम प्रसाद टम्टा की, पर्वतीय क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं ।)

हरिद्वार जनपद में 40 मिनी बसों के एक ही रूट पर अवैध रूप से चलने व राजस्व की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*आचार्य जगदीश मुनि–

[माननीय, हरिद्वार जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत के कारण एक ही रूट हरिद्वार-लक्सर पर 40 मिनी बसें बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चलती हैं । क्षमता से अधिक सवारियां भरकर तेज भागती रहती हैं । अनेक बार दुर्घटनाएं भी होती हैं पर प्रशासन को कई बार अवगत कराने पर भी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया । अनेकों बार अधिकारियों से शिकायत भी की गयी । गत सप्ताह हरिद्वार से करीब 15 किलोमीटर दूर पेरूपुर गांव के हाईस्कूल का नवीं क्लास का बालक मिनी बस से मारा गया । अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ नहीं सुना । अन्त

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में जनता ने रास्ता जाम किया तब पर्दाफाश हुआ कि वे सभी मिनी बसें बिना परमिट की काफी अर्से से चल रही हैं । स्वीकृत रूट की रोडवेज की बसें नहीं चलाई जातीं । कभी-कभी केवल दिखाने के लिए कोई बस चलती थी । इस प्रकार की धांधली अन्य रूटों पर भी हो रही है जिसकी तुरन्त जांच कराई जावे । रोडवेज की बसें चलाई जायें । अवैध वाहन बन्द किए जायें जिससे सरकार को राजस्व मिले एवं दुर्घटनाओं से जनता दुखी न हो ।]

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरब बेलाव बकुला में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[मान्यवर, बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पूरब बेलाव बकला में भीषण अग्निकाण्ड हो जाने के कारण 80 घरों की चल एवं अचल सम्पत्ति करोड़ों रुपए की जलकर नष्ट हो गई है इस विषम परिस्थितियों में अग्निकाण्ड से पीड़ित ग्राम बकुला में 20, पूरब बेलाव में 60 परिवारों के लोगों के सामने भुखमरी की समस्या तथा आवासीय संकट पैदा हो गया है पीड़ित परिवारों हेतु अहैतुक सहायता 5000/- तथा मकान निर्माण हेतु 10,000 रुपए तक की धनराशि दिए जाने तक की मांग करता हूं । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद उन्नाव में भूगर्भ जल स्तर नीचे गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण–

[मान्यवर, समूचे उत्तर प्रदेश सहित उन्नाव जिले में भूगर्भ जल स्तर गिरता जा रहा है भूगर्भ जल स्तर का गिरना पीने का पानी का संकट तो पैदा करेगा ही वनस्पति, पेड़, पौधों पर भी असर पड़ेगा, पर्यावरण भी असंतुलित होगा ।

भूगर्भ जल स्तर के गिरने से उन्नाव जिले में कुओं का पानी सूख गया है । हैण्ड पम्प काम नहीं कर पा रहे हैं । सम्भवतः यह इसलिए हो रहा है कि सरकारी योजना निःशुल्क बोरिंग और निजी बोरिंग के स्तर कम गहरे हैं । इसलिए भूगर्भ जल की ऊपरी सतह समाप्त हो रही है ।

आज सरकार को इस सूचना के माध्यम से विनम्र सुझाव है कि भूगर्भ जल स्तर के गिरते रहने से आसन्न खतरों की भयावहता को देखते हुए जल स्तर के गिरने के कारणों की गहन जांच भूगर्भ जल सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर उन्नाव को सैंपल मानकर जांच करानी चाहिए । पुरवा विधान सभा क्षेत्र के पुरवा, असोहा, हिलौली इलाकों में यह सर्वेक्षण सुविधाजनक ढंग से हो सकता है, क्योंकि यहां कुएं बिल्कुल सूख गए हैं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

भूगर्भ जल स्तर के लगातार गिरने की समस्या से फौरी तौर पर निबटने के लिए इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाए जाने चाहिए, मगर स्थायी उपाय तो इस समस्या के गहन सर्वेक्षण से ही खोजे जा सकते हैं ।

उन्नाव जिले के आम नागरिक भयभीत हैं । अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा के अगासी घाट पर यमुना नदी पर प्रस्तावित पीपे के पुल के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, ससम्मान अवगत कराना है कि बबेरू (जनपद–बांदा)–फतेहपुर मार्ग में यमुना नदी पर अगासी घाट पर पीपे के पुल निर्माण हेतु शासनादेश सं0 218/इ-23-सा0 नि0 अनुभाग-11-184 ई/82, दिनांक 24-5-83 के द्वारा रु0 15,20 लाख स्वीकृत हुए थे । शासन के पत्र सं0 1527 सी/23 सा0 नि0 अनुभाग-1, दिनांक 1-3-89 द्वारा इलाहाबाद कुम्भ मेले के फालतू पाण्टूनों से 50 पाण्टून आवंटित किए गये थे, उपरोक्त कार्य हेतु इलाहाबाद से 50 पाण्टून आगासी तक लाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बांदा ने उक्त घाट के ठेकेदारों को जनता से अवैध/अनाधिकृत वसूली बरकरार रखने हेतु अपने पत्र सं0 1784 सी-7, दिनांक 14-9-89 के माध्यम से वास्तविक व्यय से अधिक धनराशि रु0 4.00 लाख शासन से मांगा था, तबसे लगातार हर बार भ्रामक व पचासों गुना धनराशि मांगकर स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग व जनता के साथ विश्वासघात करते रहे और अब तक पीपे न लाकर ठेकेदारों द्वारा गम्भीर शोषण कराया जाता रहा । उक्त मार्ग में पीपे का पुल बनने से सतना (मध्य प्रदेश) से सीधा जनपद बहराइच तक अवरुद्ध मार्ग खुल जाएगा, जिससे कई जनपद लाभान्वित होंगे तथा सदियों से उपेक्षित उद्योग रहित, दस्यु प्रभावित, विकास शून्य क्षेत्र बबेरू में जनता को सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर मिल सकेगा ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सरकार को सक्षम आदेश पारित करने की कृपा करें ।]

जनपद आगरा में गन्दगी होने से बीमारियां फैलने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश कान्त लवानिया–

[महोदय, आगरा एक ऐतिहासिक नगर है, देश विदेश के लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं । आगरा की आबादी भी लगभग 14 लाख है । आगरा की गन्दगी को देखकर पर्यटकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । महानगरिका में लगभग 3200 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन शहर की आबादी और आकार को देखकर यह संख्या बहुत कम है । समय-समय पर महापालिका द्वारा नये सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के पद सृजन की अनुमति

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ;

*सदन के भ्रमण का पर्यवेक्षण नहीं किया ।

शासन से मांगी है किन्तु शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है । नव विकसित कालोनियों में तो महापालिका की तरफ से सफाई का कोई इन्तजाम नहीं है । शहर के विस्तार के अनुरूप सफाई कर्मियों एवं अन्य उपकरणों की संख्या नहीं है । इस समय आगरा में चारों तरफ गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं गर्मी आ गयी है । अतः गन्दगी के कारण बीमारियां फैलना प्रारम्भ हो गया है । उक्त कारणों से इस विषय को सदन में उठाना जनहित में आवश्यक है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान कर आवश्यक कार्यवाही की जाये ।]

वाराणसी में पार्कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरनाथ यादव–

[मान्यवर, वाराणसी महानगर के 243 वाराणसी उत्तरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त पार्कों की दुर्दशा एवं दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में एक अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर उस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही का आग्रह करता हूं ।

वाराणसी एक सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं पर्यटक का केन्द्र रहा है । 243 वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में दो-दो विश्वविद्यालय, पांच डिग्री कालेज, 25 बालक बालिकाओं के इण्टर कालेज व हाई स्कूल हैं । पर्यटन एवं धर्म के लिए हजारों लोग प्रतिदिन इस क्षेत्र में आते रहते हैं । 6 लाख की आबादी वाला क्षेत्र भी है यहां के लोगों को प्रातः टहलने एवं बच्चों को खेलने के लिये जो भी पार्क उपलब्ध है वह अपनी दुर्दशा व दुर्व्यवस्था के लिए स्वयं रो रहा है । पार्कों की रखवाली के लिए न कोई कर्मचारी और न ही कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देता है । कहीं-कहीं पार्क पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है, तो कहीं-कहीं जानवरों का अड्डा बना हुआ है । पार्कों की चहारदीवारी की न तो कभी मरम्मत होती है और न कभी सफाई । कूड़ों का ढेर लगा हुआ है । इन पार्कों से स्वास्थ्य लाभ न मिलकर भयंकर बीमारियों का आमंत्रण करना पड़ता है । ऐसे कुछ पार्कों के नाम इस प्रकार हैं :– पिशाचमोचन, सेनपुरा, रामकटोरा, जगतगंज, रमाकान्त नगर, मलदहिया, परठे कोठी इंगलिशिया लाइन, पटेल नगर, विवेकानन्द नगर, संजय गांधी नगर, काटन मिल कालोनी, आई0डी0एच0 कालोनी, मछोदरी आदि ।

अतः उक्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय जनहित में आपके संज्ञान में लाकर आपसे मांग करता हूं कि शासन तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर उक्त पार्कों की दुर्दशा एवं दुर्व्यवस्था से क्षेत्रीय जनमानस को निजात दिलाने का कष्ट करें ।]

पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद टम्टा–

[मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की कठिन समस्या उत्पन्न हो रही है पीने का पानी पुराने व जल स्रोतों का रख रखाव न होने नये पेयजल योजनाओं का समुचित लाभ

ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है आज भी मेरे क्षेत्र में पीने का पानी नलों में ताला लगाकर बारी-बारी पानी उपलब्ध 2-3 दिन में मिलता है ग्राम तरमोली, पाना, रेवोली जठाई आदि ऐसे गांव हैं जिनमें पीने का पानी पैंवा (उधार) लिया जाता है तथा कोसानी पर्यटन स्थल कविराज सुमित्रानन्दन पंत की जन्म स्थल, तथा खरेही पट्टी के लोबं, जनोटी पालड़ी करालापालड़ी तथा गरड़ ब्लाक में पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची है सरकार गर्मियों में यहां की जनता के हित में पीने के पानी की व्यवस्था करे ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं वह सभी सूचनायें नियम 300 में नहीं आती हैं, इसलिए इनको अस्वीकार किया जाता है ।

जिला अधिकारियों द्वारा मा0 विधायकों के विरुद्ध मुकदमा दायर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा प्रश्न सदन के सभी माननीय सदस्यों से संबंधित है । विधायकों पर मुकदमें दायर किये जा रहे हैं । . . .

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे दिया था और आपका ध्यान आकृष्ट किया था नियमों की ओर, आप कृपया उनको देख लें । सदस्यों की हस्त-पुस्तिका और नियमावली इन सभी को आप देख लीजियेगा, तो आप स्वयं संतुष्ट हो जायेंगे कि यह नहीं आता है। आपको औचित्य के प्रश्न को उठाते समय नियमावली और संविधान का भी हवाला देना चाहिये कि वह किसके तहत आ रहा है और आप किस नियम के तहत उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी नियमावली में व्यवस्था है, कि जो घटना या प्रश्न तत्काल हुये हों, उनको सदन के संज्ञान में लाया जाना चाहिये । आप देखें कि नियम-300 में पहले से ही सूचना देनी होती है, अगर कोई घटना कल घटती है, तो इसका विषय नियम-300 में आ सकता है लेकिन जो घटना आज घटी हो, तो उसका विषय नियम-300 में किस प्रकार से आ सकता है । इसीलिए मैंने यह सूचना दी है । जिलाधिकारी, फैजाबाद और गोरखपुर . . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी आप देख लें कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं बनता है । आप नियमावली को देख लें, आप तो खुद जानकार हैं । अध्यक्ष द्वारा जो समय-समय पर निदेश जारी किये गये हैं, उनको आप देख लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप हमारी बात को सुन लें और अगर वह नियमों में नहीं आता है, तो आप अग्राह्य कर दीजियेगा ।

प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-7 का सुस्पष्ट उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उसको लिखकर भी भेज दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था को सुनूंगा । गुप्त जी एक व्यवस्था आयी है, उसको पहले सुन लूं।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारे द्वारा प्रश्न दिये जाते हैं और आप द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं और यह आशा की जाती है कि शासन द्वारा स्पष्ट उत्तर सदन के सामने आये।

मान्यवर, यह पहले मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 7 मेरा प्रश्न था कि प्रदेश में अल्प संख्यकों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये जाने की विशेष व्यवस्था पर शासन विचार करेगा, यह प्रश्न था अब शासन की ओर से जवाब क्या आया है जी नहीं अग्नेयास्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति एवं उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया आयुद्ध अधिनियम, 1969 एवं उसके अधीन प्रभावी नियमावली 1962 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है । शांति व्यवस्था के परिपेक्ष में लाइसेंस आवेदक की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर स्वीकृत किया जाता है न कि जाति अथवा धर्म के आधार पर और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा जाति और धर्म का कोई कालम नहीं है ।

मान्यवर, आमतौर पर जब कभी अल्पसंख्यकों के प्रार्थना-पत्र आए होंगे या अनुसूचित जाति के प्रार्थना-पत्र आये होंगे और उनके प्रार्थना-पत्र पर जब नीचे से रिपोर्ट मांगी जाती है...

श्री अध्यक्ष–

पहले अपनी भाषा को जो आपने लिखकर दिया है उसको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। आप व्यवस्था के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और कह रहे हैं औचित्य ।

(व्यवधान)

क्या यह औचित्य का प्रश्न है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप तो बहुत छोटी सी छोटी गलती पकड़ लेते हैं । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, हैडिंग में तो अवस्था का प्रश्न लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो अल्प संख्यकों और अनुसूचित जाति के प्रार्थना-पत्र जाते रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय वर्मा जी, पिछले मंगलवार को जो एक सप्ताह पहले प्रश्न उठाया गया है उस पर क्या व्यवस्था का प्रश्न इस तरह से उठाया जा सकता है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह इस सदन से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

यह उसी दिन उठाया जा सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह जरूरी नहीं है कल कोई बात सदन के सामने आये और कल की जगह पर उसको आज व्यवस्था के रूप में उठाता हूं और उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं तो वह हमारा अधिकार बन जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

यह उठाया नहीं जा सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर आप अनुमति दे देंगे तो मैं बात पूरी कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको पीठ पर बैठाए देता हूं, आप निर्णय दे दीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह अधिकार हमारा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

एक सप्ताह पहले जो प्रश्न आ चुका है उस पर आप व्यवस्था उठायेंगे यह किसी नियम के अन्तर्गत उचित नहीं है, आप जिद मत कीजिये । इसको जो नियम 64-65 है उसमें लिखकर दे दीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं अपना प्रश्न तो उपस्थित नहीं कर पाया मेरा प्रश्न सुन लें उसके बाद जो निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा ।

मान्यवर, जब कभी भी इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के लोगों की नीचे से रिपोर्ट मांगी जाती है तो नीचे के अधिकारियों ने हमेशा यह रिपोर्ट दी होगी कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जबकि उनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं होगी । मान्यवर, आपराधिक प्रवृत्ति का सहारा लेकर अल्प संख्यकों और अनुसूचित जाति के लोगों को अग्नेयास्त्र के लाइसेंस देने से अलग रखा जा रहा है ।

सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न पूरा नहीं हो पाया और यह दूसरा व्यवस्था का प्रश्न हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह अच्छा नहीं दिखाई देता है ।

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमावली में हमने आपको सारे अधिकार दे रखे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अधिकार अपने पास नहीं रखना चाहता हूं, जो इसमें हैं वहीं हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सारे अधिकार जो हमने आपको दे रखे हैं, उनके सम्बन्ध में आप द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है ।

मान्यवर, शांतिपूर्ण सदन न होने के कारण रोजाना एक घंटे दो घंटे के लिए सदन स्थगित रहता है । मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि कृपया आप नियमावली के नियम 299 और 299(क) को देखने का कष्ट करें । उसमें आपको सदन में शान्ति व्यवस्था कायम करने और सदन को सुचारु रूप से चलाने के अधिकार दिये गये हैं । अगर कोई माननीय सदन शान्ति व्यवस्था को नहीं बनाये रख सकता है तो आप इंगित कर देंगे उस दिन के लिए वह सदन से बाहर चला जायेगा । उसके बाद भी अगर वे नहीं मानते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री या कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव कर देंगे और वह प्रस्ताव मान्य होने पर पहले 3 दिन के लिये उसके बाद 7 दिन के लिये उन्हें सदन से बाहर किया जायेगा । (व्यवधान) मान्यवर, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । 299 (क) में यह है कि आपकी टेबिल पर चढ़ेंगे तो पूरे उपवेशन के लिए उन्हें आप सदन से बाहर कर सकते हैं । कल तीन बार सदन स्थगित हुआ है इससे पहले भी दो बार सदन स्थगित हो गया । लेकिन स्थगित होने से पहले आप अपने अधिकारों को अगर प्रयोग में लिये होते...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपको कल उठाना चाहिए था ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह तो आरोप लगा रहे हैं, पीठ पर ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम संगत नहीं है ।

कल एक मद समाप्त हुई थी, कल इसे उठा लिए होते, आज उठा नहीं सकते हैं, आज उठाने का कोई अधिकार नहीं है । क्या कल की किसी बात पर आप आज उठा सकेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपके आदेश हैं, वापस ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से समय बरबाद न कीजिए । आप लोग बैठें ।

जिला अधिकारियों द्वारा मा0 विधायकों के विरुद्ध मुकदमा दायर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप कृपया हस्तपुस्तिका का पृष्ठ 55 देखने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप पृष्ठ 15 और मद 22 भी देख लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो मामला उठाया है वह सारे सदन के सदस्यों से संबंधित है । हमें यह अधिकार है कि बिना किसी भय के काम कर सकें, उसमें विशेषाधिकार भी दिए गए हैं, यदि किसी सदस्य को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के अभिप्राय से कोई बात की जाती है, हम सदन में बैठे हुए लोग आज काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारीगण हम लोगों पर मुकदमा कायम करने की योजना बना रहे हैं । फैजाबाद, गोरखपुर के जिलाधिकारियों के द्वारा मुकदमें कायम हो रहे हैं । मेरे पास सी0 आर0 पी0 सी0, आई0 पी0 सी0 है वह मैं बाद में दिखाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप किस नियम में उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

300 में दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

300 में आप नहीं उठा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं..

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियम के अन्तर्गत दिया है या नहीं यह तो आप तय करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

नियम के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब पूरा सदन मेरी बात सुनेगा तो सदन सहमत हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

किस नियम के तहत औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम 300 में उठा रहा हूं, उसमें है कि आदरणीय सदन के संज्ञान में मामला होना चाहिए, सदन के संज्ञान में मामला है, सभी विधायकों को धमकी दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

तत्समय, यह शब्द भी देख लें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय गुप्त जी ने अभी उठाया मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । मैं आपका ध्यान नियम 300, औचित्य के प्रश्न और उन पर विनिश्चय की तरफ दिलाना चाहता हूं । औचित्य का प्रश्न इन नियमों या संविधान के अनुच्छेदों के, मान्यवर, संविधान के तहत विधान सभा का गठन हुआ और विधायक चुनकर आये तो अगर विधायकों के अधिकारों के सिलसिले में कोई भी औचित्य का प्रश्न आयेगा वह औचित्य का प्रश्न बन जाता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों के तहत.

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी उसके आगे और पढ़ें क्या लिखा हुआ है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उसके आगे तो कोमा लगा हुआ है । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेदों की बात जहां पर आएगी वहां पर सदन और विधायक यह दोनों इस नियम के अंतर्गत प्रश्न उठा सकते हैं । माननीय गुप्त जी ने जिस ओर संकेत किया है, मान्यवर, एक तरफ तो चुनाव आयोग अपनी सीमायें तोड़कर आप स्वयं जानते हैं कि चुनाव से लेकर चुनाव की समाप्ति तक तो निर्देश दे सकता है, लेकिन उसके बाद यदि कोई निर्देश जारी किये जाते हैं तो कार्यपालिका मानने को बाध्य नहीं है कि उसका अनुपालन करे । आज विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । कोई परम्परा अगर चली आ रही है तो मैं उसे मानने के लिए बाध्य नहीं हूं । मैं नियमों के तहत ही चलूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप नियम–300 का चौथा क्लाज देखें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप नियम–300(2) को देखें । उसमें लिखा हुआ है औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा । पहली मूल चीज तो यह है । यह पहली पंक्ति में लिखा हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम–300(4) में पढ़ लें कि किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सदन का कार्य हम लोगों से जुड़ा हुआ है । आप नियम–300(2) देखें उसमें लिखा हुआ है कि औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा । कार्यसूची में औचित्य के प्रश्न, कार्यस्थगन के प्रश्न और प्रश्नोत्तर की मदें सम्मिलित रहती हैं । तो हमारे ऊपर इस सरकार के अधिकारी-गण मुकदमा कायम करके हमें सदन में आने नहीं देंगे जिससे सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी तो कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष–

लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा । परन्तु किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम भी वही कह रहे हैं । जब हमको यह सूचना दी गयी कि हमारे ऊपर मुकदमे कायम किये जा रहे हैं तो उससे हमको मानसिक कष्ट हुआ, हमारा तनाव बढ़ा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है और इसमें औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से बैठकर नियमों की व्याख्या कर लीजिएगा । यह औचित्य के अंतर्गत नहीं आता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन्टरप्रटेशन तो आप करेंगे । आप जरा सा नियम–300(4) देख लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आज 11.00 बजे सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहता था । मगर मुझे हरदोई से सूचना मिली कि मेरे खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा है । तो मैं हरदोई चला गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गयी इसमें मैं सदन में शुरू से हिस्सा नहीं ले पाया । मान्यवर, यह जो चुनाव आयोग का आदेश हुआ है कि विधायकों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये इससे हमको कार्य करने में बाधा उत्पन्न हुई है अत: यह औचित्य का प्रश्न स्वयं ही बनता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कृपया करके नियम–300(4) पढ़ लें ।

मान्यवर, आप 300(4) को भी पढ़ लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं 11 बजे सदन में उपस्थित होना चाहता था, मेरी पूरी रुचि थी । लेकिन मुझे पता लगा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर इस सरकार के अधिकारी मेरे खिलाफ . . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल साहब, पहले यह बता दीजिये कि आज की कौन सी ऐसी कार्यवाही थी, जिसके संबंध में यह औचित्य का प्रश्न आप उठा रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं 11 बजे सदन में आना चाहता था और जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उसकी वजह से मैं समय पर नहीं आ सका, इससे मेरे अधिकारों का हनन हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

आप किन प्रश्नों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न रख रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं, माननीय गुप्ता जी ने, जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, पर बल दे रहा हूं ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, मैं माननीय सदस्यों से विस्तार में वार्ता करना चाहूंगा । आप चाहें तो अग्रवाल साहब, वर्मा जी, गुप्त जी, किरन पाल जी, आप लोग 5 बजे के बाद विस्तार से मेरे कक्ष में वार्ता कर लीजिएगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय, यह आपके कक्ष में बैठकर बात करने का विषय नहीं है । यह सदन में चर्चा का विषय है ।

श्री अध्यक्ष–

इस नियमावली को और स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिए हस्तपुस्तिका के पेज 15-17 पर आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, इसे पढ़ लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, आप 300 का (3) व (4) पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझसे एक-एक सदस्य बात कर लीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, नियम 300 का सब क्लाज (4) पढ़ लें । इसमें दिया हुआ है कि अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

तब सुनेंगे, जब नियम में आती हो ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात रखें, तो मैं उत्तर दूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप नाराज न हों । मेरा भी नाम लिया गया है, कक्ष में सलाह मशविरा के लिए । नियम–300 का हवाला दिया गया और आप एक साथ पूरा पढ़कर, जो पिछला हिस्सा है, उसमें जिस्ट निकाल लिया है । श्रीमन् जो विषय आपके सामने है, वह सभी विधायकों के विशेष अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है । यहां नियमावली की बात कही गयी, संविधान की बात कही गई । माननीय, मेरा आपसे आग्रह है कि विचित्र स्थिति इस प्रदेश में पैदा होने जा रही है । यह जो चुनाव आयोग द्वारा माननीय सदस्यों के खिलाफ मुकदमें कायम कराये जा रहे हैं । . . . .

श्री अध्यक्ष–

औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं बनता है केवल इस पर बोलिये ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय, विषय पर ही बोल रहा हूं । यह औचित्य का प्रश्न बनता है और इसलिये बनता है, क्योंकि माननीय विधायकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है । माननीय विधायकों के ऊपर मुकदमा दायर किया जा रहा है और उन्हें सदन में आने से रोका जा रहा है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह नियमावली और हस्त पुस्तिका गलत है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कुछ पूर्व दृष्टान्त भी हैं । आप सुनने के बाद अग्राह्य कर दें तर्क हमारा सुन लें, शायद आप स्वीकार कर लें । . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं बार-बार कह रहा हूं यह गलत तरीके से उठाया जा रहा है । औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप सुन लें और अपना निर्णय सुरक्षित रखें लेकिन पूरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम के तहत सारी बात कह रहा हूं । 80-85 के पहले ऐसा नहीं था यह परम्परा बाद में डाली गयी । सदन को तत्समय नोटिस दी जाती थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमेशा दी जाती रही है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

आप इस पर बहस करा लीजिए कि औचित्य का प्रश्न है या नहीं ?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, हम लोगों ने नियम 300 में सूचना दी है, आप सुन लीजिए, निर्णय सुरक्षित रखियेगा ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, गोरखपुर में मेरे खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा है । यह विधायकों के अधिकारों से संबंधित है । इस पर औचित्य का प्रश्न बनता है । आप सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे कक्ष में आ जायें और नियमावली के नियम की समीक्षा कर ली जाये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसका निपटारा सदन के अन्दर ही होना चाहिए ।

श्री नरेश अग्रवाल–

कौन से प्रश्न औचित्य के होते हैं इस पर बहस हो जाये ?

श्री अध्यक्ष–

मैं सुनने को तैयार हूं । आप लोग हमें यह बता दीजिए कि कैसे औचित्य का प्रश्न बनता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसी आदरणीय सदन में श्री बदन सिंह जी ने उठाया था कि लिफ्ट खराब होने के कारण वह समय से सदन में नहीं पहुंचे । लेकिन लिफ्ट का खराब होना सदन का विषय नहीं था । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं अपने घर से हाउस आने के लिये चला । रास्ते में मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, यह सूचना विशेषाधिकार का बनता है क्योंकि तत्काल हमला किया गया । तो क्या इस प्रकार तात्कालिक विषय पर कोई सदस्य औचित्य के प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने का अधिकार नहीं रखता है ? यह मामला पब्लिक न्यूसियन्स एक्ट के अन्तर्गत आता है । मान्यवर, आप सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 भी देख लें । . . . . .

श्री अध्यक्ष–

औचित्य में नहीं है ।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप सुन तो लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

. . . . . क्या यह औचित्य का प्रश्न है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

नियम के विरुद्ध कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम–311 देखें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न बनता है ।

(भाजपा और जनता दल तथा कांग्रेस के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमानुसार ही कार्यवाही चलाऊंगा, आप बात करना चाहते हैं (व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही अब आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।

तदोपरान्त 2 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया था उसके बारे में अनुमति हो तो कहूं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 के बारे में माननीय अध्यक्ष जी पहले ही निर्णय दे चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उन्होंने कहा था कि नियम 300 के बारे में अगर कभी इस प्रकार चर्चा हुई हो (व्यवधान) मैं बुलवा लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

यह औचित्य का प्रश्न बनता है (व्यवधान)

जिला अधिकारियों द्वारा मा0 विधायकों के विरुद्ध मुकदमा दायर किए जाने विषयक औचित्य के प्रश्न को सुने जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने यह जिज्ञासा प्रकट की थी मामला तत्काल उठा होना चाहिये यह भी कहा था कि ऐसी कभी चर्चायें हुई नहीं । मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1979–84 के पृष्ठ 185 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें माननीय मोहन सिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया था और उस पर दूसरे लोग भी बोले। अन्त में संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था उसके बाद जो सूचना थी वह निरस्त की गयी । इस तरह से एक नहीं अनेक मामले उठाये गये, मैंने भी उठाये हैं जिनके बारे में व्यवस्थायें दी गयी हैं आप देख लें, ऐसी न जाने कितने मामले हैं । एक घटना श्री श्रीपति मिश्रा कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ रिपोर्ट देने चले गये, घटना वहां की थी चर्चा सदन में हुई । इसी तरह से मैंने भी औचित्य के मामले उठाये हैं, आप देख लें, ऐसे अनेक मामले हैं । मैं एक एक को पढ़कर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं । इसमें अनेक उदाहरण हैं जैसे प्रश्नों का उत्तर शासन की ओर से बार-बार स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, सदन के चलते महत्वपूर्ण घोषणायें सदन के बाहर नहीं होनी चाहिये । इसलिये नियम 300 में जो मामला उठाया है वह पूरी तरह से संगत बनता है । थोड़े समय के लिये मान लें कि इसमें नहीं आता है तो आप नियम 313 देखने की कृपा करें । क्योंकि बार-बार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि विषय अत्यन्त अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है इसलिए अगर नियम शिथिल करना पड़े तो वह करें । आप इसको देख लें नियम 313 में है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

संविस्तार कार्यान्वयन करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें । तो यह भी हमारी परिपाटी रही है कि अगर इस प्रकार का कोई सवाल दिया है उसमें आप चाहें संशोधन कर देते हैं। हमारी एक परिपाटी बनी हुई है इसमें पूर्व सूचना आपको दी जाती है । यह मामला सभी माननीय सदस्यों से संबंधित है एक बाह्य शक्ति, मैं इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं लेता ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका व्यवस्था का प्रश्न पूरा हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर जो श्री गुप्ता जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उससे मैं अपने को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से यदि संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है तो वह औचित्य का प्रश्न बनता है । सदन के चलते कोई महत्वपूर्ण घटना बाहर हो जाती है और सदन में यहां उसके संबंध में कहा जाता है तो औचित्य का प्रश्न बनता है । आप भी अवगत होंगे कि यदि सदन की कार्यवाही चल रही है और सरकार की ओर से कोई नीतिगत घोषणाएं बाहर की जाती हैं तो औचित्य के प्रश्न के रूप में यहां उठाई जाती रही हैं । दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेदों के तहत विधान सभा का गठन हुआ, सदस्यों का चुनाव हुआ और उनको अधिकारों से लैस किया गया और यदि माननीय सदस्यों के अधिकारों पर किसी तरह का हमला होता है तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न कोई नहीं बन सकता है । इसलिए जो व्यवस्था का प्रश्न श्री गुप्ता जी ने उठाया है उससे मैं अपने को जोड़ रहा हूं और आपसे आग्रह है कि जो प्रकरण गुप्ता जी ने उठाया है वह सभी सदस्यों के अधिकारों से संबंधित है, इसमें सत्ता और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है, सभी विधायक उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रकरण को सदन में औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति आप प्रदान करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं श्री गुप्ता जी और श्री वर्मा जी ने, जो विचार व्यक्त किए हैं उन पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि यह नियमावली संविधान के अनुच्छेदों के तहत बनी है और इसमें एक भी नियम ऐसा नहीं है जो संविधान के तहत न हो । मान्यवर, नियमावली के नियम 300 को देखें जिसमें लिखा है–(1) औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

नियम 300 (2) में लिखा है–औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा । मान्यवर, आपके पहले अध्यक्ष महोदय ने आपत्ति किया और व्यवस्था भी दिया लेकिन इस नियम में दिया है कि सदन के समक्ष तत्कालीन घटना

में लिखा है–उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे । तो मान्यवर, उप-नियम (1) तथा (2) में कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार थी तो उसके समय में अयोध्या में तीन मुख्य मंत्री आए थे और उस समय भी संविधान के अनुच्छेदों के विरोध की बात कहकर औचित्य का प्रश्न यहां उठाया गया था और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उसे स्वीकार करते हुए एक घंटे की चर्चा स्वीकार करके जवाब दिया था । इस प्रकार मान्यवर, परम्परा रही है कि हम लोगों को जो अधिकार संविधान के तहत प्राप्त हैं, हो सकता है नियम न बने हों, लेकिन संविधान में यदि उनका विनियमितीकरण होगा तो हमारा अधिकार हो जाता है कि उस चीज को औचित्य के माध्यम से यहां उठायें । लेकिन अध्यक्ष महोदय जो निर्देश दे गये हैं उसमें मेरा अनुरोध है कि औचित्य के बारे में जो सदन में परम्परा रही है वह न टूटे और हमारे अधिकारों का हनन न हो इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करते हुए हमारे अधिकारों पर संरक्षण दें और औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करके इस चिन्ता के विषय को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी संदर्भित विषय चल रहा है उसमें औचित्य का प्रश्न बनता है कि नहीं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं । मान्यवर, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, तो इस सदन में औचित्य के प्रश्न के रूप में, जो विषय उठते रहे हमेशा उठते रहे, जो नियमावली बनी है वह संविधान के अनुच्छेदों के तहत बनी है । वह उनके कन्ट्राडेक्ट्री नहीं है या उनको सुपरसीड नहीं करती है । इसमें साफ लिखा है कि, नियम 300 में, औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो, तो संज्ञान में यह आपके आ ही गया है और लिखित पहुंचा दिया गया है समय से पूर्व और मान्यवर, अनुच्छेदों की अवहेलना इसमें है । तो पूर्व दृष्टान्तों को देखते हुए भी मैं समझता हूं कि ऐसे हजारों-लाखों दृष्टान्त आपके सामने लाए जा सकते हैं जो औचित्य के प्रश्न के रूप में इसकी परिधि से मिलते-जुलते विषय लिए गए हैं । यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि सारे सदस्य इससे प्रभावित हैं और उनके अधिकार प्रभावित हैं । कभी-कभी ऐसा निर्णय भी आपकी पीठ से लिया गया है जब उस पर बैठे अध्यक्ष ने सदन की भावनाओं के अनुरूप उससे बाहर जाकर भी इस प्रकार के निर्णय लिए हैं । जब आपका समाधान हो जाए कि सदन की एकमत कोई राय बन रही है अमुक धारा में उसको सुनने के लिए तो वह लिया गया है । अतः मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, नियमों का सहारा लिया गया है, नियम 300 में भी है, तो यह प्रश्न जो आपके सामने है, इसको आप औचित्य के प्रश्न के रूप में सुनें, निर्णय जो कुछ भी दें वह अलग बात है । क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है ।

दूसरी बात यह भी है कि जो हमारे देश का कानून है, इसमें उनका भी उल्लंघन हो रहा है । जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका भी उल्लंघन हो रहा है, और उससे विधायक प्रभावित हो रहे हैं, उनका कार्य प्रभावित हो रहा है और सदन का

कार्य प्रभावित हो रहा है और कार्य-संचालन में उसके बाधा उत्पन्न हो रही है । तो कृपा करके इस महत्वपूर्ण विषय को औचित्य के प्रश्न के रूप में उसकी ग्राह्यता पर सुनने के लिए अवश्य स्वीकार कर लें ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो विषय प्रस्तुत है सम्मानित सदन के समक्ष, मैं समझता हूं कि किसी भी विषय की सूचना के लिए दो बातें आवश्यक हैं । एक तो प्रक्रिया के संबंध में वह ठीक है या नहीं । दूसरे यह देखेंगे कि वह विषय वस्तु उसके अन्तर्गत आती है या नहीं । जहां तक प्रक्रिया के संबंध में बात है, सबने कहा है कि प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है । समय से पूर्व और लिखित रूप में सूचना आ गई है । जहां तक विषय वस्तु का सवाल है, इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं । यह उत्तर प्रदेश विधान सभा है और बहुत बड़ी परम्परा की जननी यह विधान सभा रही है । बहुत सारी बातों में जनहित में, सम्मानित सदस्यों के हित में और उनके अधिकारों के संरक्षण के दृष्टि से, जो नियम और व्यवस्थाएं हैं उनके होते हुए भी इस आदरणीय पीठ ने नियमों के बाहर भी जाकर जनहित में चर्चा के संबंध में, उसको सुनने पर अपनी व्यवस्था दी है । चूंकि प्रश्नगत विषय बहुत गम्भीर है, उसमें न केवल दल का, सरकार का या किसी के प्रति विरोध में कोई बात नहीं है, यह हमारे सम्मानित सदस्यों के अधिकारों पर एक हमला जैसा हुआ है आप हमारे पक्ष में निर्णय दें । आज हम यहां इस सदन में बैठे हैं, कार्यवाही में भाग ले रहे हैं और वहां सबको नोटिस मिल रही है । इससे एक अव्यवस्था फैल गई है और इससे सम्मानित सदस्यों में दहशत फैल गई है । वह यहां नियमों में उप-नियमों में बोलें या उन बातों से निपटें या फिर इस बात से जिसका कोई अर्थ नहीं है, ज्यादा महत्व नहीं है । मैं समझता हूं इस पीठ पर आप बैठे हैं । माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया है, वह शिरोधार्य है । निर्णय नहीं दिया है, तो अच्छी बात है । कदाचित अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर निर्णय, निर्देश दिए जाते हैं, व्यवस्था दी जाती है । यह एक अच्छी बात होगी कि आप भी इसी पक्ष में निर्णय देंगे । इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय । जो निर्णय आयेगा वह इस प्रदेश और कार्य प्रणाली के लिए गौरव की बात होगी ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय गुप्ता जी ने 300 का प्रश्न उपस्थित किया है । उसके तथ्यों पर तो अभी कोई बात नहीं चल रही है । उस पर सुनें या न सुनें, इस बात पर बहस हो रही है । कुछ पुराने अध्यक्ष पीठ से दिए गए निर्णयों का हवाला देना चाहता हूं । निर्णय आपको करना है । जो आप निर्णय करेंगे, वह सबको मान्य होगा । अध्यक्ष पीठ से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संवर्धित संहत संकलन मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक इसके पृष्ठ 93 पर दिया है । विधान सभा में निर्वाचन आयोग के कार्य-कलापों पर चर्चा नहीं हो सकती केवल सुझाव के रूप में कुछ चर्चा हो सकती है– 17 अप्रैल, 1973 को न्याय प्रशासन पर बोलते हुए श्री रियासत हुसैन ने यह कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कि, 'डिलिमिटेशन होने जा रहा है और इसके लिए कमीशन भी बन गया है । सुनने में आता है कि लेखपाल के सर्किल को अनडिवाइडेड यूनिट करें । ठीक है, लेखपाल का सर्किल किया जाय लेकिन नदी के कटाव से गांव इधर से उधर चले गए हैं और सर्किल अब भी वही है लेखपाल का, जबकि नदी का पाट ही दो-तीन मील का है । एक तरफ तो कहा जाता है कि किसी भी वोटर को अपने स्थान से 2 मील से अधिक वोट देने नहीं जाना पड़ेगा लेकिन ऐसी कान्स्टीट्एंसी में यह कैसे मुमकिन होगा ? इस पर श्री कृष्णानन्द राय के व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर कि "क्या हम एलेक्शन कमीशन का जो परिसीमन करने का काम है उस पर विधान सभा में बहस कर सकते हैं" श्री उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी :–

"चूंकि यह रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट का एक प्राविधान है इसलिए यह जरूरी मालूम होता है कि सुझाव के रूप में उसका जिक्र यहां पर हो सकता है । जहां तक चर्चा का विषय है यह तो मैंने कहा कि उस पर चर्चा नहीं हो सकती ।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, मैंने अपनी सूचना में पीपुल्स एक्ट या निर्वाचन आयोग की कहीं कोई चर्चा नहीं की है । मैंने अपनी सूचना हमारे यहां के जिलाधिकारियों के बारे में दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप जो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उसमें अपनी सफाई दी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको सुन चुका हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो उत्तर मिला उसमें एक नया बिन्दु चुनाव आयोग का पैदा हो गया । मेरी सूचना में यह नहीं लिखा है ।

श्री अधिष्ठाता–

वह अपनी बात कह रहे थे । आप अपनी बात कह रहे थे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

औचित्य का प्रश्न कौन सा होगा कौन सा आप चुनेंगे ? माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था के प्रश्न पर पूरा भाषण दे दिया । मैं जानना चाहता हूं कि जो सदन के सामने तत्कालीन होगा वह औचित्य का प्रश्न होगा, या सदन के बाहर जो घटेगा वह औचित्य का प्रश्न होगा ? इसमें पहले फैसला होना है कि औचित्य का प्रश्न कौन सा होगा ?

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने तो एक ग्राह्यता के ऊपर बात रखी है । व्यवस्था का प्रश्न तो यह था कि जो प्रकरण माननीय गुप्ता जी ने उठाया है वह औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है ? वह औचित्य के प्रश्न के रूप में आता है

या नहीं आता है ? यदि आता है तो वह औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है और वह औचित्य का प्रश्न बनता है । मैंने निवेदन किया एक तो संविधान के अनुच्छेदों की अवहेलना हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

वर्मा जी, किस अनुच्छेद की अवहेलना हो रही है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

संविधान के तहत विधान सभा का गठन किया गया है । संविधान ने विधायकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है अगर अधिकारों के विपरीत किसी तरह के क्रिया-कलाप होते हैं तो उनका संबंध सदन से जुड़ जाता है । उससे सदन का कार्य प्रभावित होता है । नरेश अग्रवाल जी और गुप्ता जी ने मिसालें दीं । सदन की कार्यवाही में भाग लेने आ रहे थे । जिलाधिकारियों द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा कायम करने पर विचार किया जा रहा है । दिमाग उलझ गया । जब विधायक उलझन से भरकर यहां आएगा तो कार्य पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि घटनाक्रम से सदन का कार्य प्रभावित हो रहा है और वह औचित्य के प्रश्न के रूप में यहां आ जाता है । सदन की अवहेलना हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी अब सारी बातें आ गई हैं । व्यवस्था के प्रश्न पर सब कह चुके हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

इसमें स्पष्ट रूप से यह तो समझ आ जाए कि औचित्य के प्रश्न कौन-कौन से मुद्दों पर उठाये जा सकते हैं । इसका निपटारा हो जाए । नहीं होता है तो जो प्रकरण उठाया गया है वह सदन के अधिकारों से संबंधित है संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित है उसको उठाने की अनुमति दी जाए ।

*श्री रंगनाथ–

मान्यवर अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था । चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 161 ख्याति प्राप्त विधायक हैं आज जिला मजिस्ट्रेट के कारण कोई ऐसा विधायक नहीं बचा रह जाएगा कि उस पर मुकदमा दायर न किया जाए । कुछ के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है । कुछ के खिलाफ होगा । एफ0 आई0 आर0 में नाम दर्ज किया गया है इसमें तीन महीने की सजा तय की गई है । क्या यह विधान सभा अपराधियों का अड्डा होना चाहती है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्नगत विषय पर आपका कोई औचित्य है ?

श्री रंगनाथ–

इस पर औचित्य का प्रश्न बनता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो उद्धरण दिए हैं, उससे सवाल उत्पन्न होता है उसी की सफाई में मुझे कुछ कहना है । जो पूर्व अध्यक्षों के निर्णय हैं उनसे भिन्न भी आप निर्णय दे सकते हैं । मुझे आपके निर्णय पर कुछ नहीं कहना है मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं । इलेक्शन कमीशन कोई जूडीशियल बाडी नहीं है । उसका संवैधानिक दर्जा है, न्यायिक दर्जा नहीं है । न्यायिक प्रक्रिया के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । दूसरी बात यह है कि मैं जो चुनाव आयोग के अधिकार हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं । पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट जो 1952 का बना हुआ है उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन इज टू सुपरवाइज एण्ड कण्डक्ट द इलेक्शन । नोटीफिकेशन एण्ड डिक्लरेशन आफ द रिजल्ट । यह तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का एक दायरा होता है वह उस दायरे से आगे नहीं कार्य कर सकता है । मान लीजिए इलेक्शन कमीशन किसी विधायक को फांसी की सजा सुना दे, तो क्या हम उस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं ? आप यहां कह दें कि इसको औचित्य के प्रश्न पर नहीं सुना जाएगा । आज विधायकों की जो ड्यूटी है, जो अधिकार हैं आज उन अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है । कुठाराघात ही नहीं हो रहा है बल्कि उन पर अत्याचार भी हो रहा है । आप इस पर चर्चा करा लें, निर्णय आप बाद में जो देना चाहें आप दे सकते हैं । यह प्रश्न औचित्य के रूप में हर हालत में बनता है । अगर इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति आपने नहीं दी तो मैं समझता हूं कि कोई विरला प्रश्न ही आएगा, जिस पर आप औचित्य के प्रश्न पर माननीय सदस्यों को मौका देंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

अभी आपने इस प्रश्न के सम्बन्ध में कहा कि संविधान के किस नियम के तहत औचित्य का प्रश्न बनता है । मैं आपको संविधान के कुछ नियमों की तरफ ले जाना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद 168 को आप देख लें । अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधान मण्डलों का गठन । उसके बाद अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं की संरचना भी है । अनुच्छेद 170 के अधीन यदि विधान सभा की संरचना हुई है, जिसमें हम सभी यहां बैठे हुए हैं । 173 अनुच्छेद को आप देख लें । इसमें दिया हुआ है राज्य के विधान मण्डल की सदस्यता के लिए अर्हता । इस तरह से यह जब तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं तो विधान-मण्डल का सदस्य हो सकता है । यह तीन शर्तें पूरी नहीं हुई तो कोई विधान मण्डल का सदस्य नहीं हो सकेगा । अनुच्छेद 191 को आप देखें इसमें सदस्यता के लिए निरर्हताएं दी गई हैं । जिनके होते हुए ही कोई विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता है । इसके अलावा जो केन्द्र सरकार का नियम बनेगा उसके हिसाब से हमें चलना है ।

श्री अधिष्ठाता–

संविधान के किस अनुच्छेद का अतिक्रमण यहां पर हुआ है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

संसद में पीपुल्स आफ रिप्रेजेन्टेटिव एक्ट बनाया । चुनाव की घोषणा के जो अधिकार हैं वह चुनाव आयोग के पास हैं । उस बीच के जो कार्य-कलाप होंगे उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी बात अगर कही जाएगी तो वह न्यायालय में पेटीशन के माध्यम से कही जाएगी । चुनाव आयोग को या सरकार के किसी अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे ऊपर इस संबंध में कोई मुकदमा दायर करे या एक्शन ले । मान्यवर, आप स्वयं भी समझ सकते हैं, आप कई बार न्यायालय के समक्ष जा चुके होंगे । मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने जो बात उठायी है उससे साफ जाहिर है कि यह पीपुल्स आफ रिप्रेजेन्टेशन एक्ट का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है और इस नाते संविधान का भी उल्लंघन हुआ है और यह औचित्य का प्रश्न बनता है । संविधान के अनुच्छेदों को तोड़ा गया है, हमारे अधिकारों का हनन किया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें और चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस संबंध में आप नियमों को देखने की कृपा करें । संविधान में है कि किसी भी निकाय को आब्सल्यूट या आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं हैं । हम इलेक्शन कमीशन की बात नहीं करते हैं हमारा बिन्दु तो जिलाधिकारी से संबंधित है और विधायकों से संबंधित है । अब मैं आपका ध्यान सी0 आर0 पी0 सी0 के 133 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें है कि :–

"हर्वेवर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर ए सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट आर एनी अदर इक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाई दी स्टेट गवर्नमेन्ट आन रिसीविंग ए रिपोर्ट आफ दि पुलिस आफिसर" में इसका हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं जिलाधिकारी, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट या कोई दंडाधिकारी यदि वह राज्य सरकार द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो तभी वह ऐसा कर सकता है । किसी दीवाल पर लिखकर उसकी वैल्यू घटाने या उस दीवार को क्षति पहुंचाने पर इस्तगासा दायर कर सकता है । बिन्दु यह है कि राज्य सरकार के अलावा क्या कोई बाह्य शक्ति जिलाधिकारी पर दबाव डाल सकती है कि आप मुकदमा दायर कीजिए । अगर जिलाधिकारी पर किसी बाह्य शक्ति का दबाव है और ऐसा किया जा रहा है तो वह नियमानुकूल नहीं है । राज्य सरकार ने इम्पावर्ड किया नहीं है इसलिए यह अविधिमान्य है । इसमें इलेक्शन कमीशन, पीपुल्स आफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सवाल नहीं है । दोनों जिलाधिकारियों ने मुख्य मंत्री को एक लिखकर अनुमति चाही है कि मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दायर करें । मंत्री भी विधान मण्डल के सदस्य हैं अगर कोई उनके बारे में अनुमति मांगे तो यदि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है तो इस संबंध में सभी विधायकों पर भी चलाया जा सकता है । इसमें किसी दल के भेद की बात नहीं है । मान्यवर, इसी तरह से आई0 पी0 सी0 को भी आप देखने की कृपा करें । आई0पी0सी0 के नियम 425–426 में है:–

"इन्टेन्शनली आर नालेज आफ लाइकलीहुड टु काज रांगफुल लास आर डैमेज

टू दि पब्लिक आर टू एनी परसन काजिंग दि डिस्ट्रक्शन आफ सम प्रापर्टी आर एनी चेन्ज इन इट आर इन इट्स सिचुएशन''

मान्यवर, मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरे पास हिन्दी वाली किताब है । आपको हम दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आभारी हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का, उन्होंने हिन्दी पुस्तक उपलब्ध करा दी । मान्यवर, 425 में यह है कि जो कोई इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसानकारिता करें, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीलीकारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह ''रिष्ट'' करता है ।'' अब मान्यवर, इसके बाद 426 देख लें । ''जो कोई रिष्ट करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।'' मान्यवर, विभेद क्या रख दिया, न जाने कितने विज्ञापन, न जाने कितने अश्लील चित्र बने हुए हैं, मेरी दीवार पर कदाचित कुछ लिख देने से मेरी क्षति हुई है, वह मुकदमा दायर नहीं कर रहा है, मुकदमा जिलाधिकारी दायर कर रहे हैं, किसी वाह्य व्यक्ति के दबाव से मुकदमा दायर कर रहे हैं । यह मुकदमा दायर कराने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मेरा औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय गुप्ता जी, यह 52 से 62 तक अध्यक्ष पीठ से दिए गए निर्णयों का जो संकलन है, इसमें दो-तीन व्यवस्थायें हैं । पहली व्यवस्था यह है कि ''किसी सदस्य की अनर्हता के संबंध में जांच करने अथवा निर्णय देने का अधिकार विधान सभा को नहीं है ।'' 31 जुलाई, 1959 को श्री राजनारायण ने, संविधान की धारा 192(1) के अनुसार श्री कमलापति त्रिपाठी को अनुच्छेद 191 के खण्ड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी मान कर इस हेतु प्रश्न उठाया कि माननीय अध्यक्ष अथवा सदन को महामान्य राज्यपाल के निर्णय के लिए निर्देशित कर दें ।

दूसरी व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है । निर्वाचन आयोग के कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करना अध्यक्ष तथा विधान सभा के अधिकार में नहीं है ।'' माननीय अध्यक्ष ने निर्णय देते हुए कहा, ''इंग्लैंड के चालू संविधान के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने सदनों के संगठन तथा सदस्यों की योग्यता का चुनाव कराने की पद्धति या चुनाव के झगड़े तथा चुनाव के बाद किसी सदस्य की अनर्हता के संबंध में निर्णय देने का अधिकार है । ये अधिकार हमारे संविधान के द्वारा लोक सभा या विधान सभाओं को नहीं दिए हैं बल्कि एक स्वतंत्र चुनाव कमीशन चुनावों के संबंध में व्यवस्था करने के लिए चुनावों के झगड़े निपटाने के लिए, ट्रिब्युनल मुकर्रर करने के लिए है और चुनाव के बाद यदि किसी सदस्य में सदस्यता की अयोग्यता उत्पन्न हो गई है, तो उस प्रश्न का

फैसला करने का अधिकार केन्द्र में प्रेसीडेण्ट और प्रदेश में गवर्नर के अधिकार में दिया है, जैसा अनुच्छेद 102, 103, 191, 192 और 324 इत्यादि में स्पष्ट है । ऐसी अवस्था में जबकि इस आदरणीय सदन को इस प्रश्न पर निर्णय देने का या इस बात की जांच करने का अधिकार नहीं है, तो फिर अनुच्छेद 192(1) के अनुसार केवल किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उपस्थित करने पर उसे महामान्य राज्यपाल के पास भेजना इतना ही कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मेरी समझ में इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है ।'' चुनाव से संबंधित कोई भी झगड़ा हो, उसके संबंध में यहां पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

*श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, लगभग एक घंटे से औचित्य के रूप में इसको लिया जाए या न लिया जाए, इस पर चर्चा चल रही है । औचित्य के प्रश्न को सुना जाए या न सुना जाय, इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं । एक तो यह कि इसको सुना जाए या न सुना जाए और दूसरे इसको क्या उसी रूप में स्वीकार किया जाए जिस रूप में यह प्राप्त हुआ है । मान्यवर, यह परिपाटी रही है कि माननीय सदस्य औचित्य के प्रश्न यहां पर उठाते हैं और आप उनको सुनते हैं और उसके बाद अपनी व्यवस्था देते हैं । श्रीमन्, जो नोटिस सुबह हम लोग देते हैं, वह सुने जाने योग्य है या नहीं है, आज उस पर चर्चा चल रही है और जब हम नोटिस देते हैं तो हम सदस्यगण जो नियमावली का नियम 300 है उसके प्राविधानों के अनुसार उसको बनाने की कोशिश करते हैं । मान्यवर, न्यायालय में अधिवक्तागण नोटिस तैयार करते हैं और आप उसको सुनते हैं और तब यह अधिकार होता है कि उसे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए । हमने यह देखा है कि प्रायः औचित्य के प्रश्न अस्वीकार ही कर दिए जाते हैं, कोई भी औचित्य का प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया है और उस पर जब सभी प्रश्न आ जाते हैं तो कुछ कार्यवाही हो जाती है । मान्यवर, यह आपका विशेषाधिकार है कि आप सुने या न सुनें, लेकिन मान्यवर, इसको सुनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उद्धरण पढ़ दिया । चुनाव आयोग के सिलसिले में या उसके क्रिया कलापों के सिलसिले में कोई बात नहीं होगी । इसमें चुनाव आयोग के क्रिया कलापों के संबंध में कोई बात नहीं हुई है । नोटीफिकेशन से डिक्लरेशन के दिन तक की प्रक्रिया उसमें आती है, उस दौरान के जो कार्य कलाप होते हैं, उनकी चर्चा नहीं हो सकती है और अगर मान्यवर विधायकों के विरुद्ध चुनाव के संबंध में कोई क्रिया कलाप के सिलसिले में मुकदमा कायम करने की कार्यवाही यदि की जाती है, तो औचित्य के प्रश्न के रूप में उसे उठाया जा सकता है और यह तर्क पहले भी दिया जा चुका है और यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेदों की अवहेलना है । सदन का कार्य बाधित हो रहा है और सदस्यों की अवहेलना हो रही है । इसलिए मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है और जो प्रश्न माननीय गुप्ता जी उठा रहे हैं, उस पर आप कम से कम सभी सदस्यों को सुन लें । यह प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

किसी दल का नहीं है । यह प्रश्न सभी सदस्यों से संबंधित है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक किताब पढ़कर सुना दी और वह भी तोड़ मरोड़ कर तथ्य रख दिये, लेकिन मन इनका भी कर रहा है, अगर यह मन की बात कह दें तो सारी समस्या दूर हो जाए । लेकिन सुनेंगे नहीं, ग्राह्यता के बारे में बात सुनेंगे नहीं, प्रकरण हम रखेंगे उसको आप सुनेंगे नहीं तो यह निर्णय नहीं हो सकता है । औचित्य के प्रश्न की जो शर्तें हैं उनको वह पूरा कर रहे हैं कि नहीं पूरा कर रहे हैं तो निर्णय लेने में आपको असुविधा हो सकती है । इसलिए निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर आप सुनें और उसके बाद आप अपने विवेक से उस पर निर्णय दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री मन से चाहते हैं क्योंकि जब वह कभी-कभी अपने मन से बात कहते हैं तो बड़े उत्साह से कहते हैं लेकिन आज उनका उत्साह कुछ ढीला है इससे लगता है कि मन उनका दूसरा है और उनको कहना कुछ और पड़ रहा है ।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान तो कराया और ऐसा संज्ञान कराया जो निश्चित रूप से इस विषय वस्तु से थोड़ा हटकर है । मान्यवर, सुबह को जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका तो व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था बल्कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी द्वारा रखे गये उस औचित्य के प्रश्न पर हमारे दस्तखत थे ।

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ल जी, इस समय यह संबंधित प्रश्न औचित्य का प्रश्न है या नहीं इस पर बात हो रही है, इसके संबंध में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो कहें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

यहां प्रश्न यह जो उठ रहा है यह तात्कालिक है उसके बाद माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने उस समय उद्धरण देते हुए कि माननीय मोहन सिंह जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया था श्रीमान श्रीपति मिश्रा जी का, और उस समय उसको सुना भी गया था । हम लोगों को जानकारी हुई है सुबह, अगर बाहर के प्रश्न पहले भी सुने गये हैं तो इस समय निश्चित रूप से यह उठाया गया प्रश्न औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, काफी देर से इस प्रश्न पर हम लोग व्यवस्था के बारे में आपका आदेश जानना चाह रहे हैं । एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि इस समय इस सम्मानित सदन के समस्त विधायक गिरफ्तार किये जा सकते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न औचित्य का प्रश्न बनता है, इसकी ग्राह्यता पर आप बोलें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

यह औचित्य का प्रश्न है जैसा कि माननीय हृदय नारायण जी ने भी कहा । औचित्य के प्रश्न पर सुने जाने लायक यह प्रश्न इसलिए है कि माननीय विधायकों को गिरफ्तार करने के लिए जिलाधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, कई जगह उनको नोटिसें मिल चुकी हैं और यह पता नहीं कि राज्य सरकार ने इसके आदेश....

श्री अधिष्ठाता–

यह औचित्य का प्रश्न बनता है, उसके तर्क आप बताएं जो प्रक्रिया नियमावली है, जो संविधान है और जो परम्पराएं हैं उसके तहत बताएं कि औचित्य का प्रश्न बनता है कि नहीं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, परम्पराओं के तहत ऐसे प्रश्न पहले भी उठते रहे हैं और इस सम्मानित सदन में उस पीठ से ग्राह्यता पर बोलने की अनुमति मिलती रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी परम्पराओं को बता सकते हों, तो बतायें ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने श्री मोहन सिंह के उद्धरण के साथ-साथ 3–4 उद्धरण बताए हैं, अगर आप समय दें तो और भी उद्धरण बताए जा सकते हैं । यह प्रश्न औचित्य का प्रश्न बनता है, इसको सुना जाना चाहिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, पहली बार इस तरह की बात आई है, इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लें । सरकार के लोग इसको टालना चाहते हैं क्योंकि वह जवाब देने की स्थिति में नहीं है ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल–

कई सदस्यों ने अपनी यह चिन्ता प्रकट की है....

श्री अधिष्ठाता–

कोई नई बात बोलना चाहें ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

बहुसंख्यक सदस्य इस पक्ष में हैं कि इसको औचित्य के प्रश्न को सदन में उठाने की इजाजत मिलनी चाहिए । सदन के बहुसंख्यक सदस्य इससे चिन्तित हैं, सारे सदस्यों के ऊपर एक तरह का संकट दिख रहा है उनका कार्य बाधित हो रहा है वे परेशान हो रहे हैं इसका औचित्य के रूप में उठाने की इजाजत मिलनी चाहिए । पहले तो इसकी ग्राह्यता पर ही सबको सुन लें तब कोई निर्णय दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, यह जो विषय चल रहा है, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं ताकि आपको अपनी व्यवस्था देने में सहूलियत हो । अब यह प्रश्न भी समक्ष आ गया है कि आदरणीय सदन की भावना का आदर हो । यह बात सही है कि यह प्रश्न औचित्य के रूप में आता है या नहीं, यह बिन्दु आपके समक्ष विचाराधीन है । बिन्दु दूसरा यह भी विचाराधीन है, जैसा कि अन्य माननीय नेताओं ने कहा कि कौन-कौन से विषय ऐसे हैं जो कि औचित्य के रूप में उठाए जाने चाहिए, मान्यवर, विनिश्चय आप करते हैं, जो प्रश्न अभी उठाया गया है उसको औचित्य के रूप में स्वीकार किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में चर्चा करा दें । औचित्य के रूप में कौन विषय आने चाहिए कौन नहीं आने चाहिए ? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें ।

श्री काशी सिंह एरी–

यह विषय औचित्य के रूप में उठाया जा सकता है या नहीं इस पर जो आपका निर्णय होगा सर्वोपरि होगा, इस पर जो भी व्यवस्था दें, निर्णय दें, बहुत सोच-समझकर दें, यह निवेदन करना चाहता हूं ।

जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसके प्रति सारे सदस्य चिन्तित हैं पूरा सदन चिन्तित है, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा, आपने गौर किया होगा उन्होंने शुरू में यह कहा था कि इस पर हम चर्चा भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं । यह विषय एक अत्यन्त गम्भीर विषय है, चर्चा आप अवश्य करा दें ।

*श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, काफी देर से यह बहस चल रही है, इस मामले में सदन एक घंटे के लिए एडजर्न भी हो चुका है । यह प्रश्न औचित्य का बनता है कि नहीं, इसी पर काफी देर से विचार विमर्श चल रहा है । मान्यवर, इसके पहले जब कभी भी औचित्य के प्रश्न उठाये गए हैं सारे के सारे खारिज किए गए हैं । यह प्रश्न, औचित्य का प्रश्न बनता है कि नहीं इसी में सदन में बहस चल रही है (व्यवधान) मान्यवर, इनको सुनने के बाद आपने व्यवस्था दी कि यह उसकी ग्राह्यता में नहीं आता है, खारिज किया जाता है । यह जो विषय चल रहा है कि यह नियम 300 में आता है कि नहीं, मान्यवर, चाहें तो इस विषय पर आप ग्राह्यता पर सुन लें, नहीं आता हो तो खारिज कर दें । इसमें माननीय सदन का समय व्यर्थ हो रहा है । इससे पहले भी ऐसी बहसें हो चुकी हैं और सुनने के बाद विषय खारिज हो चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

इस पर माननीय नेता बसपा को भी सुन लीजियेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप सुन लें, कदाचित् आप संतुष्ट हो जायेंगे मेरी बात से । जो यह प्रश्न है उसके संदर्भ में वाद-विवाद किया जाना उचित है कि नहीं, इसी संदर्भ में कहूंगा वह मैं आपके सामने रख दूं, निर्णय अध्यक्ष जी को करना है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह जो विवाद चल रहा है, मुकदमें दायर किये जाने की बातें कही गयी हैं, हम सभी लोगों से जुड़ा यह मामला है, हम ऐसा कोई निर्णय न करें जिस पर बाहर उंगली भी उठे । जो इस समय व्यवस्था है वह मैं आपके सामने रख दूं । भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी आदर्श आचरण संहिता में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान कोई व्यक्ति दीवारों पर पोस्टर, नारे, चित्र आदि बिना भू-स्वामी की अनुमति के नहीं लगायेगा या लिखेगा इसके अनुसरण में आयोग ने समस्त व्यक्तियों से अपेक्षा की है कि वे अपने नारे, चित्र, पोस्टर आदि साफ करा दें ।

(व्यवधान)

पूरी बात तो हमारी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी विषय तो आया नहीं है । पहले ग्राह्यता पर बोलने दीजिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निर्वाचन आयोग के आदेश पर यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती है और उसके तहत माननीय अध्यक्ष को भी इस पर चर्चा कराने का कोई अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सभी सदस्यों को एक घंटे से इस विषय में सुना जा रहा है । अब जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना पक्ष रख रहे हैं तो उनकी बात को न सुनकर आप लोग खड़े होकर व्यवधान कर रहे हैं । आप लोग कृपया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, विषय तो आया नहीं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या जवाब देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आपके आदेशों से सदन नहीं चलेगा । आप लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पूरी बात कहने दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

विषय पर भी यह बोल लें और जवाब भी खुद ही दे दें ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने तमाम उदाहरण दिये लेकिन उसके बाद भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहे हैं । सदन के जो वर्तमान नियम हैं उसे लोगों के सामने रखा लेकिन कोई इसको सुनता नहीं है ।

भारत के निर्वाचन आयोग ने यह भी निदेश दिए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार या दल निश्चित अवधि तक कार्यवाही न करे तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए अतः यह सम्पूर्ण कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निदेशाधीन की जा रही है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः आयोग के निदेशों के अधीन की जा रही कार्यवाही के संबंध में विधान सभा में चर्चा या विचार करना कदाचित उचित नहीं है। अध्यक्ष पीठ से भी इस संबंध में पहले निर्णय हो चुके हैं अतः चर्चा न करायी जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सभी नेताओं को सुना। नियम 300 के अन्तर्गत एक प्रश्न उपस्थित किया गया। इस प्रश्न के संदर्भ में कि यह प्रश्न औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं। इस पर राजेन्द्र गुप्त जी, विकल जी, रंगनाथ जी, शुक्ल जी, किरनपाल जी, वर्मा जी, नरेश अग्रवाल जी हृदय नारायण जी, शिव कुमार बेरिया जी व एरी जी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने अपना मत रखा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी मैंने सुना। यह प्रश्न औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं, इसके संबंध में कहना चाहूंगा कि आप सभी सुविज्ञ सदस्य हैं और प्रक्रिया नियमावली से भली प्रकार परिचित हैं और इसी प्रक्रिया नियमावली से सदन की कार्यवाही संचालित होती है। प्रक्रिया नियमावली में औचित्य के प्रश्न के संबंध में नियम–300 का जो प्राविधान किया गया है, जिसका उद्धरण कई माननीय सदस्यों ने भी दिया है, उसमें दिया है "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो"। इसका दूसरा बिन्दु है "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा"।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप हमारी व्यवस्था सुनें। आप तो निर्णय देने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पूरी बात आपके समक्ष रख रहा हूं। मैंने सबको गंभीरतापूर्वक सुना : तीन-तीन बार सुना। अब इसी तरह बार-बार प्रश्न उठाते रहेंगे, तो कार्यवाही बाधित होती रहेगी। आप माननीय सदस्यों ने व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इससे पूर्व में विधान सभा में औचित्य के प्रश्न उठाए जाने के संबंध में दृष्टान्तों का हवाला दिया कि किन प्रश्नों के संबंध में औचित्य का प्रश्न सुना जाता है, किनमें नहीं, वह श्री किरन पाल सिंह–

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, नई परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। जो विषय हम लोग आपके सामने कहना चाह रहे हैं जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने भी जिक्र कर दिया। मान्यवर, नई परिस्थितियों में नया प्रश्न सामने आया है। पूरे उद्धरण और निर्देश पीठ के दिए हुए हैं, लेकिन

यह विषय बिल्कुल नया है और नई परिस्थितियों में आया है, ऐसा विषय पहले कभी आया ही नहीं सदन के सामने, इसलिए इसका निवारण नए निर्देशों, नई परम्परा में ही होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप नियम 313 देख लें । जो फिरन पाल जी ने कहा है कि यह बिल्कुल नया मामला है । वैसे आपको पूरा अधिकार है, जो व्यवस्था आप दें । लेकिन इसको आप देख लें, इससे सहायता मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसका हवाला दे चुके हैं, दोहराने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप निर्णय सुरक्षित कर लें । लेकिन इस पर भी विचार करें कि इसे किस नियम में उठाया जाय । यह अत्यन्त लोक महत्व का है और इससे पूर्व कभी भी बाह्य शक्ति ने हम लोगों को निर्देशित नहीं किया है । आप विचार कर लें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री राम आसरे शर्मा–

मान्यवर, अभी आपने निर्णय नहीं दिया है, लेकिन निर्णय की तरफ जाते हुये आपने एक बात की ओर संकेत किया है कि जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, वह प्रश्न औचित्य के प्रश्न के रूप में आता है या नहीं । लेकिन प्रश्न तो उपस्थित करने का अवसर आपने दिया ही नहीं । इसलिए पहले प्रश्न उपस्थित करने का अवसर दें । कभी-कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं, नई परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जैसे माननीय फिरन पाल जी ने भी कहा । जब नई स्थितियां बनती हैं, तो नई स्थितियों की चर्चा होने के बाद सदन में नई परम्परा बननी चाहिये । नियमावली के नियम–313 जिसमें आपके विवेक पर छोड़ दिया गया है, नई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये नियम–313 के अन्तर्गत प्रश्न को उपस्थित करने का आप अवसर दे सकते हैं इसलिये पहले प्रश्न उपस्थित करा दें, प्रकरण सामने आ जाय, फिर इस पर निर्णय हो । यही सबसे ज्यादा उपयुक्त बात होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों के भावनाओं की जानकारी मिली । पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने संबंधित विषय पर जिज्ञासा और चिन्ता व्यक्त की । सदन की आम राय इस विषय पर मिली और यह स्पष्ट हुआ कि सभी सदस्य इस पर चिन्तित हैं । इसके बावजूद यह सदन प्रक्रिया नियमावली के अनुसार चलता है । मैं सदन की भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं और उसको गम्भीरता से लेता हूं । लेकिन यह मौजूदा प्रश्न जिस पर इतनी देर से सदन में बहस चल रही थी कि औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं बनता है, इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न हमारे प्रक्रिया नियमावली में नियम–300 के अन्तर्गत जो व्यवस्था दी गयी है, उसके अन्तर्गत जो व्यवस्था दी गयी है, उसके अन्तर्गत नहीं आता है । ..... (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय, यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप पूरी बात सुन लें । मैं इस प्रश्न के ऊपर माननीय सदस्यों की चिन्ता से भली प्रकार से अवगत हूं । माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा हो लेकिन यह प्रश्नगत विषय नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि प्रश्नगत मामले में संविधान का ऐसा कोई अनुच्छेद या प्रक्रिया नियमावली का ऐसा कोई नियम अन्तर्ग्रस्त नहीं है जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पीठ से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संवर्धित सहित संकलन (मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक) के पृष्ठ 93 पर उद्धृत इस निर्णय का हवाला भी देना चाहूंगा जिसमें यह निर्णीत हुआ था कि–"विधान सभा में निर्वाचन आयोग के कार्य कलापों पर चर्चा नहीं हो सकती केवल सुझाव के रूप में चर्चा हो सकती है" । अतः वर्णित परिस्थितियों में संविधान के संगत अनुच्छेदों एवं प्रक्रिया नियमावली के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इसे नियम–300 के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिये गये निर्णय पर कायम रहते हुए औचित्य के प्रश्न को उठाए जाने की अनुमति नहीं देता हूं और इसे अस्वीकार करता हूं । अगले दिन आप कृपया इसे किसी अन्य नियम में दे देंगे तो सुन लिया जायेगा ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन की वेल में आकर औचित्य के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पुरःस्थापित करता हूं ।

†दिनांक 22-3-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22-3-94 को नियम 56 के अन्तर्गत 26 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, श्री राकेश सचान, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री मदन गोपाल वर्मा और श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फर-नगर) जी की है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल और श्री जगदम्बिका पाल जी की है। तीसरी सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां व डा0 राम बाबू हरित की है। चौथी सूचना श्री भैरों प्रसाद मिश्र की है। पांचवीं सूचना श्री आचार्य जगदीश मुनि की है।

शलाका के आधार पर उक्त पांच सूचनाओं में ग्राह्यता पर सुनने के लिये श्री किरन पाल सिंह जी को बुला रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता के सम्बन्ध में कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कहना चाहता है। मैं नियम 56 के अन्तर्गत सभी प्राप्त सूचनाओं को निरस्त करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), तथा अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

मद संख्या–10 पुकारे जाने पर (श्री सुरेश चन्द्र तिवारिया, रानी दयालता, श्री कृष्णवीर सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री तुलसीदास राय चन्दानी तथा अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर खड़े होकर औचित्य की सूचना को सुने जाने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायं।

राजस्व मंत्री (श्री बादूराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,12,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,84,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,85,39,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—सहायता एवं पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता—

कटौती प्रस्ताव पर कोई बोलना चाहें ।

(सदन में घोर व्यवधान बना रहा और सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे । अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ते समय रिपोर्ट्स टेबिल पर रखे दोनों स्पीकर्स, प्रतिवेदकों की नोट बुक, घड़ी और रोस्टर को माननीय सदस्यों द्वारा नीचे गिरा दिया गया और नारे लगाते हुए अध्यक्ष आसन की ओर कागज आदि फेंके जाने लगे)

श्री अधिष्ठाता—

इस पर कोई नहीं बोलना चाह रहा है ।

अब मैं इन मांगों पर मतदान करा रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,12,88,000 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,84,20,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,85,39,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83 सहायता एवं पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22 मार्च, 1994 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां जी की आगरा जिले के ग्राम नगला सोहन लाल में बिजली के जर्जर तारों से आग लगने की घटना के सम्बन्ध में है, जिसे वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश के बिजली कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन विषयक है, जिसे मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं । तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा व श्री किरन पाल सिंह की है मा0 सदस्यों के संबंध में संसदीय विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अधिकारियों द्वारा पालन न करने विषयक है, जिस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । चौथी सूचना डा0 राम बाबू हरित व बदन सिंह की आगरा महानगर की मलिन बस्तियों की सफाई विषयक है, जिस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । पांचवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु नगरीय क्षेत्रों में खदान के पट्टे न दिये जाने विषयक है, जिस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । छठी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की जनपद बाराबंकी में हरे भरे वृक्षों के अवैध कटान विषयक है, जिस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । सातवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की भारतीय तेल कम्पनियों द्वारा एक कमरे के घर में रहने वालों को कुकिंग गैस कनेक्शन न दिए जाने विषयक है, जिस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं तिब्बी अकादमी में बहुमूल्य पाण्डुलिपियों का समुचित रख-रखाव न किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

श्रीमन्, मैं आयुर्वेदिक एवम् तिब्बी अकादमी, उ0 प्र0.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्री बलराम यादव–

[स्थापना वर्ष, 1950 में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के उद्देश्य से की गयी थी । अकादमी आयुर्वेदिक एवं यूनानी ग्रन्थों एवं पाण्डुलिपियों के हिन्दी में अनुवाद एवं आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा ग्रन्थों का उच्च स्तरीय प्रकाशन का कार्य करती है । अब तक अकादमी निम्नलिखित चौदह ग्रन्थों का प्रकाशन कर चुकी है:–

1–प्राकृत दोष विज्ञान	लेखक–आचार्य निरंजन देव तदैव
2–प्राकृत अग्नि विज्ञान	
3–यूनानी द्रव्यगुणादर्श, प्रथम भाग	दलजीत सिंह
4–यूनानी द्रव्यगुणादर्श, द्वितीय भाग	दलजीत सिंह
5–यूनानी द्रव्यगुणादर्श, तृतीय भाग	दलजीत सिंह
6–प्राचीन भारतीय मनोविकार विज्ञान	डा0 अयोध्या प्रसाद अंचल
7–आधुनिक शल्य चिकित्सा के सिद्धान्त	डा0 के0एन0उडुपा एवं डा0 के0पी0 शुक्ल
8–मानव शरीर (द्वितीय संस्करण)	डा0 दिनकर गोविन्द थत्ते तदैव
9–मानव भ्रूण विज्ञान	
10–प्रायोगिक क्रिया शरीर	डा0 पी0सी0 जैन एवं डा0 वाई0डी0 शुक्ल
11–विष विज्ञान	डा0 कृष्ण कुमार
12–भगन चिकित्सा	डा0 पी0जे0 देशपाण्डे एवं डा0 शर्मा
13–वृहद् द्रव्यगुणादर्श	डा0 महेन्द्र कुमार शास्त्री
14–काय चिकित्सा (द्वितीय संस्करण)	डा0 शिव चरण धानी

अकादमी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सम्बन्धी पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों का शोध/सम्पादन एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों के व्यवस्थित भण्डारण की दिशा में सक्रिय योगदान कर रही है तथा अकादमी के पास कई पाण्डुलिपियां सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त अकादमी पुस्तकालय का भी संचालन कर रही है ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2—चूंकि, अकादमी अपने प्रकाशन का कार्य बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर करती है तथा शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त, अकादमी की आय का कोई अन्य आर्थिक स्रोत नहीं है, न ही अकादमी के पास अभी अपना निजी भवन/प्रेस ही है, अतः यह सत्य है कि अकादमी इस समय आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं है। अकादमी के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार शासन द्वारा जो वार्षिक अनुदान राशि (सम्प्रति रु0 91,400) अकादमी को स्वीकृत की जाती है, जो अकादमी के कर्मचारियों के तीन चार माह के वेतन हेतु ही पर्याप्त होती है तथा शेष माहों का वेतन अकादमी को ही वहन करना पड़ता है ।

3—अकादमी को आत्म-निर्भर बनाने के लिए अकादमी के अध्यक्ष ने शासन से अकादमी को निजी भवन/निजी प्रेस उपलब्ध कराने तथा अकादमी के अनुदान में रु0 22,20,000 तक की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव शासन को माह फरवरी, 1994 में भेजा है । यद्यपि, अकादमी का सम्पूर्ण व्यय भार वहन करने के लिए शासन की कोई वचनवद्धता अब तक नहीं रही है, परन्तु अकादमी को आत्म निर्भर बनाने के लिए अकादमी के अध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव का शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ।]

(कई सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम दिनांक 24-3-1994 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे । अब हम उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 18 मिनट पर गुरूवार दिनांक 24 मार्च, 1994 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
22 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29(4) के ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर]

सूची

क्र०सं०	निगम/उपक्रम का नाम	उन इकाइयों के नाम जिनके निजीकरण पर विचार हो रहा है
1	2	3
1	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम	(1) भदोही ऊलेन मिल्स लिमिटेड ।
		(2) अकबरपुर कताई मिल ।
		(3) बांदा कताई मिल ।
		(4) बलिया कताई मिल ।
		(5) झांसी कताई मिल ।
		(6) मऊनाथ भंजन कताई मिल ।
2	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	(1) यू० पी० इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड ।
		(2) यू० पी० टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड ।
		(3) यू० पी० डिजीटल्स लिमिटेड ।
3	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम	यू० पी० कारबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ।
4	उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन निगम	(1) सामूहिक सुविधा केन्द्र, उन्नाव, फतेहपुर, बस्ती व जायस (रायबरेली) ।
		(2) हाई फ्रिक्वेन्सी फ्लोमोल्डिंग प्लान्ट, आगरा ।
		(3) नागरिक विपणन योजना के अन्तर्गत बिक्री केन्द्र इलाहाबाद (इन्दिरा भवन), लखनऊ (निशातगंज) एवं गोरखपुर ।
		(4) माइको सर्विस स्टेशन, उन्नाव ।
		(5) डिजाइन डेवलपमेन्ट सेन्टर ।
5	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	(1) गजल टूरिस्ट रिसाट, नरोरा ।
		(2) होटल ताज खेमा, आगरा ।
		(3) पर्यटक आवास गृह, मथुरा ।
		(4) मिड स्ट्रीम होटल, मुजफ्फरनगर ।

1	2	3
		(5) पर्यटक आवास गृह, जगदीशपुर ।
		(6) पर्यटक आवास गृह, बदायूं ।
		(7) पर्यटक आवास गृह, भदोही ।
		(8) पर्यटक आवास गृह, पीरान कलियर ।
		(9) पर्यटक आवास गृह, राधाकुण्ड ।
		(10) पर्यटक आवास गृह, गोकुल गांव ।
		(11) पर्यटक आवास गृह, बरसाना ।
		(12) पर्यटक आवास गृह, कछला ।
		(13) पर्यटक आवास गृह, मुंशीगंज ।
		(14) पर्यटक आवास गृह, देवगढ़ ।
		(15) गोकुल रेस्टोरन्ट, मथुरा ।
6	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम	(1) चीनी मिल, मलयाना, मेरठ ।
		(2) चीनी मिल, बरेली ।
		(3) चीनी मिल, बाराबंकी ।
		(4) चीनी मिल, बुढ़वल (बाराबंकी) ।
		(5) चीनी मिल, नवाबगंज (गोण्डा) ।
		(6) चीनी मिल, मुंडेरवा (बस्ती) ।
		(7) चीनी मिल, घुघली (महाराजगंज) ।
		(8) चीनी मिल, बैतालपुर (देवरिया) ।
7	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम	उपसिक पाटरीज, खुर्जा ।
8	उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम	माइक्रोहाइडिल परियोजनाएं
		(1) भिलन गंगा टेहरी गढ़वाल
		(2) हनुमान गंगा उत्तर काशी
		(3) रेलागाँड पिथौरागढ़
		(4) हरसिला अल्मोड़ा
		(5) अगलर टेहरी गढ़वाल
		(6) चल्थी पिथौरागढ़
		(7) असीगंगा उत्तर काशी
		(8) ऋषि गंगा चमोली

1	2	3	
		(9) घृत गंगा	चमोली
		(10) सोनागांड	उत्तर काशी
		(11) पाताल गंगा	चमोली
		(12) बद्री नाथ	चमोली
		(13) जलकुर	टेहरी गढ़वाल
		(14) वरम	पिथौरागढ़
		(15) विरही गंगा	चमोली
		(16) लोहारखेत	अल्मोड़ा
		(17) खारी	टेहरी गढ़वाल
		(18) शेराघाट	पिथौरागढ़
		(19) रतिया	पिथौरागढ़
		(20) घुरचुम	पिथौरागढ़
		(21) भीमताल	नैनीताल
		(22) सहस्त्रधारा	देहरादून
		(23) गरुड़गंगा	चमोली
		(24) बालगंगा	टेहरी गढ़वाल
		(25) नैनी	पिथौरागढ़
		(26) जाकुला	पिथौरागढ़
		(27) सिमलरा	पिथौरागढ़
		(28) बसुली	गोरखपुर ।
9	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	(1) मनेरी भाली–2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(2) श्रीनगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(3) काला पत्थर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(4) पाला मनेरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(5) लोहारी नागपाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(6) तपोवन विष्णुपाइ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(7) बोवाला नन्द प्रयाग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(8) टूनी प्लासू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।	
		(9) विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, चमोली ।	
		(10) रोजा तापीय विद्युत गृह, शाहजहांपुर ।	
		(11) जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह, एटा ।	

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

सामान्य निर्वाचन लोक सभा/विधान सभा 1994 मदवार आवंटित धनराशि एवं व्यय का विवरण

क्र०सं०	मद	आवंटित धनराशि	व्यय का विवरण	
1	2	3	4	
1	ईंधन तथा भारी गाड़ियों का भाड़ा ।	11,35,594.00	(1) 3,97,695.60	संबंधित भारी गाड़ियों के मालिकों को भुगतान किया गया ।
			(2) 4,19,092.90	संबंधित फर्मों को उनके ईंधन के बिलों का भुगतान किया गया ।
			(3) 8,152.00	टेलीफोन, भारतीय डाक तार विभाग ।
			(4) 2,906.00	विविध भाड़ा ।
			(5) 2,230.00	विविध भाड़ा ।
		योग ..	8,30,076.50	
2	विविध/लेखन सामग्री/ मतगणना/पूर्वाभ्यास आदि तथा टेण्ट फर्नीचर/ प्रकाश व्यवस्था/टीन शेड/बैरीकेटिंग आदि व्यय ।	21,26,253.75	(1) 3,17,012.95	मे० शालीमार टेण्ट हाउस, बांदा-टेण्ट आदि फर्नीचर का किराया ।
			(2) 3,39,901.70	मे० अम्बे एजेन्सीज, बांदा-बैरीकेटिंग के बिलों का भुगतान ।
			(3) 12,28,546.80	मे० लल्लू जी गोपाल दास एण्ड सन्स, इलाहाबाद-टीन शेड के किराये का भुगतान ।
			(4) 70,722.00	मे० एस० एन० लाईट हाउस, बांदा-प्रकाश व्यवस्था ।
			(5) 1,07,299.00	मे० चन्द्रा स्टेशनर्स, बांदा, स्टेशनरी के बिलों का भुगतान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4
			(6) 15,945.00	मे० श्रीराम प्रिन्टिंग प्रेस, स्थानीय छपाई ।
			(7) 7,626.00	मजदूर व्यय ।
			(8) 4,949.00	मे० नवनक्षत्र प्रेस
			(9) 16,170.00	कार्यालय विविध
			(10) 3,410.00	ताले मे० चन्द्रा स्टेशनर्स ।
			(11) 4,050.00	मैसेन्जर ।
			(12) 6,345.00	मार्ग व्यय कार्यालय अधिकारियों पर ।
			(13) 8,335.00	मानचित्र की बनवाई ।
		योग ..	21,30,313.15	
3	मतदेय स्थलों का निर्माण/छाया/पेयजल व्यवस्था मतदेय स्थानों की सूचियों की छपाई ।	1,17,189.00 3,320.00 योग 1,20,509.00	1,11,917.00 3,320.00 योग.. 1,15,237.00	संबंधित तहसीलदारों को मतदेय स्थलों के निर्माण आदि तथा छाया/ पेयजल के वाउचरों का भुगतान किया गया तथा छपाई का भुगतान मे० श्रीराम प्रिन्टिंग प्रेस को किया ।
4	सरकारी डाक टिकट	10,000.00	10,000.00	पोस्ट मास्टर बांदा को भुगतान किया ।
5	हल्का नास्ता/ भोज व्यवस्था ।	3,600.00	(1) 1,356.50	विनोद कुमार गुप्ता, कचेहरी, बांदा ।
			(2) 2,112.00	मे० पाण्डे जनरल स्टोर
			(3) 131.00	मे० बिन्दा टी स्टाल ।
		30,780.00	(4) 30,778.00	मे० शालीमार टेण्ट हाउस, बांदा ।
		योग ..	34,377.50	
6	मतपेटियों की तेल, सफाई ।	9,686.00	9,685.50	मे० विश्वकर्मा इले० वर्कस, बांदा ।
7	हल्की गाड़ियों की मरम्मत ।	10,685.00	10,685.00	संबंधित गैराजों के बिलों का भुगतान ।

1	2	3	4
8	स्टील बाक्सों की मरम्मत ।	3,010.00	3,010.00	मे० विश्वकर्मा इले० वर्कस्, बांदा ।
9	कैनवास बैग	11,050.00	11,050.00	सहकारी उपभेक्ता भण्डार, बांदा ।
10	टेलीफोन पर व्यय	25,000.00	25,048.00	भारतीय डाक तार विभाग, बांदा ।
11	सेक्टर मजिस्ट्रेटों	1,635.00	1,635.00	मे० रमेश चन्द्र साहू ।
	अधिकारियों के बैजों/	4,661.00	4,661.00	
	मोहरों की बनवाई ।	———	———	
	योग ..	6,296.00	6,296.00	
	कुल योग ..	34,92,463.75	31,85,778.65	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री हृदय नारायण द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 10 के उत्तर का संलग्नक

अनधिकृत रूप से रह रहे भू० पू० मंत्रियों की ओर अवशेष का विवरण

अनधिकृत अध्यासी का नाम	अवशेष किराया/क्षतिपूर्ति की धनराशि (31-1-94 तक)
1–श्री संजय सिंह	3,34,758.35
2–श्री एल० आर० आचार्य	39, 505.65
3–स्व० श्री मुजफ्फर हसन	9,18,858.45
4–श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी	1,18,727.55
5–श्रीमती मोहिसिना किदवई	6,75,318.25
6–श्री सईदुल हसन	1,71,088.50
7–श्री पी० के० शर्मा	63,254.50
8–कुंवर रेवती रमण सिंह	71,754.75

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

मासिक रायल्टी दर अनुमति देने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण

क्रमांक	आवेदक का नाम	क्षेत्र	अवधि (माह/वर्ष)	प्रस्तावित धनराशि	स्वीकृत प्रार्थना-पत्र की राशि
1	2	3	4	5	6
1	श्री तुफैल अहमद खां	लोहटी, मचड़ी वगैहिया	18/92	57,600.00	57,600.00
2	श्रीमती शिकोहजहां	,, ,, ,,	,,	सरकार द्वारा निर्धारित दर पर	
3	श्री अयोध्या उपनाम अवध नरेश	बनघसरा	,,	120.00	120.00
4	श्री इरशाद अहमद खां	बानगढ़	11/92 व 12/92	1,000.00	1,000.00
5	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	11/92	2,520.00	2,520.00
6	श्री तुफैल अहमद खां	लोहटी, मचड़ी, वगैहिया	11/92	57,600.00	57,600.00
7	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	12/92	2,520.00	2,520.00
8	श्री तुफैल अहमद खां	मचड़ी, लोहटी, वगैहिया	12/92	57,600.00	57,600.00
9	श्री तुफैल अहमद खां	मचड़ी, लोहटी, वगैहिया	1/93	59,900.00	59,900.00
10	श्री इरशाद अहमद खां	बानगढ़	1/93	500.00	500.00
11	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	1/93	2,825.00	2,825.00
12	श्री लाल महेन्द्र बहादुर पाल	लोहटी, मचड़ी, वगैहिया	2/93	84,700.00	—
13	श्री तुफैल अहमद खां	लोहटी, मचड़ी, वगैहिया	2/93	84,700.00	54,700.00
14	श्री तुफैल अहमद खां	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	2/93	4,620.00	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	2/93	4,620.00	4,620.00
16	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	पिपरादुर्गानगर	2/93	1,000.00	1,000.00
17	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	3/93	4,620.00	4,620.00
18	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	पिपरादुर्गानगर	2/93	1,000.00	1,000.00
19	श्री तुफैल अहमद खां	लोहटी, मचड़ी, वगैटिया	3/93	64,700.00	64,700.00
20	श्री इरशाद अहमद खां	बानगढ़	3/93	500.00	500.00
21	श्री अकील अहमद खां	लोहटी, मचड़ी, वगैटिया	4/93	67,000.00	—
22	श्री तुफैल अहमद खां	लोहटी, मचड़ी, वगैटिया	4/93	69,450.00	69,450.00
23	श्री अकील अहमद खां	लोहटी, मचड़ी, वगैटिया	4/93	71,000.00	—
24	श्री इरशाद अहमद खां	बानगढ़	4/93	500.00	500.00
25	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	पिपरादुर्गानगर	4/93	1,000.00	1,000.00
26	श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	4/93	4,850.00	4,850.00
27	श्री मो० अशफाक	कल्यानपुर	4/93	1,575.00	1,575.00
28	श्री मो० इश्तियाक	वकरसूल,पार्वती,हजरतपुर	4/93	3,380.00	3,380.00
29	श्री मो० इश्तियाक	हजरतपुर	5/93	350.00	350.00
30	श्री तुफैल अहमद खां	लोहटी, मचड़ी, वगैटिया	5/93	69,450.00	69,450.00
31	श्री इरशाद अहमद खां	बानगढ़	5/93	500.00	500.00
32	श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	5/93	4,850.00	4,850.00
33	श्री हसीब	पिपरादुर्गानगर	6/93	8,000.00	—
34	श्री हसीब	,,	,,	14,000.00	—

1	2	3	4	5	6
35	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	पिपरादुर्गानगर	6/93	1,000.00	—
36	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	,,	,,	9,000.00	
37	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	,,	,,	15,000.00	15,000.00
38	श्री नीरज बक्शी	मचड़ी, लोहटी, चैनपुर	,,	65,000.00	—
39	श्री नीरज बक्शी	मचड़ी, लोहटी, वगैहिया	,,	83,000.00	—
40	श्री नीरज बक्शी	मचड़ी, लोहटी, चैनपुर	,,	85,000.00	—
41	श्री नीरज बक्शी	मचड़ी, लोहटी, चैनपुर	,,	65,000.00	—
42	श्री नीरज बक्शी	मचड़ी, लोहटी	,,	55,000.00	—
43	श्री नीरज बक्शी	चैनपुर	,,	5,000.00	—
44	श्री सुहेल अहमद खां	मचड़ी, लोहटी, वगैहिया	,,	75,000.00	—
45	श्री कैलाश नाथ मिश्रा	चैनपुर	,,	2,100.00	—
46	श्री कल्लन खां	चैनपुर	,,	1,500.00	—
47	श्री पवन कुमार	सोनपुर	,,	200.00	—
48	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	सोनपुर/चैनपुर	,,	2,000.00	—
49	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	चैनपुर	,,	58,000.00	—
50	श्री हसीब	चैनपुर	,,	60,000.00	—
51	श्री नीरज बक्शी	चैनपुर	,,	61,000.00	61,000.00
52	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	बेल भरिया/अन्धरपुरवा	,,	4,850.00	4,850.00
53	श्री सुनील कुमार वर्मा	देवोपाटन	7/93	3,500.00	3,500.00
54	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	7/93	4,850.00	4,850.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55	श्री नियाज अहमद खां	चैनपुर	7/93	35,000.00	—
56	श्री निजामुद्दीन खां	,,	7/93	45,000.00	45,000.00
57	श्री अलोक कुमार मिश्र	देवोपाटन	8/93	4,000.00	—
58	श्री सुरेश कुमार	देवोपाटन	8/93	4,200.00	—
59	श्री सुनील कुमार वर्मा	देवोपाटन	8/93	4,400.00	4,400.00
60	श्री सुरेश कुमार	देवोपाटन	8/93	4,800.00	(नियत तिथि के बाद)
61	श्री निजामुद्दीन खां	चैनपुर	8/93	45,000.00	45,000.00
62	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	8/93	4,850.00	4,850.00
63	श्री सुनील कुमार वर्मा	देवोपाटन	9/93	4,400.00	—
64	श्री अब्दुल्ला खां	देवोपाटन	9/93	6,000.00	6,000.00
65	श्री निजामुद्दीन खां	चैनपुर	9/93	45,000.00	45,000.00
66	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	9/93	8,000.00	—
67	श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	9/93	10,100.00	—
68	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	9/93	12,500.00	—
69	श्री कमलेश प्रताप सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	9/93	12,500.00	—
70	श्री दशरथ सिंह	बेलभरिया/अन्धरपुरवा	9/93	13,500.00	13,500.00
71	श्री अशोक कुमार सिंह	रेतादल सिंह, सेविया, पयार	9/93	2,000.00	2,000.00
72	श्री दशरथ सिंह	मचड़ी/लोहटो,वगैटिया	9/93	70,000.00	—
73	श्री रन्जय कुमार त्रिपाठी	देवोपाटन	9/93	18,700.00	—
74	श्री शहबाद खां	देवोपाटन	9/93	9,999.99	—

पी० एस० यू० पी०–एल० 106 विधान सभा (160)–1994–813 प्रतियां ।